एकादश माला, खंड 1, अंक 4

सोमवार, 27 मई, 1996
6 ज्येष्ठ, 1918 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

पहला - सत्र
(ग्यारहवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

(खण्ड 1 में अंक 1 से 5 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्यः पचास रुपये

लोक सभा के दिनांक 27 मई, 1996 के

वाद-विवाद (हिन्दी संस्करण) का शुद्धि-पत्र

कालम	पंक्ति	के स्थान पर	पढ़िए
विषय सूची (ii)	8	नियम 337	नियम 377
" 12	17, नीचे से 8	रेवाली	रेवली
"	23	पुलिस की	पुलिस की
"	11	गिराए जाने की जांच	गिरांये जाने के मामले की जांच
7	नीचे से 8	बिरेन्द्र	बीरेन्द्र
12	नीचे से 7	उठा	उठाये
12	नीचे से 8	रेवली	रेवली बांध
14	10	मंत्रिपरिषद ने	मंत्रिपरिषद में
15	नीचे से 17	मृत्युजन्य	मृत्युंजय
31	नीचे से 16	वस्न	वस्त्र

विषय	कालम
श्री मधुकर सर्पोतदार	96—101
श्री मुरासोली मारन	102—105
सभापति तालिका के बारे में घोषणा	33

लोक सभा

सोमवार, 27 मई, 1996/6 जयेष्ठ, 1918 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति
(दसवीं लोक सभा)
उनतालीसवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

महासचिव : मैं अध्यक्ष के निदेशों के निदेश 71क उप-निदेश(6) के अंतर्गत सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति (दसवीं लोक सभा) का उनतालीसवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं। यह प्रतिवेदन पूर्व लोक सभा के अध्यक्ष को इसके भंग होने से पूर्व पेश किया गया था।

अध्यक्ष महोदय : मुझे शून्य काल के लिए अनेक नोटिस प्राप्त हुए हैं। सभी प्राप्त नोटिसों को गृहीत कर लिया गया है। अतः, आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। मैं एक-एक करके सदस्यों को बुलाऊंगा। अब श्री प्रिय रंजन दास मुंशी बोलेंगे। कृपया अपने भाषण को दो मिनट तक सीमित रखिये।

श्री प्रिय रंजन दासमुंशी (हावड़ा) : अध्यक्ष महोदय, मैं एक अति महत्वपूर्ण मामला उठाना चाहता हूं। निर्यात बाजार में अधिक मात्रा होने के बावजूद प्रतिष्ठित टाइपरायटर निर्माता इकाई रैमिंग्टन रैण्ड इंडिया प्रबंधन में कपटपूर्ण परिवर्तन होने की वजह से पिछले दो वर्षों से बन्द पड़ी है। मैं चाहता हूं कि केन्द्र सरकार श्रम मंत्रालय के माध्यम से पश्चिम बंगाल राज्य सरकार को इस इकाई को शीघ्र पुनः खोलने की संभावनाओं का पता लगाने का तत्काल निदेश दे। इससे 1500 लोगों का वेतन, भविष्यनिधि और ग्रेच्युटी खतरे में पड़ गया है। मुझे आशंका है कि दो सप्ताह के भीतर पश्चिम बंगाल के हावड़ा शहर में गंभीर असंतोष उत्पन्न हो सकता है जिसे केन्द्र सरकार तत्काल हस्तक्षेप करके रोक सकती है।

श्री मनोरंजन भक्त (अंडमान-निकोबार द्वीप-समूह) : अध्यक्ष महोदय, फारवर्ड सीमैन यूनियन द्वारा दो पोतों, एक कलकत्ता और दूसरा विजाग में रोके जाने के कारण अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के लोग गंभीर मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। मैंने इस संबंध में माननीय प्रधान मंत्री को पत्र लिखा है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में, जहां अनिवार्य वस्तुओं की कमी है, ये जहाज जीविकोर्जन के मुख्य साधन हैं। द्वीप समूह पर फंसे हुए लोग वहां से बाहर निकलने की स्थिति में नहीं हैं और जो लोग मुख्य भूमि पर हैं, वापिस जाने की स्थिति में नहीं हैं, इसीलिए हमने प्रधान मंत्री को लिखित रूप में इस मामले में हस्तक्षेप करने और उत्पन्न समस्याओं को दूर करने के उद्देश्य से इन पोतों को छुड़ाने हेतु संबंधित सरकार से संपर्क स्थापित करने का अनुरोध किया है। सौभाग्यवश, मुझे कल एक सूचना प्राप्त हुई कि यूनियनों ने हड़ताल समाप्त कर दी है। तथापि, मैं यह कहना चाहूंगा कि यह एक नियमित समस्या है सरकार को इस मामले पर विचार करना चाहिये और कोई स्थायी समाधान निकालना चाहिये।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : हमें नोटिस मिले हैं। सभी प्राप्त नोटिस गृहीत कर लिये गये हैं और उन्हीं सदस्यों को बोलने की अनुमति दी जायेगी। किसी अन्य सदस्य को बोलने की अुनमति नहीं है।

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर) : जो छपी हुई कार्य-सूची है, उसमें नियम 377 है, शून्य काल नहीं है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं नियम 377 के अंतर्गत आने वाले मामलों पर बाद में विचार करूंगा। नियम 377 के अधीन बहुत से मामले हैं।

... **(व्यवधान)**

श्री पी.सी. थामस (मुवत्तुपुजा) : महोदय, भारत मसालों के निर्यात में और विशेष रूप से काली मिर्च के निर्यात में अग्रणी है। यह क्षेत्र एक समस्या का सामना कर रहा है। काली मिर्च तथा कुछ अन्य मसालों पर उपकर लगाया गया है। ...**(व्यवधान)** पूर्व सरकार ने इस उपकर के लगाने पर कुछ समय के लिए स्थगन आदेश दे दिया था और वह अवधि 31 मार्च को समाप्त हो जायेगी। अब, मैं सरकार से इसमें तत्काल हस्तक्षेप करने का अनुरोध करता हूं क्योंकि यदि कुछ मुहीनों के लिए दो प्रतिशत उपकर का लगाना नहीं रोका जाता तो हमारे निर्यात भारी संकट में पड़ जायेंगे और जो कृषक इलायची और काली मिर्च तथा अन्य मसालों का व्यापार करते हैं, उन्हें आने वाले दिनों में बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा।

मैं माननीय सरकार और वाणिज्य मंत्री से अनुरोध करता हूं—मुझे नहीं मालूम कि वाणिज्य मंत्री नियुक्त किया गया है अथवा नहीं—इसीलिए मुझे विश्वास है कि प्रधान मंत्री इस पर ध्यान देंगे क्योंकि यह मामला अत्यधिक लोक महत्व का है। यदि तत्काल कार्यवाही नहीं की गई तो हमारे निर्यात काफी सीमा तक प्रभावित होंगे।

अध्यक्ष महोदय : अगर आपको यह नहीं मालूम था कि शून्य काल में कोई गुंजाइश नहीं है तो आपको यह भली प्रकार मालूम होगा कि नियम 377 के अधीन गुंजाइश थी। नियम 377 के अधीन जिसने भी नोटिस दिया है, उसे मैंने स्वीकार कर लिया है। अतः अब आप यह दावा नहीं कर सकते।

[हिन्दी]

श्री सत्यदेव सिंह (बलरामपुर) : माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से इस सदन और सरकार का ध्यान उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों की कठिनाइयों की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। आज उत्तर प्रदेश में भारी संख्या में चीनी मिलें अभी से बंद हो रही हैं। मेरे अपने निर्वाचन क्षेत्र बलरामपुर में लगभग 20 लाख क्विंटल गन्ना किसानों का खेतों में रह जाने वाला है। आज गन्ना किसान बुरी तरह से तबाह और परेशान हो रहे हैं। मेरा आपके माध्यम से यह आग्रह है कि सरकार इस बात के निर्देश दे कि उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों का जब तक गन्ना खेत में खड़ा है तब तक चीनी मिलें पिराई का काम करेंगी। उसके लिये अगर चीनी मिलों को इकोनामिक सुविधा देने की आवश्यकता हो तो वह दी जाये। जून के माह में जब पिराई आरम्भ हो उस समय लेवी शुगर सरकार उनसे लेना छोड़ दे ताकि चीनी मिलें गन्ना लेने में सक्षम हो सके। मेरा सुझाव होगा कि उत्तर प्रदेश में गन्ने की त्रासदी समाप्त करने के लिये, गन्ने के सटे में जो भ्रष्टाचार व्याप्त है, उसको रोका जाये।

दूसरी बात यह भी है कि इस सदन में लगातार इस बात की मांग उठती रही है विशेषकर उत्तर प्रदेश में गन्ने की चीनी मिलों को लाइसेंस से मुक्त किया जाये जिससे आने वाले समय में इस त्रासदी से किसानों को बचाया जा सके।

इसके अलावा गन्ना किसानों का बकाया भारी मात्रा में उत्तर प्रदेश में बाकी है। उनमें कुछ केन्द्र संचालित चीनी मिलें हैं, कुछ राज्य द्वारा और शेष प्राइवेट सैक्टर में हैं। मेरी मांग है कि गन्ना किसानों का भुगतान कराने के लिये निश्चित रूप से प्रभावी कदम उठाये जायें।

डा. रमेश चन्द तोमर (हापुड़) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा सरकार का ध्यान उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों की तरफ दिलाना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश में गन्ना किसानों की हालत बहुत खराब है। मेरे क्षेत्र में 75 परसैंट गन्ना अभी खेतों में ही खड़ा है। इसलिये मैं मांग करना चाहता हूं कि चीनी मिलें तब तक चलनी चाहिये जब तक पूरा गन्ना चीनी मिलों में न जाये। चीनी मिलों का जो गन्ना गया है, उसकी पर्ची का पेमेंट नहीं हुआ है। इसके कारण किसान बहुत परेशान है। इसलिये पर्चियों का पेमेंट तुरन्त कराया जाना चाहिये। उत्तर प्रदेश में गन्ना काफी पैदा होता है। इसलिये हमारी यह मांग है कि चीनी मिलों का डिलाइसेंसिंग कर देना चाहिये। जगह-जगह चीनी मिलें लगे जिससे गन्ना चीनी मिलों में जाये। किसानों की फायदा हो और किसानों को हालत में सुधार आ सके। आपको ऐसी व्यवस्था करनी चाहिये।

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान एक गम्भीर मामले की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। राजस्थान के अंदर दोसा की तरफ आगरा से आ रही बस में जो बम विस्फोट हुआ और उसमें 4 निर्दोष व्यक्ति मौत के घाट उतरे और कई घायल हुए। इसी प्रकार दिल्ली में लाजपत नगर में जो बम विस्फोट की घटना हुई, असम में जो जातीय दंगे हो रहे हैं, उनसे ऐसा मालूम पड़ता है कि हमारी नई सरकार के गठन के बाद कुछ देश विरोधी ताकतें और उनसे मिलने-जुलने वाली जो राष्ट्रद्रोही ताकतें हैं.....**(व्यवधान)**

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी सेवा में यह निवेदन कर रहा हूं कि राजस्थान सबसे ज्यादा शान्तिप्रिय प्रदेश है जहां पर हिन्दुस्तान भर के लोग अपने कल-कारखाने लगाते हैं और राजस्थान में रहना पसंद करते है। माननीय भैरों सिंह शेखावत के राज्य में सब प्रकार की शान्ति है लेकिन 26 जनवरी, 1996 को वहां पर एक बम विस्फोट हुआ और उसके बाद जैसा कि हमारे पूर्व वक्ता सांसद निर्वेदन कर रहे थे 22.5.96 को एक बम विस्फोट हुआ। राजस्थान परिवहन की एक बस जो 11 बजे रवाना हुई और दौसा से 4 कि.मी. दूर चली तो 2 बजकर 10 मिनट पर उसमें एक बम विस्फोट हुआ। उसमें जितने यात्री घायल हुये, तत्काल ही माननीय मुख्यमंत्री श्री भैंरो सिंह शेखावत, गृह मंत्री श्री कैलाश मेघवाल, वहां के सारे विधायक और अधिकारीगण घटना स्थल पर पहुंचे और उन लोगों को राहत प्रदान की। जो लोग मरे उनके परिवार वालों को एक-एक लाख रुपया दिया गया। मैं स्वयं वहां कल होकर आया हूं। जो 26 व्यक्ति घायल हैं, उनको सवाई मान सिंह अस्पताल में भर्ती कराया गया है और राज्य सरकार द्वारा उनकी ठीक प्रकार से उपचार की व्यवस्था की जा रही है। कहीं भी किसी प्रकार का असंतोष नहीं है। मेरा सरकार से यह कहना है कि हमारी राज्य सरकार से पूर्व की सरकार के लोग गड़बड़ी कर रहे हैं और हमारी सरकार ने उग्रवादी को पकड़ भी लिया है जिसके लिये केन्द्र की भाजपा सरकार इसके लिये धन्यवाद की पात्र है और राजस्थान की सरकार को भी धन्यवाद देना चाहिये।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप अपनी बात कह चुके हैं। अब अपना भाषण समाप्त कीजिए।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव : अध्यक्ष महोदय, इस तरह की गड़बड़ न हो, इसलिये भारत सरकार के हाथ मजबूत करने के लिये इन लोगों के मंसूबे को फेल कर दें और इनके खिलाफ कार्यवाही करनी चाहिये।

(व्यवधान)

श्री भगवान शंकर रावत (आगरा) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान उत्तर प्रदेश में बिजली की सप्लाई को जानबूझकर फेल किये जाने की दिशा में दिलाना चाहता हूं। केन्द्र में माननीय अटल बिहारी वाजपेयी की चुनी हुई सरकार को समाप्त करने के लिये उत्तर प्रदेश में अधिकारियों की मिली-भगत से समूचे उत्तर प्रदेश में बिजली का संकट पैदा किया जा रहा है। मैं मांग करता हूं कि भारत सरकार इस मामले में कारगर कदम उठाये क्योंकि अधिकारी राजनैतिक दबाव में सरकार को बदनाम करके जनता में उत्पीड़न पैदा कर रहे हैं और बिजली की सप्लाई को फेल कर रहे हैं। सरकार द्वारा इसकी ठीक व्यवस्था की जानी चाहिये।

अध्यक्ष महोदय, सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन है कि ताज ट्रेपेजियम ऐरिया को अनइंट्रप्टेड पावर सप्लाई प्रदान की जाये लेकिन केन्द्र और राज्य सरकार के कुछ अधिकारियों की मिलीभगत से तथा राजनैतिक दबाव में इस आदेश की अवहेलना की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने एफिडेविट मांगा लेकिन अधिकारियों ने अपनी जिम्मेदारी को वहन करने से इनकार कर दिया। मैं आपका ध्यान इस ओर दिलाते हुये कहना चाहता हूं कि वर्तमान सरकार के ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की जाये और समूचे उत्तर प्रदेश और विशेष रूप से ताज ट्रेपेजियम ऐरिया से जुड़े हुये क्षेत्र में बिजली सप्लाई प्रदान की जाये जिससे पर्यावरण को नियंत्रित करने के साथ-साथ लोगों का जो शोषण हो रहा है, रोका जा सके और ताजमहल को भी कोई खतरा न हो।

पूर्वाह्न 11.14 बजे

असम में जातीय हिंसा की घटनाओं के बारे में

[अनुवाद]

श्री विजय कृष्ण हाण्डिक (जोरहाट) : अध्यक्ष महोदय, मैं एक अत्यधिक लोक महत्व का मामला उठाना चाहता हूं। यह असम में बोडो और संथाल लोगों के बीच जातीय संघर्ष के बारे में है।

महोदय, असम के इतिहास में कभी भी ऐसा नहीं हुआ जबकि इतने बड़े पैमाने पर जातीय संघर्ष अथवा जातीय हिंसा भड़की हो.. **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : यह एक गंभीर मामला है।

श्री विजय कृष्ण हाण्डिक : महोदय, लगभग दो-तीन लाख लोगों ने शिविरों में शरण ली है। यह तथ्य 1600 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैले लगभग 275 गांवों में हुए इस विनाश की व्यापकता को प्रदर्शित करता है।

महोदय, इसमें हथियारों से लैस आतंकवादी समूहों के शामिल होने संबंधी समाचार स्थिति को और अधिक गंभीर बनाता है। मृतकों की संख्या जो अब बढ़कर लगभग 200 तक पहुंच गई है, में से अधिकांश संथाल बताये जाते हैं। महोदय, इस क्षेत्र के दौरे पर गये सैन्य बलों और एक सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल को इस कार्यवाही के पूर्वनियोजित होने का अंदेशा है।

महोदय, इसके कारणों का पता लगाने के लिए असम सरकार द्वारा इसकी न्यायिक जांच करने संबंधी निर्णय का मैं स्वागत करता हूं। लेकिन महोदय, जिस बात से मुझे आश्चर्य हुआ है, वह यह है कि गड़बड़ी शुरू होने पर केन्द्र सरकार द्वारा बिल्कुल नगण्य कार्यवाही की गई है। हम माननीय गृह मंत्री के असम के दौरे पर जाने की उम्मीद कर रहे थे; हम यह उम्मीद कर रहे थे कि गृह सचिव असम का दौरा करेंगे। सैकड़ों लोग मर जाते हैं। लाखों लोगों को शिविरों में रहने के दुःख सहने दें। इससे दिल्ली में गड़बड़ी क्यो हो?...**(व्यवधान)** महोदय, मैं अपने भाषण में इस प्रकार का व्यवधान नहीं चाहता क्योंकि मैं एक अति महत्वपूर्ण मामला उठा रहा हूं...**(व्यवधान)** असम के लोगों तक इसका गलत संदेश न जाये, इसके लिए मेरा सुझाव है कि एक संसदीय दल इस क्षेत्र के दौरे पर जाये और मैं यह आगे भी सुझाव देता हूं यह दल असम में चुनावोपरांत परिदृश्य का भी जायजा ले क्योंकि वहां और भी अनेक स्थानों पर हिंसा भड़की है। चुनावी उम्मीदवारों, राजनीतिक कार्यकर्त्ताओं, सरकारी अधिकारियों और पत्रकारों का मारा जाना ये सभी बातें दुःखद सच्चाई का बयान करती हैं कि इस समय असम में स्थिति काफी भयानक हो चुकी है।

महोदय, असम में जो कुछ हो रहा है, संसद को उसकी पूर्ण जानकारी है और अब वह मूक दर्शक बनकर नहीं रह सकती।

[हिन्दी]

श्री गुमान मल लोढा (पाली) : अध्यक्ष महोदय, असम धू-धू करके जल रहा है। फैन्सी मार्केट गोहाटी के अंदर कल ही निर्मल चन्द्र जैन जो राजस्थान के उद्योगपति थे, उनको दिन-दहाड़े एक लाख रुपए न देने पर गोली से उड़ा दिया गया...**(व्यवधान)** असम के अंदर इस समय आतंकवाद बढ़ रहा है। श्रीमन् पहले उल्फा को प्रतिबंधित कर दिया गया था लेकिन उल्फा को प्रतिबंधित करके उल्फा के लोगों से हथियार सरेण्डर करवाकर पैसे देकर उनको रखा, लेकिन वह सुल्फा बनकर फिर अत्याचार करने लगे। इस समय गोहाटी में खासतौर से फैन्सी मार्केट में तथा अन्य स्थानों पर बाहर के गए हुए लोगों को, राजस्थानियों को भयभीत किया जा रहा है, और उनसे बंदूक की नाल पर करोड़ों रुपए वसूल किये जा रहे हैं। मैं कहना चाहूंगा कि माननीय गृह मंत्री जी इस बारे में वक्तव्य दें और राजस्थानियों की सुरक्षा करें।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब गृह मंत्री जी उत्तर देंगे।

(व्यवधान)

श्री जी.जी. स्वैल (शिलांग) : क्या आपने उस स्थान का दौरा किया है? आपने असम का तत्काल दौरा करने के लिये समय क्यों नहीं निकाला?...**(व्यवधान)**

कुमारी ममता बनर्जी (कलकत्ता दक्षिण) : अध्यक्ष महोदय, मुझे माननीय गृह मंत्री से पूर्व असम के बारे में बोलने का अवसर दिया जाए।....**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : नहीं, मैं आपको बोलने का अवसर नहीं दे सकता हूं। अगर मैं आपको अवसर देता हूं तो मुझे दूसरों को भी अवसर देना पड़ेगा।

(व्यवधान)

गृह मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी) : महोदय, हमने असम के जातीय, संघर्ष की तरफ उचित ध्यान दिया है। हमें सूचना मिलते ही, मैंने स्वयं और मंत्रालय ने असम के मुख्य मंत्री तथा अधिकारियों से सम्पर्क किया। माननीय सदस्य को मालूम होना चाहिये **(व्यवधान)** मैं आपको बताना चाहता हूं। कृपया मेरी बात सुनिये। कृप्या मुझे

सहयोग दीजिये।...**(व्यवधान)** अब शांति और व्यवस्था...**(व्यवधान)** माननीय सदस्यगण कृपया इन्तजार कीजिये।

श्री प्रिय रंजन दासमुंशी (हावड़ा) : जब माननीय प्रधान मंत्री स्वर्ण मंदिर और हरमिंदर साहिब जा सकते हैं, तो असम क्यों नहीं जा सकते? यही प्रश्न है...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : माननीय गृह मंत्री असम की चिन्ताजनक स्थिति के बारे में बोल रहे हैं। मेरे विचार से हमें उनकी बात को शांतिपूर्वक सुनना चाहिये।

डा. मुरली मनोहर जोशी : महोदय, इसी प्रकार के व्यवहार के कारण ही असम जैसी कई समस्याएं पैदा होती हैं। महोदय, इस प्रकार की गैर-जिम्मेदारी **(व्यवधान)** सुनिये, कृपया सुनिये। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइये।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने पहले ही कह दिया है। कृपया मेरी बात सुनिये, कृपया अपना समय मत बर्बाद कीजिये, मैंने कह दिया है कि यह अत्यंत गम्भीर मामला है। मैं आशा करता हूं कि माननीय गृह मंत्री गम्भीरतापूर्वक और जिम्मेदारीपूर्वक उत्तर देंगे। इस प्रकार की टिप्पणी मत कीजिये।

डा. मुरली मनोहर जोशी : मेरा आपको अथवा इस सभा के प्रति कोई असम्मान दिखाना अभिप्रेत नहीं था। बल्कि मैं तो सिर्फ असम की स्थिति का उल्लेख कर रहा था न कि यहां की स्थिति का। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कृपया सुनिये।

डा. मुरली मनोहर जोशी : महोदय, जैसा कि सभा को अवगत है, कानून और व्यवस्था को बनाए रखने की जिम्मेदारी पूर्णतः राज्य सरकार की है। **(व्यवधान)** हां, यह जिम्मेदारी है। **(व्यवधान)** कृपया मुझे सहयोग दीजिये, इस घटना की जानकारी मिलने के बाद तुरन्त हमने राज्य के मंत्रालय और मुख्य मंत्री से सम्पर्क स्थापित किया और उनसे अपेक्षित सहायता के बारे में बातचीत करने के पश्चात् तत्काल अर्ध सैनिक बलों को भेजना शुरू कर दिया। इस समय असम में केन्द्रीय अर्ध सैनिक बलों की 103 कम्पनियां कार्य कर रही है। **(व्यवधान)** कृपया रुकिये।

श्री बिरेन्द्र प्रसाद बैश्य (मंगलडोई) : माननीय गृह मंत्री सभा को भ्रमित कर रहे हैं। राज्य सरकार के अनुरोध के बावजूद केन्द्र सरकार ने वहां कोई बल नहीं भेजा है। अंततः असम के मुख्य मंत्री ने बिहार के मुख्य मंत्री, श्री लालू प्रसाद यादव से बल भेजने का अनुरोध किया, बिहार के मुख्य मंत्री ने अनुरोध स्वीकार करते हुए बिहार रायफल की 15 कम्पनियां वहां भेजी।..**(व्यवधान)**

श्री जी.जी. स्वैल : **(व्यवधान)** क्या आपने लाशों की पहचान कर ली है? ये शव किस समुदाय के लोगों के हैं? ...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : श्री आचार्य, मेरे विचार से आपने अपनी बात कह दी है।

डा. मुरली मनोहर जोशी : मैं प्रत्येक बात का जबाव दूंगा और सभा को केन्द्र सरकार द्वारा उठाये गए कदमों से अवगत कराऊंगा। **(व्यवधान)**

कृपया मेरी बात सुनिये। कश्मीर में आम चुनाव के दौरान अधिकांश अर्ध सैनिक बलों को तैनात किया गया था। इसलिये, तुरन्त उनको असम वापस नहीं भेजा जा सका। असम को पहले से ही गड़बड़ी वाला क्षेत्र घोषित किया हुआ है।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : यह पर्याप्त नहीं है।

डा. मुरली मनोहर जोशी : वहां पर पर्याप्त संख्या में सशस्त्र सेनाएं हैं। मंत्रालय ने सशस्त्र सेनाओं को निर्देश दे दिये हैं और राज्य सरकार को, उनके साथ समन्वय करना है। जिलाधीशों को सशस्त्र सेनाओं के साथ समन्वय करना है और जब कभी भी उन्होंने अनुरोध किया, सशस्त्र सेनाओं ने जिला प्रशासन की सहायता की है। सशस्त्र सेनाओं ने फ्लैग मार्च किये हैं और हर संभव सहायता की है। यही कारण है कि जातीय हिंसा को दो-तीन दिन के अन्दर ही काबू किया जा सका है। **(व्यवधान)**

कुमारी ममता बनर्जी : ढाई लाख लोग बेघर हो गए हैं।

डा. मुरली मनोहर जोशी : कृपया मेरी बात सुनिये।

यह राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। कानून और व्यवस्था राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। हम सिर्फ सहायता दे सकते हैं। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय, मैंने असम का दौरा करने की पेशकश की थी। असम के मुख्य मंत्री ने कहा कि बन्द को ध्यान में रखते हुये आपको दौरा नहीं करना चाहिये।

श्री विजय कृष्ण हाण्डिक : यह कब की बात है?

डा. मुरली मनोहर जोशी : मुख्य मंत्री ने स्पष्ट कहा था और मैं कैसे जा सकता था। हमने गृह मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय के पांच अधिकारियों को समन्वय के लिये भेजा था। हमारे द्वारा भेजे गए अर्धसैनिक बलों की सहायता से ही स्थिति पर काबू किया जा सका। मैंने राज्य सरकार के साथ सतत् सम्पर्क बना रखा था और हम उनकी सहायता कर रहे हैं। हमें राज्य सरकार से कोई शिकायत नहीं मिली है। राज्य सरकार ने कोई शिकायत नहीं की है, उनकी सभी मांगें पूरी कर दी गई हैं।

अध्यक्ष महोदय, हमें जातीय हिंसा के मूल कारणों पर विचार करना चाहिये। असम में चुनाव परिणाम आने के तुरन्त पश्चात् कोकराझार जिले के एक निर्वाचन क्षेत्र में दो-तीन शव मिले जो कि सम्भवतः...**(व्यवधान)** मैं बताना चाहता हूं कि तीन महिलाओं के शव मिले। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : जब आपके माननीय गृह मंत्री उत्तर दे रहे हैं, तो आप व्यवधान क्यों कर रहे हैं? आपको उनको समर्थन देना चाहिये।

डा. मुरली मनोहर जोशी : कोकराझार जिले के पुलिस थाना क्षेत्र में तीन महिलाओं के शव मिले। पुलिस ने उनकी पहचान करने की कोशिश की। पुलिस निगरानी दलों ने घटना स्थल के दो-तीन किलोमीटर क्षेत्र में पूछताछ की, परन्तु उन महिलाओं के शवों की पहचान करने के लिये कोई भी आगे नहीं आया। ...**(व्यवधान)** कोई नहीं बता पाया कि शव किस गांव अथवा समुदाय अथवा जाति के लोगों के हैं। वहां पर घोर...**(व्यवधान)** कृपया मेरी बात सुनिये ...**(व्यवधान)** पहचान नहीं की जा सकी, परन्तु इस दौरान ...**(व्यवधान)**

कुमारी ममता बनर्जी : क्या मैं आपकी जानकारी हेतु कुछ कहूं?

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइये ।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

कुमारी उमा भारती (खजुराहो) **:** अध्यक्ष महोदय, ये शोर किये जा रही हैं। आप इनको बाहर करवाइये।...**(व्यवधान)**

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर) **:** ये क्यों हल्ला किये जा रहे हैं?

अध्यक्ष महोदय : रावत जी, आप क्या कर रहे हैं। आप तो सीनियर मेम्बर हैं।...

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : उमा जी, जब अध्यक्ष खड़े हों, तो आपको खड़े नहीं होना चाहिये। कृपया इसको समझिये।

देखिये, हमने अभी तक सभा की आज की कार्यसूची पर विचार प्रारम्भ भी नहीं किया है और सभा जिस कार्यसूची पर विचार आरंभ करने जा रही है, वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमको समय का ध्यान रखना चाहिये। आज के प्रस्ताव में चर्चा के दौरान भी इन मामलों को उठाया जा सकता है। आप को ऐसे मामलों को उठाने के कई अवसर मिलेंगे। मैं स्वयं मंत्री रह चुका हूं और इसलिये जानता हूं कि शून्य काल के तुरन्त पश्चात् किसी भी मंत्री के लिये उत्तर देना अति कठिन होता है। मैं माननीय गृह मंत्री का आभारी हूं कि उन्होंने आपको उत्तर दिया है। कृपया संक्षेप में कह कर अपनी बात समाप्त कीजिये।

डा. मुरली मनोहर जोशी : महोदय, इन शवों की पहचान न हो पाने के कारण इनको दफनाने के लिये सुपुर्द कर दिया गया था। इस दौरान चुनाव के नतीजे भी आ गए थे, जिसमें एक दल अर्थात असम गण परिषद, के आशाओं के विपरीत दूसरे दल अर्थात कांग्रेस पर विजय हासिल कर लेने के कारण कुछ राजनीतिक तनाव भी पैदा हो गया था। ....**(व्यवधान)** यह अफवाह उड़ा दी गई कि कुछ संथाल लोगों ने इन बोडो महिलाओं को मारा है और फिर जातीय हिंसा आरम्भ हो गई। बोडो लोग बड़े-बड़े हथियारों को लेकर निकल पड़े ...**(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री मुख्तार अनीस (सीतापुर) **:** गृह मंत्री जी, आप यह बताइये कि वहां दो लोग मरे हैं या 80 लोग मरे हैं?

[अनुवाद]

श्री संतोष मोहन देव (सिल्चर) **:** महोदय, वह देश के गृह मंत्री हैं।...**(व्यवधान)** मैं उनकी कठिनाई को समझता हूं। परन्तु, एक स्वतंत्र जांच आयोग बनाया गया है। उनको अपनी तरफ से कोई फैसला नहीं देना चाहिये। हमारी मुख्य चिंता वहां अर्धसैनिक बलों को भेजने की है। माननीय प्रधान मंत्री ने राष्ट्र को सम्बोधित करते हुये पूर्वोत्तर क्षेत्र के बारे में अपनी चिन्ता व्यक्त की थी।...**(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री राजीव प्रताप रूडी (छपरा) **:** अध्यक्ष महोदय, पुराने सदस्य ही व्यवस्था भंग कर रहे हैं तो फिर नये सदस्यों का क्या होगा?

[अनुवाद]

श्री संतोष मोहन देव : इसको ध्यान में रखते हुये हम माननीय गृह मंत्री से अनुरोध करना चाहते हैं कि वह वहां पर पर्याप्त संख्या में अर्धसैनिक बल भेजें ताकि स्थिति को तत्काल सामान्य बनाया जा सके। कृपया कोई टिप्पणी मत कीजिये जिससे औपचारिक जांच पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़े।

अध्यक्ष महोदय : यह काफी है। हां, माननीय गृह मंत्री महोदय।

डा. मुरली मनोहर जोशी : महोदय, मैं कोई पक्ष नहीं ले रहा हूं। मैं आपको सिर्फ हिंसा के कारणों से अवगत करा रहा हूं। न्यायिक जांच के दौरान हिंसा के कारणों का पता चलेगा और जिम्मेदारी तय की जायेगी। इस बारे में कोई मतभेद नहीं हैं। मैं आपको घटनाक्रम बता रहा हूं। इसके पश्चात् असम राज्य सरकार की जिम्मेदारी होगी कि हिंसा के कारणों को समाप्त किया जाए और जनता को बताया जाए कि इस प्रकार की हिंसा ठीक नहीं है। असम में जातीय हिंसा काफी चिन्ताजनक है और हम, सब इसके बारे में चिंतित हैं। हमने उपलब्ध सभी अर्धसैनिक बलों को वहां भेज दिया है। परन्तु, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम देश के अन्य भागों में, विशेषकर कश्मीर में तैनात बलों को वहां नहीं भेज सकते हैं।

जहां तक कि उस सहायता का संबंध है जिसकी मांग उन्होंने हमसे की है, हमने उन्हें सहायता दी है और इसलिए इस बारे में किसी तरह की आशंका का प्रश्न ही नहीं है। जहां तक कि मेरे दौरे का संबंध

है, जैसा कि मैंने कहा है, मेरा उनसे निरन्तर सम्पर्क बना हुआ था। मैंने मुख्य मंत्री जी से बातचीत की थी और तदनुसार मैंने अपना दौरा तय किया था। लेकिन उन्होंने ही कहा था "कृपया नहीं आइए"।

अध्यक्ष महोदय : अब हम नियम 377 के अधीन मामलो को लेंगे। श्री रासा सिंह रावत।

पूर्वाह्न 11.36 बजे

नियम 377 के अधीन मामले

[हिन्दी]

(एक) अजमेर में हवाई अड्डा का निर्माण किए जाने की आवश्यकता

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर) : अध्यक्ष महोदय, मैं नियम 377 के अधीन अपना विषय प्रस्तुत कर रहा हूं।

अजमेर ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, धार्मिक तथा शैक्षिक दृष्टि से राजस्थान का एक महत्वपूर्ण नगर है, न केवल राजस्थान में अपितु भारत तथा समस्त विश्व में भी अपनी विशिष्टताओं के कारण अजमेर की अपनी पहचान है, राजस्थान का तो यह हृदयस्थली है। इस नगर की आबादी लगभग 4 लाख है। यहीं पर महर्षि दयानन्द सरस्वती की निर्वाण स्थली, प्रसिद्ध सूफी सन्त ख्वाजा साहब की पवित्र दरगाह तथा विख्यात तीर्थस्थल पुष्कर विद्यमान हैं, जहां देश-विदेश के लाखों व्यक्ति आकर दर्शन लाभ करके पुण्य लाभ प्राप्त करते हैं और पर्यटन की दृष्टि से भी अजमेर की विशिष्ट पहचान है।

इतना प्रसिद्ध नगर हवाई यातायात से अभी तक वंचित है, परिणामस्वरूप अजमेर एवं पुष्कर आने वाले यात्रियों और पर्यटकों को वायुयान से जयपुर उतर कर बस यात्रा से अजमेर जाना पड़ता है जिसके कारण उन्हें अत्यधिक असुविधा होती है। अजमेर के पास ही सुप्रसिद्ध सैनिक छावनी नसीराबाद तथा प्रसिद्ध औद्योगिक नगरियां ब्यावर एवं किशनगंज स्थित हैं।

अतः इन सभी दृष्टियों से अजमेर हवाई अड्डे तथा हवाई यातायात से जुड़ने की पात्रता रखता है। राजस्थान सरकार ने अजमेर के पास सराधना गांव के समीप हवाई अड्डे हेतु जमीन भी दे दी है और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने उसका सर्वेक्षण भी करवा लिया है, परन्तु खेद है कि अभी तक अजमेर में हवाई अड्डे की स्थापना नहीं हो पायी है।

अतः भारत सरकार से प्रबल अनुरोध है कि ऐतिहासिक नगरी एवं राजस्थान की हृदयस्थली अजमेर शहर में हवाई अड्डे के अविलम्ब स्थापना कर इसे देश के वायुमार्गों से जोड़ कर हवाई यातायात की सुविधा उपलब्ध करवाई जाए।

(दो) त्रिवेन्द्रम-कन्याकुमारी राष्ट्रीय राजमार्ग पर कुजीथुराई में पुल का पुनर्निर्माण किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री एन. डेनिस (नागरकोइल) : महादय, त्रिवेन्द्रम-कन्याकुमारी राष्ट्रीय राजमार्ग में कुजीथुराई पर पुराने एवं जीर्ण-क्षीण पुल को तत्काल बदलने की आवश्यकता है। इससे यात्रियों तथा यातायात वाहनों को बहुत खतरा उत्पन्न हो गया है इस पुल में अनेक दरारें पड़ गई हैं। कई छिद्र हो गए हैं। इस पुल के स्तम्भ के सतह का हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है और बाद में पुल को सम्बल देने के लिए लगाए गए एंगुलर स्तम्भ भी नदी के पानी के बहाव से क्षतिग्रस्त हो गए हैं इसलिए यह पुल कभी भी ढह सकता है। यह दुर्घटना बड़ी विनाशकारी होगी। यह राष्ट्रीय राजमार्ग देश के महत्वपूर्ण और व्यस्ततम राजमार्गों में से है। इन सब पहलुओं को ध्यान में रखते हुए सरकार ने आठवीं पंचवर्षीय योजना में नए पुल के निर्माण को शामिल किया है। अधिग्रहण कार्य पूरा हो चुका है लेकिन बड़े खेद की बात है कि इस बहुत महत्वपूर्ण और अत्यावश्यक कार्य के निष्पादन के लिए अभी तक कोई कदम नहीं उठाए गए हैं। इसलिए मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि बिना किसी विलंब के कार्य के निष्पादन के लिए तत्काल कदम उठाये जाएं।

(तीन) मुसलमानों के हितों की रक्षा के लिए 15-सूत्री कार्यक्रम को लागू किये जाने की आवश्यकता

श्री प्रिय रंजन दासमुंशी (हावडा) : महोदय, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग से पश्चिम बंगाल में वक्फ की संपत्ति की वर्तमान स्थिति के संबंध में जांच करने का अनुरोध किया जाए जिसका प्रबंधन बहुत गलत तरीके से चल रहा है जिसके परिणामस्वरूप अल्पसंख्यक वर्ग के लोग भारी मुसीबतों को झेल रहे हैं। अल्पसंख्यक आयोग को पश्चिम बंगाल के मदरसों को मान्यता देने पर भी विचार करना चाहिए जिनमें से अधिकतर को ऊंचे दर पर न तो अनुदान मिला और न मंजूर किया गया है। जब तक कि साम्प्रदायिक सद्भाव के लिए भारत सरकार के 15 सूत्री कार्यक्रम को लागू नहीं किया जाता, अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा नहीं की जा सकती।

(चार) उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में रेवाली को बचाने के लिये कदम उठा जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री बेनी प्रसाद वर्मा (केसरगंज) : अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश के बहराइच जनपद में रेवली बांध के टूट जाने का खतरा तत्काल उत्पन्न हो गया है। घाघरा नदी के इस बांध के कट जाने से दो लाख से अधिक परिवार वेघर हो जाएंगे तथ लाखों हेक्टर भूमि जल प्लावित हो जायेगी। सरकार से मैं तत्काल बांध को कटने से रोकने के उपाय करने का आग्रह करता हूं। **(व्यवधान)***

---

* कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

श्री राम नाईक (मुम्बई उत्तर) : महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। नियम 377 के अन्तर्गत केवल वही वक्तव्य दिया जा सकता है जिसे पहले से ही मंजूरी मिली हुई है। लेकिन माननीय सदस्य ने कुछ ऐसा कहा है जो कि उनके स्वीकृत वक्तव्य का अंश नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपसे सहमत हूं। इसे वक्तव्य में शामिल नहीं किया जाएगा।

(पांच) उत्तर प्रदेश के फतेहपुर कस्बे में एक उपरि पुल का निर्माण किए जाने की आवश्यकता

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद (फतेहपुर) : अध्यक्ष महोदय, जनपद फतेहपुर उ.प्र. में रेलवे पुल न होने से यातायात अवरुद्ध हो जाता है जिससे आकस्मिक बीमारी के कारण प्रति वर्ष सैकड़ों लोग मरते हैं तथा दुर्घटनायें होती हैं।

मैं सरकार से फतेहपुर शहर में रेलवे लाइन के ऊपर पुल बनवाने की मांग करता हूं।

(छः) उत्तराखंड आन्दोलन के दौरान पुलिस की गोली-बारी के शिकार लोगों को मुआवजा दिये जाने की आवश्यकता

श्री सतपाल महाराज (गढ़वाल) : अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं :

1994 में उत्तराखण्ड राज्य निर्माण हेतु चल रहे आन्दोलन के दौरान पुलिस एवं प्रशासन द्वारा शहीद, घायल एवं उत्पीड़ित उत्तराखण्डवासियों को मुआवजे के रूप में लगभग 36 करोड़ रुपये उच्च न्यायालय के आदेशानुसार आवंटित किए गए। किन्तु अनेक उत्पीड़ित एवं घायल उत्तराखण्डवासी मुआवजे की राशि को प्राप्त करने से वंचित रह गए और उन्हें किसी प्रकार की सहायता नहीं मिली।

सरकार से मेरा साग्रह निवेदन है कि ऐसे मामलों की जांच कर वास्तविक रूप में घायल उत्पीड़ित और शहीद हुए व्यक्तियों के निकट सम्बन्धियों को भी मुआवजा दिलवाने का प्रबन्ध करें।

[अनुवाद]

(सात) पुरूलिया में विमान से हथियार गिराये जाने के मामले की जांच किये जाने की आवश्यकता

श्री बीर सिंह महतो (पुरूलिया) : पश्चिम बंगाल के पुरूलिया जिले में झालडा पुलिस स्टेशन के खटांग, गुनेडीह तथा बरदीह गांवों में एक विदेशी विमान द्वारा काफी बड़ी मात्रा में घातक हथियार गिराये गए थे। जो हथियार पाए गए उनमें ए के 47, ए के 56, राकेट प्रक्षेपास्त्र गोले, हथगोले, 9 एम.एम. रिवाल्वर तथा काफी मात्रा में गोला-बारूद था। यह क्षेत्र मेरे चुनाव क्षेत्र का एक भाग है जिसका मैं अब प्रतिनिधित्व कर रहा हूं।

मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह इस संबंध में जनता के हित में समुचित कार्यवाही करे।

पूर्वाह्न 11.44 बजे

मंत्रिपरिषद् में विश्वास का प्रस्ताव

[हिन्दी]

प्रधानमंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

> "कि यह सभा मंत्रिपरिषद् ने अपना विश्वास व्यक्त करती है।"

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

> "कि यह सभा मंत्रिपरिषद में अपना विश्वास व्यक्त करती है।"

इस प्रस्ताव के लिए सात घंटे का समय आवंटित किया गया है सभी राजनीतिक दलों को निर्धारित समय आबंटित किया गया है। कृपया आप इसकी जांच स्वयं कर लीजिए क्योंकि मैं इसे दोहराना नहीं चाहता हूं।

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : इससे पहले कि मैं सदन से विश्वास की मांग करूं, मैं पंडित जवाहर लाल नेहरू के प्रति, जिनकी आज पुण्यतिथि है, अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहूंगा।... **(व्यवधान)** जब मैं इस सदन में पहली बार आया तो नेहरू जी प्रधानमंत्री थे। कई वर्ष मैंने उन्हें काम करते हुए देखा। मैं उधर बैठता था।...**(व्यवधान)** अभी भी उधर की याद भूली नहीं है। लेकिन मैं काफी पीछे बैठता था क्योंकि संख्या बहुत कम थी। आज जो परिवर्तन हुआ है, भारतीय जनता पार्टी धीरे-धीरे अपनी संख्या बढ़ाती हुई, अपना प्रभाव बढ़ाती हुई पहले प्रमुख विरोधी दल बनी और आज सबसे बड़ी पार्टी के रूप में चुनाव के बाद उभरी। यह परिवर्तन अचानक नहीं हुआ है, यह परिवर्तन इतिहास की बदलती हुई प्रक्रिया को प्रतिबिम्बित करता है।

हाल में जो चुनाव हुए, उनमें जनता ने अपना अभिमत प्रकट किया। समय है कि उस जनादेश पर गहराई से विचार किया जाए, गंभीरता से विचार किया जाए। हम सबसे बड़े दल के रूप में उभरे हैं। अन्य दलों की जो स्थिति है, उसको भी ध्यान में रखने की जरूरत है।..**(व्यवधान)** जब लोक सभा का विसर्जन हुआ, कांग्रेस पार्टी के

260 सदस्य इस सदन में थे। आज उनकी संख्या घटकर 136 रह गई। यह जनादेश का परिणाम है। इस परिणाम को स्वीकार किया जाना चाहिए। आत्ममंथन होना चाहिए। करीब-करीब आधी संख्या रह गई है। वाम मोर्चा 57 से 52 पर आ गया है। पश्चिम बंगाल में लोक सभा में भी और विधान सभा में भी वोटों की दृष्टि से उनकी शक्ति घटी है बिहार में भी घटी है।..**(व्यवधान)** बिहार में जनता दल पहले 56 था इस सदन में और अभी 44 है।

बिहार में भारतीय जनता पार्टी समता पार्टी के साथ चुनाव लड़ी और लोक सभा के चुनाव में उसे भारी सफलता मिली। कांग्रेस की संख्या केवल यहीं कम नहीं हुई, अनेक विधान सभाओं में कांग्रेस ने जन विश्वास खो दिया है। वहां अन्य दलों की सरकारें बनी हैं। यह परिवर्तन क्यों हुआ? यह किस बात का संकेत है? ...**(व्यवधान)**

श्री शिवाजी काम्बले (उस्मानाबाद) : अध्यक्ष महोदय, इनको रोकिये। ऐसा चलेगा तो कोई नहीं बोल पाएगा।...**(व्यवधान)**

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : यह बात भी ध्यान देने की है कि आज मेरी सरकार के प्रति अविश्वास प्रकट करने के लिए जो दल एक हो रहे हैं, वह चुनाव में अलग-अलग लड़े थे। एक दूसरे के विरुद्ध लड़े थे।...**(व्यवधान)** एक दूसरे के खिलाफ गम्भीर आरोप लगाते हुए लड़े थे। चुनाव के पहले कोई गठबन्धन नहीं हुआ।... **(व्यवधान)**

श्री दत्ता मेघे (नागपुर) : पंजाब में क्या हुआ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : आज भी गठबंधन का कार्यक्रम नहीं है। सरकार पहले बनेगी और उसका कार्यक्रम बाद में बनेगा।. ..**(व्यवधान)**

श्री मृत्युजन्य नायक (फूलबनी) : आप अपनी सरकार बचाने के लिए दूसरों की मदद मांग रहे हैं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : गठबन्धन का आधार क्या है, इसकी भावात्मक भूमिका क्या है? कितने दिनों से विवाद चल रहा है, राष्ट्रपति महोदय ने मुझे क्यों बुलाया। कुल लोगों की नींद हराम हो गई।...**(व्यवधान)** कुछ लोगों ने राष्ट्रपति महोदय के विरुद्ध ऐसे शब्दों का भी प्रयोग किया, जो नहीं होने चाहिए थे। मगर चुनाव के बाद जो परिस्थिति बनी, उसमें राष्ट्रपति जी और क्या कर सकते थे। क्या वह कांग्रेस को बुलाते, जो चुनाव हार गई, जिसने जनादेश खो दिया, जिसके शासन को लोगों ने ठुकरा दिया? क्या वह एक भानुमति के कुनबे को बुलाते, जो तब तक कुनबा भी बना नहीं था।

राष्ट्रपति ने अगर सबसे बड़े दल के रूप में भारतीय जनता पार्टी को बुलाया तो एक संवैधानिक परम्परा के अनुसार आचरण किया, लोकतंत्र की मर्यादा के अनुसार व्यवहार किया।...**(व्यवधान)**

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री (झांसी) : अगर इस प्रकार से बोलेंगे तो किसी को भी बोलने नहीं दिया जायेगा। आपको जो बोलना हो, बाद में बोलिएगा।

श्री मोहन रावले (मुम्बई-दक्षिण मध्य) : इनको बोलने का मौका मिलने वाला है, फिर यह ऐसा क्यों कर रहे हैं?..**(व्यवधान)**

श्री मुख्तार अनीस (केसरगंज) : प्रधान मंत्री को उनकी पार्टी के लोग ही नहीं बोलने दे रहे हैं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मुझे 31 तारीख तक विश्वास मत प्राप्त करने का समय दिया है। आज 27 तारीख है। हम अगर चाहते तो 31 तारीख तक रुक सकते थे, 30 तारीख को यह प्रस्ताव ला सकते थे। हमें जो निर्देश दिया गया है, यह उसके अनुसार होता, लेकिन हम 27 तारीख को आपके सामने विश्वास मत लेकर खड़े हैं, क्योंकि लोकतंत्र में हमारी निष्ठा है और येन-केन-प्रकारेण बहुमत बनाना, यह हमारा ढंग नहीं है। इस सदन की दीवारें....**(व्यवधान)**

श्री शिवाजी काम्बले : सदन के नेता बोल रहे हैं और यह उनको हर बात में इण्टरप्ट कर रहे हैं।...**(व्यवधान)**

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : एकाध टोका-टाकी का मैं बुरा नहीं मानता, मगर रोका-राकी नहीं होनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, मैं आज प्रस्ताव लेकर आया हूं। अभी तीन दिन बाकी हैं, लेकिन पिछली लोक सभा इस बात की साक्षी है और सदन का रिकार्ड गवाह है कि किस तरह से रात ही रात में अल्पमत बहुमत में बदला था। जब मतदाता सो रहे थे, थककर चूर थे, तब लोकतंत्र की लाज लुट रही थी। तब ईमान का सौदा हो रहा था। तब पार्लियामेंट के मेम्बर्स की खरीद-फरोख्त का बाजार खुला हुआ था। मामला अदालत में है, मैं उस पर ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन हमने देखा कि अल्पमत किस तरह से बहुमत में बदला। वह रास्ता हमारे लिए भी खुला था। मगर हमने उस पर जाने से इंकार कर दिया। अनैतिक तरीके अपनाकर, भ्रष्टाचार का सहारा लेकर, ईमान का सौदा करके सरकार में आना या सरकार में बने रहना, ऐसा पाप हमारे हाथों से कभी नहीं होगा, यह हम आपको आश्वासन देना चाहते हैं।

लोकतंत्र एक नैतिक व्यवस्था है, उसके मूल में एक नैतिक अवधारणा है। पुरानी सरकार के सामने रास्ता खुला था कि वह ईमानदारी से गठबंधन करती। विरोधी दलों को तोड़ने की जरूरत नहीं थी। दल -बदल कानून की धज्जियां उड़ाने की जरूरत नहीं थी। ईमानदारी से बनते गठबंधन, ईमानदारी से जो कुछ होता खुले में होता, जो कुछ होता सबके सामने होता। पारदर्शी प्रमाणिकता से दल अगर साथ आते हैं तो कार्यक्रम के आधार पर आयें, हिस्सा बांट के आधार पर नहीं। बैंकों में लाखों रुपये जमा किये जायें, इसको लेकर नहीं। अगर देश सचमुच में एक मिलीजुली सरकार के दौर में पहुंच गया है तो लोगों का पुराना अनुभव 1977 का और 1989 का फिर से न दोहराया जाये, क्या इस बात की आवश्यकता नहीं है, यह संकल्प करने की आवश्यकता नहीं है?

कांग्रेस का तो यह इतिहास रहा है कि वह समर्थन देती है और फिर वापस लेती है। यह त्रावनकोर से चलने वाला सिलसिला है। अब

अगर कांग्रेस के चिंतन में परिवर्तन होता है, हम इसका स्वागत करेंगे। लेकिन अभी तक का इतिहास कुछ और कहानी कहता है। जो मिलीजुली सरकारें बनती हैं, वे भी ऐसे मुद्दों पर टूट जाती हैं जिन मुद्दों का राष्ट्र जीवन के साथ गहरा सम्बन्ध नहीं होता। अभी हमें मिलकर काम करने की कला को सीखने की जरूरत है। यह अलग-अलग दलों के साथ आने पर लागू हाने की ही बात नहीं है। यह दल के भीतर भी लागू होने की बात है। पता नहीं इस देश पर कैसा अभिशाप है। पता नहीं है हम किस रोग से पीड़ित हैं। जब कभी संकट की घड़ी आती है तो यह देश एक हो जाता है, लेकिन जैसे ही संकट की घड़ी टली, हम एक दूसरे को गिराने के, एक दूसरे का महत्व कम करने के लिए अनावश्यक अप्रासंगिक मामले खड़े करने में लग जाते हैं।

मध्याह्न 12.00 बजे

मैं इसका अपवाद नहीं हूं। मेरी पार्टी भी अपवाद नहीं है। यह काम कोई एक पार्टी नहीं कर सकती। हमने करने की कोशिश की लेकिन हम सफल नहीं हुए। यह तो सबको मिलकर फैसला करना पड़ेगा। मैं नहीं जानता कल के बाद कौन सा राजनैतिक नक्शा बनेगा। लेकिन एक बात साफ है कि चाहे एक दल की सरकार हो और चाहे बहुदलीय सरकार हो, उस सरकार को मर्यादा में रहना चाहिये। उस सरकार को जनता के हित के प्रति समर्पित होना चाहिये। उस सरकार का हर आचरण, हर नीति पारदर्शी प्रामाणिकता से प्रभावित होनी चाहिये। यह तो नहीं हुआ। पिछले पांच साल में नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ। क्या आगे ऐसा होगा, इसका विश्वास है?

अगर यूनाईटेड फ्रन्ट कोई कार्यक्रम लेकर आये और कार्यक्रम के साथ ही विश्वास दिलाये कि राजनैतिक महत्वाकांक्षा के कारण, सत्ता की कुर्सी के कारण पुराने कटु अनुभव दोहराने नहीं दिये जायेंगे तब तो जनता को थोड़ा आश्वासन मिल सकता है। अन्यथा लोग बड़े दुःखी है। अस्थिरता की आशंका है। देश के भविष्य के बारे में चिन्ता है। पंडित जी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मैंने जो शब्द कहे थे, मैं उस समय राज्यसभा का सदस्य था। यह 29 मई का मेरा भाषण है। मैंने कहा था मैं उद्धृत कर रहा हूं कि

> "नेहरू जी स्वतंत्रता के सेनानी और संरक्षक थे, आज वह स्वतंत्रता संकटापत्र है। सम्पूर्ण शक्ति के साथ हमें उसकी रक्षा करनी होगी। जिस राष्ट्रीय एकता और अखंडता के वह नायक थे, आज वह ही विपदाग्रस्त है। हर मूल्य पर हमें उसे कायम रखना होगा। जिस भारतीय लोकतंत्र की उन्होंने स्थापना की, उसे सफल बनाया, आज उसके भविष्य के प्रति भी आशंकायें प्रकट की जा रही है। हमें अपनी एकता से अनुशासन से, अपने आत्म विश्वास से लोकतंत्र को सफल करके दिखाना है। नेता चला गया, अनुयायी रह गये। सूर्यास्त हो गया। तारों की छाया में हमें अपना मार्ग ढूंढना है। यह एक महान परीक्षा का काल है। यदि हम सब अपने को एक ऐसे महान उद्देश्य के लिए समर्पित कर सकें जिसके अन्तर्गत भारत सशक्त हो, समर्थ और समृद्ध हो और स्वाभिमान के साथ विश्व शांति की स्थापना में अपना योग दे सके तो हम उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि करने में सफल होंगे।"
> उद्धरण समाप्त

पचास साल में हमने प्रगति की है। इससे कोई इंकार नहीं कर सकता। चुनाव के दौरान वोट मांगते हुए सरकार की नीतियों पर कठोर से कठोर प्रहार करने और पुरानी सरकार की नीतियों की आलोचना करने के लिए मेरे पास बहुत सामग्री थी। लेकिन हर जगह मैंने यही कहा कि मैं उन लोगों में नहीं हूं जो पचास साल की उपलब्धियों पर पानी फेर दें। ऐसा करना देश के पुरुषार्थ पर पानी फेरना होगा। ऐसा करना देश के किसान के साथ अन्याय करना होगा। मजदूर के साथ ज्यादती करनी होगी, आम आदमी के साथ भी न्याय करना नहीं होगा। लेकिन जो सवाल आज मन में उठता है और उठना चाहये कि आजादी को पचास साल होने आये हैं, हम जयन्ती मनाने जा रहे हैं, आज देश की स्थिति क्या है? हम पिछड़ क्यों गये हैं? प्रगति की दौड़ में जो देश हमारे साथ आजाद हुए थे, वे हम से भी आगे बढ़ गये हैं। जो देश हमारे बाद जन्मे थे, वे हमें पीछे छोड़ गये हैं। दुनिया के गरीबतम देशों में हमारी गणना है। बीस फीसदी से ज्यादा लोग गरीबी की रेखा के नीचे हैं। राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण में गांव का उल्लेख है जहां पीने का पानी नहीं है। हम प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य नहीं कर सके। लड़कियों की शिक्षा की उपेक्षा हो रही है। लड़की का जन्म लेना तो इस देश में अभी तक एक अभिशाप है। क्या सरकारी कदम उठा कर, समाज में जागृति पैदा कर के, सब लोगों को जुटा कर यह काम नहीं किया जा सकता। यह तो ऐसा काम है जिसमे दलबन्दी के लिए कोई स्थान नहीं है क्या हम देश का नक्शा नहीं बदल सकते। देश में साधनों की कमी नहीं है और अगर साधनों की कमी है, तो उन्हें ठीक ढंग से प्राप्त किया जा सकता है। साधन बढ़ाए भी जा सकते हैं, लेकिन जो साधन हैं, उनका ठीक उपयोग नहीं हो रहा है। जनता के ऊपर टैक्स लगा कर जो धन इकट्ठा किया जाता है, उसका लाभ जनता तक नहीं पहुंचता है। आम आदमी तक नहीं पहुंचता है। कहां जाता है? किस की जेब भरी जाती है? किस की तिजोरियों में वह रकम जाती है? विदेशी बैंकों में धन जाने का सिलसिला अभी तक क्यों कायम है? उसको रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

हम विदेशी पूंजी के प्रयत्नशील हैं, विदेशी पूंजी आए। अगर विदेशी पूंजी आती है, अच्छे ढंग से टैक्नोलाजी के लिए, इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए, आयात-निर्यात को बढ़ाने के लिए, तो कोई आपत्ति नहीं करेंगे। लेकिन क्या देश के भीतरी साधनों का अधिकतम उपयोग हो रहा है? क्या यह सच नहीं है कि भ्रष्टाचार एक राष्ट्रीय रोग बन गया है। मुझे याद है, स्वर्गीय राजीव गांधी ने एक भाषण में कहा था कि मैं दिल्ली से एक रुपया भेजता हूं मगर जहां वह रुपया पहुंचता है, वहां पहुंचते-पहुंचते 19 पैसे रह जाते हैं। मैंने उनसे कहा, यह चमत्कार कैसे होता है? वे हंसकर कहने लगे, जब रुपया चलता है, तो घिसता है। हां रुपया घिसता है। हाथ में लगता है, जेब में जाता है, छोटा हो रहा है, रुपये को पहचानना मुश्किल है। रुपया

अन्तरध्यान हो सकता है। देश के सिक्के की स्थिति अच्छी नहीं है। एक तो सरकारी खर्चा बढ़ गया है, बढ़ता जा रहा है। उसको बिना कम किए काम नहीं चलेगा और कम करने के लिए आम सहमति चाहिए, सर्वदलीय सहयोग चाहिए। कोई एक दल यह काम नहीं कर सकता है। हां, हमारे पुराने प्रधान मंत्री, नरसिम्हाराव जी, अगर अपने को स्थिर करने के बाद इस दिशा में थोड़ा प्रयत्न करते, तो सफल होते। लेकिन वे कुछ ऐसे कामों में उलझे रहे कि वे समस्यायें ध्यान नहीं खींच सकीं।

हमारा विदेशी व्यापार घट गया है। शताबदी के प्रारम्भ में 10 फसीदी था फिर बाद में 2.5 परसेंट रह गया और अभी 0.5 परसेंट है। यह वस्तुस्थिति है, यह आलोचना के लिए नहीं है। दुनियावाले हमें अलग-अलग पार्टियों के रूप में नहीं देखते हैं। हमारे पड़ोसी हम में भेद नहीं करते है। हम कभी विफल होते हैं, दुनिया हंसती है। हमारे पड़ोसी हम पर छींटाकसी करते हैं। थोड़ा बहुत कम लड़ें, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। लड़ना चाहिए। "मुंडे-मुंडे मतिर भिन्नाः", अपनी बात हमें निर्भीकता से कहनी चाहिए। लेकिन कुछ जीवन मूल्य ऐसे हैं, जिनके साथ समझौता नहीं हो सकता है। उसमें हैं, राजनेताओं की ईमानदारी का सवाल। हमें बेदाग नेतृत्व चाहिए, हमें निष्कलंक नेतृत्व चाहिए। आपको मालूम है, यह भ्रष्टाचार फैलते-फैलते नीचे किस हद तक गया है। हमारे बिहार प्रदेश में जानवरों का चारा खा लिया गया...**(व्यवधान)** जांच हो रही है, मैं उसमें जाना नहीं चाहता हूं। भ्रष्टाचार की कोई सीमा नहीं है।

अभी मुझे एक मुख्यमंत्री ने कहा कि जब उन्हें स्टेट इलैक्ट्रीसिटी बोर्ड के अध्यक्ष पद की नियुक्ति करनी थी, तो उनके पास आफिसर आए, जो एक करोड़, दो करोड़ और पांच करोड़ रुपये देकर अध्यक्ष पद लेना चाहते थे।

मैंने उनसे यह नहीं पूछा कि उन्होंने किस को छांटा, किस की नियुक्ति की, मगर मैं उनके कथन पर विश्वास करता हूं। आज देश में बिजली की कमी है। हम विदेशी पूंजी को निमंत्रण दे रहे हैं, समझौते कर रहे हैं मगर घर के भीतर बिजली कितनी पैदा होनी चाहिए इसका प्रबन्ध नहीं कर पा रहे हैं।

मुझे बताया गया कि कोई मुख्य मंत्रियों की बैठक बुलाई गई थी मगर राय नहीं बनी और राय इसलिए नहीं बनी क्योंकि राजनीतिक प्रतिस्पर्धा इतनी तीव्र हो गई है कि देश का हित गौण हो गया है, देश का हित पीछे चला गया है। आठवीं योजना के अंतर्गत 33 हजार मेगावाट बिजली पैदा करने का लक्ष्य था। अभी तक मुझे जो आंकड़े मिले हैं उनके अनुसार हम 13 हजार मेगावाट तक बिजली जोड़ सके, अधिक क्षमता नहीं जोड़ सके। अभी उत्तर प्रदेश की शिकायत हो रही है, जब मैं बिहार में चुनाव के दौरे में गया था तो बिहार के लोगों ने, नीतिश जी ने बताया कि हफ्ते में 4 दिन बिजली नहीं है। मैं नहीं जानता...**(व्यवधान)** हमारे पूर्वज प्रार्थना करते थे-

"तमसो मा ज्योतिर्गमय" हम अंधेरे से प्रकाश की ओर जाएं और उनके योग्य उत्तराधिकारी हम लोगों को प्रकाश से अंधेरे की ओर ले जाने की तैयारी में हैं। क्यों ये चीजें हमारे मर्म को स्पर्श नहीं करतीं? क्या ये दलगत राजनीति की मांग करती हैं?

हमने तो 10 दिन में कोई ऐसा काम नहीं किया जिस पर अंगुली उठाई जा सके और अगर हमें 5 साल मिले तो ऐसा शासन देकर जाएंगे जिसमें एक भी दाग ढूंढना मुश्किल होगा। लेकिन शासन तंत्र जैसा हमें उत्तराधिकार में मिला है, इसमें व्यवस्था के सुधार का सवाल है। राष्ट्रपति के अभिभाषण मे कहा गया है कि हम चुनाव सुधार के काम को हाथ में लेंगे, यह मामला बरसों से लटक रहा है। चुनाव में खर्चा कहां से आएगा? चुनाव लड़ने के लिए अगर काला धन लिया जाएगा तो फिर चुनाव के बाद उस काले धन से मुक्ति नहीं है, इसे बदलने की जरूरत है। गोस्वामी कमेटी बनी। स्टेट फंडिंग का तय हो गया, सिफारिश सामने आ गई। लोकसभा के पिछले अधिवेशन में जब पुरानी सरकार थी तो गृह मंत्री श्री चव्हाण ने विरोधी दलों के नेताओं की बैठक में आकर कहा कि सरकार ने सिद्धान्ततः पब्लिक फंडिंग का प्रस्ताव मान लिया है, केबिनेट के पास गया है हम चुनाव के पहले लागू कर देंगे। उस प्रस्ताव का क्या हुआ? केबिनेट की मीटिंग हुई या नहीं हुई? बहुत बड़ी सिफारिश नहीं है, उससे सारे चुनाव प्रणाली के दोष दूर हो जाएंगे यह मैं दावा नहीं करता। उसके भी कई पहलू हैं। मगर एक कदम था उसको उठाना चाहिए था। कभी-कभी कुछ मित्रों से ऐसा लगता है कि जो वर्तमान भ्रष्ट प्रणाली है, मंहगी प्रणाली है उसमें स्वार्थ है कि इसे दो। यह तो नहीं होना चाहिए। काले धन से चुनाव नहीं लड़े जाने चाहिए इसका प्रबंध किया जाना चाहिए, कठोर कदम उठाना चाहिए हम इसमें साथ देने के लिए तैयार हैं। अगर हम स्वयं कदम उठाएं तो आपको साथ देने के लिए तैयार होना चाहिए बरसों से लोकपाल बिल धूल खा रहा है। क्या प्रधानमंत्री कानून के ऊपर हैं? अगर प्रधानमंत्री के ऊपर आरोप लगे, अगर प्रधानमंत्री से किसी को शिकायत हो तो वह कहां जाए, किस का दरवाजा खटखटाए? बरसों तक इसी बात पर चर्चा होती रही कि लोकपाल की परिधि में प्रधानमंत्री आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। यह ठीक है कि उस दिन नरसिंह राव जी ने कहा था कि मैंने क्लियरेंस दे दी है। प्रधानमंत्री का समावेश कर लें। लेकिन मैंने पूछा बिल कहां है, बिल नहीं आया। सदन स्थगित होने बाद और मामलों पर अध्यादेश जारी करने के लिए यह सरकार तैयार हो गई, ऐसे मामलों पर जिनका संबंध वोट बढ़ाने से था, वोट बैंक की राजनीति से था। लेकिन इस मामले में नहीं। इस मामले में भी अध्यादेश लाया जा सकता था। उस दिन मेरे मित्र इस बात की शिकायत कर रहे थे कि अदालतें बहुत ज्यादा हस्तक्षेप कर रही हैं। शायद कामरेड इन्द्रजीत गुप्ता थे, ज्युडिशियल एक्टीविज्म की बात उन्होंने कही। अगर प्रधानमंत्री अपना काम न करें और एग्जीक्युटिव फैसले न करे, मामले को लटकाए और जब प्रधानमंत्री से पूछा जाए कि आप निर्णय क्यों नहीं करते, तो उनका उत्तर यह हो कि निर्णय न करना भी एक निर्णय है। मैं समाचार-पत्रों में जो कुछ छपा है उसके आधार पर कह रहा हूं। अगर वह ठीक नहीं छपा है तो नरसिंह राव जी उसे ठीक कर देंगे। निर्णय न लेना भी निर्णय है। यह कर्मयोग की उच्चतम स्थिति है। देश

कैसे चलेगा? लेकिन निर्णय नहीं लिए गये। कभी-कभी तो सरकार इस बात की प्रतीक्षा में रही कि निर्णय टाल दो, नये विवाद खड़े होंगे, झंझट मोल लेना ठीक नहीं है? कोर्ट फैसला कर देगा। अब कोर्ट ऐसे मामलों में भी फैसला करने लगा है जो एग्जीक्युटिव के मामले हैं, जो संसद के द्वारा तय होने चाहिएं। संसद अपने दायित्व का पालन क्यों नहीं कर सकती। एग्जीक्युटिव अपनी जिम्मेदारी क्यों नहीं निभा सकती। लेकिन इसके लिए एग्जीक्युटिव या कार्यपालिका ईमानदार होनी चाहिए, चुस्त होनी चाहिए, मामले लटकाए नहीं जाने चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ है, ऐसा होना चाहिए। हम करना चाहते हैं। जो भी आएगा उसे ऐसा करना पड़ेगा नहीं तो कोई 12 दिन रहेगा, कोई 6 महीने रहेगा। यह इस देश की जनता के साथ अन्याय होगा। लोगों ने अपना कर्तव्य किया है। अगर अब त्रिशुंक संसद है तो इसके लिए मतदाता दोषी नहीं हैं। शायद हम मतदाता के पास ठीक ढंग से अपनी बात नहीं कह सके। कभी-कभी तो मतदान की कमी देखकर यह चिंता होती थी कि क्या लोकतंत्र पर से लोगों का विश्वास उठ रहा है। कोई भी सरकार आए, क्या होगा? क्या ऐसा ही चलेगा। "कोई नृप होए, हमें का हानी," यह मंथरा ने कहा था। इस देश में अब सब जगह मंथरा की बात दोहराई जाएगी। जोड़-तोड़ करके सरकारें बनाई जाएंगी। सरकारें बनें तो कार्यक्रम के आधार पर बनें और देश को यह आश्वासन देने के बाद बनें कि अब लोगों के साथ अन्याय नहीं होगा। अब ऐसा नहीं होगा कि अन्याय के खिलाफ गुहार लगाने की जगह न मिले। लेकिन इसका तो कोई नक्शा दिखाई नहीं देता है। राष्ट्रपति महोदय ने हमें बुलाया क्योंकि हम सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरे हैं, अपनी विचारधारा के साथ उभरे हैं, अपने कार्यक्रम और नीतियों के साथ उभरे हैं। राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण में हमने कुछ अपनी नीतियों का विवेचन किया है। ममता जी को उसमें केवल एक बात पर आपत्ति है। मुझे लगता है कि बाकी का सारा अभिभाषण उन्हें स्वीकार है। और भी मित्रों से मैं पूछना चाहूंगा कि उस अभिभाषण में कौन सी बात एतराज के लायक है। क्या इस बात का ध्यान रखकर कि जो भी फैसले होने चाहिए वह आम सहमति से होने चाहिए, एक न्यूनतम कार्यक्रम पर देश को लाया जाए और फिर बाकी के मामले छोड़कर हम उसके लिए जुट जाएं - क्या इसकी आवश्यकता नहीं है। लेकिन कुछ मामले ऐसे हैं जिन पर विचार करने की जरूरत है।

हमारे खिलाफ सबसे बड़ा आरोप क्या है - हम साम्प्रदायिक हैं। हम सैकुलरवादी नहीं हैं। इसलिये कथित सैकुलरवाद के जितने भी रक्षक हैं आए इकट्ठे हो जाएं, लाठी-डंडे सम्भाल लें, भाजपा को सत्ता से हटाना है।

लोकतंत्र संख्या का खेल है और संख्या हमारे पक्ष में नहीं है। हम जन समर्थन प्राप्त करने में सफल हुए हैं। सबसे ज्यादा जन समर्थन हमें मिला है।

[अनुवाद]

श्री सुरेश कलमाडी (पुणे) : केवल 20 प्रतिशत....**(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : कालमाड़ी साहेब, काय म्हणतात मल ऐक नाही येत। कलमाड़ी साहब क्या कहते हैं, यह दूसरों को समझना मुश्किल है।

अध्यक्ष महोदय, इस पहलू पर भी विचार होना चाहिये। कभी हम इस सदन में दो रह गये थे। पहली बार चुने गये थे तब चार थे।

एक माननीय सदस्य : वह दिन भी एक दिन आयेगा।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : आयेगा तो हम उसका सामना करेंगे। आज हम इतनी बड़ी संख्या में बैठे हैं कि आपके साथ कोई तुलना नहीं हो सकती है। हम विजयी हुए हैं, हम में विनम्रता है। पराजय में तो आत्ममंथन होना चाहिये।

श्री मृत्युंजय नायक : आप यू.पी. में आये थे तो बाद में क्या हुआ था?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : आप सारे देश में आए थे। अब क्या हो रहा है? इस स्थिति से आप संतुष्ट हैं तो मुझे कुछ नहीं कहना है मैं इस विवाद में नहीं पड़ना चाहता।

इस देश में इस समय लोगों के विचारों में मंथन चल रहा है, चिंतन की दिशायें बदल रही हैं। लोग पुरानी मान्यताओं को फिर से कसौटी पर कस रहे हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि जब संविधान के निर्माताओं ने शादी-ब्याह के एक कानून बनाने की सिफारिश की और यह कहा कि राज्य उसकी तरफ ध्यान देगा तो क्या वे साम्प्रदायिक कारणों से प्रेरित थे? क्या यह साम्प्रदायिक मुद्दा है? क्रिमिनल तो एक है तो सिविल लॉ एक क्यों नहीं हो सकता? गोआ में अभी भी सिविल लॉ एक है। अगर मुस्लिम मित्रों को उसमें कोई कठिनाई है तो वह अपनी कठिनाई आकर बता सकते हैं। यह कह सकते हैं कि हमें थोड़ा समय अपने समाज को तैयार करने के लिये चाहिये। लेकिन यह नहीं कहा जा रहा है। और दल भी इस बात के लिये उन्हें प्रेरित नहीं कर रहे हैं कि व्यक्तिगत कानून में संशोधन करे, वक्त बदल रहा है। इस्लामिक देशों में पर्सनल लॉ में संशोधन हो रहे हैं। यहां परिवर्तन होना चाहिये। यह जैंडर इक्वैलिटी का मामला है, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता, मान लीजिये हमारी बात नहीं मानी जाती है। यह तर्क नहीं माना जाता कि समान सिविल कानून बनाना संविधान की मंशा है और अब तो सर्वोच्च न्यायालय ने भी पुष्टि की है। तो क्या ऐसा कहने के लिये आयेगा, हमें सम्प्रदायवादी कहा जायेगा। इस सवाल का साम्प्रदायिकता के साथ क्या सम्बन्ध है?

मुझे बहुत दुःख हुआ प्रधान मंत्री के रूप में नरसिंह राव जी उत्तर प्रदेश में भाषण करने के लिये कहीं गये थे और वह मुस्लिम समाज के सम्मुख भाषण कर रहे थे, जैसा कि अखबारों में छपा, उसके आधार पर मैं कह रहा हूं। उन्होंने कहा कि मेरी क्या औकात है जो मैं इस तरह का कानून बनाऊं, आपकी राय के खिलाफ कानून बनाऊं? भारत का प्रधान मंत्री इस भाषा में बोले, मुझे पसन्द नहीं है। अगर

प्रधान मंत्री की औकात नहीं है तो इस देश में किस की औकात है? वह सबसे बड़े जन प्रतिनिधि हैं।

[अनुवाद]

श्री पी.वी. नरसिंह राव (बरहामपुर) : महोदय, मैं नहीं जानता कि प्रधान मंत्री जी मेरी बात को गलत तरीके से उद्धृत क्यों कर रहे हैं। मैंने यहां सभा में यह कहा था, श्रीमती इन्दिरा गांधी के दिनों से ही भारत सरकार की यह स्पष्ट घोषणा थी, कि जनता के एक वर्ग, जनता के किसी वर्ग का व्यक्तिगत कानून उनसे परामर्श लिए बिना, उनकी सहमति लिए बिना तथा उनकी सहमति के विरुद्ध नहीं बदला जाएगा मैंने बैठक में बिल्कुल यही कहा था।

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, जिस समुदाय में, जिस बिरादरी में परिवर्तन लाना है, उसको तैयार किया जाना चाहिये इसमें कोई आपत्ति की बात नहीं है। यह लोकतंत्र के लिये आवश्यक है, स्वाभाविक है मगर किसी के हाथ में वीटो नहीं दिया जाना चाहिये। हिन्दू समाज गतिशील है, हिन्दू समाज में परिवतन हुये है, परिवर्तन की प्रक्रिया चल रही है। स्मृतियां बदली हैं। और आज जिस स्मृति के आधार पर हम काम कर रहे हैं और वह हमारा संविधान और इसके निर्माता हैं डा. अम्बेडकर। हमारा जड़ समाज नहीं है।

डा. शफीकुर्रहमान बर्क (मुरादाबाद) : मुस्लिम पर्सनल ला के निर्माता नहीं हैं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, मैं एक और उदाहरण देना चाहता हूं। मैं इस विषय को लेकर ज्यादा विस्तार से नहीं बोलना चाहता। हमारे पड़ौसी देश से...

श्री कमरूल इस्लाम (गुलबर्गा) : मैं चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी इस विषय पर ज्यादा नहीं बोले। इस्लामिक ला डिवाईन ला है। पर्सनल ला को इस सदन में जबरदस्ती नहीं लाया जा सकता है। इस पर किसी जाति का इतना दबाव नहीं डाला जा सकता है। वही कांस्टीट्यूशन हमें परमिशन देता है।

[अनुवाद]

श्री कमरूल इस्लाम : यह अल्लाह का कानून है और इसे बदला नहीं जा सकता। इस्लाम का कानून अल्लाह का कानून है और इसे बदला नहीं जा सकता है।

श्री आई.डी. स्वामी (करनाल) : आपको संविधान को स्वीकार करना होगा...

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, मैं एक और उदाहरण देने जा रहा था। पूर्व में हमारे एक पड़ौसी देश से बड़ी संख्या में गैर-कानूनी तौर पर लोग आ रहे हैं। सीमा पर उचित प्रबंध नहीं है। पूछताछ का भी तरीका नहीं है। अगर कोई रोज़गार के लिये आये और रोज़गार कमाने के बाद वापस चला जाये, वह एक स्थिति अलग है। ऐसे लोगों के लिये वर्क परमिट का भी इन्तज़ाम किया जा सकता है लेकिन चोरी-छिपे आएं, अंधेरे में आएं, नदियों के रास्ते आएं, झाड़ में झुरमुट में छिपकर आयें और लाखों की संख्या में आएं, तो गंभीर परिस्थिति पैदा होती है। यह गृह मंत्रालय की रिपोर्ट है। यह हमारे गृह मंत्रालय की नहीं है। लोग आ रहे हैं। यह पुरानी रिपोर्ट है। अब इस बात के लिये आवाज उठाना कि उनका आना रोका जाना चाहिये, वह सीमरवर्ती क्षेत्रों में जनसंख्या का स्वरूप बदल रहा है, असंतोष पैदा हो रहा है, तनाव बढ़ रहे हैं। दिल्ली में जो पुराने रिक्शवाले थे, वे शिकायत कर हैं कि ऐसे लोगों के बाने से उन्हें किराया कम मिलने लगा है क्योंकि आने वाले सस्ती मजूरी पर काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, इसके परिणाम होते हैं। अब यह कहा जाता है कि अल्पसंख्यकों के वोट का सवाल है, इस पर मत बोलो, चुप रहो। और पार्टियां इस बारे में क्यों नहीं बोलती हैं, मेरी समझ में नहीं आता। कोई देश इस तह से बड़े पैमाने पर इल्लीगल इम्मिग्रेशन को बर्दाश्त नहीं कर सकता है। यह ठीक है कि पूरी तरह से रोकना मुश्किल होता है लेकिन यह समस्या है और इसकी रोकथाम होनी चाहिये। अगर हम इस मामले में आवाज उठाते हैं तो देश हित में उठाते हैं, वोट के लिये नहीं उठाते हैं। यह बात लोगों के गले के नीचे उतरनी चाहिये।

[अनुवाद]

श्री ई. अहमद (मंजेरी) : आप प्रत्येक चीज़ में दूसरे के स्थान पर स्वयं मार खाने वाले की तरह मुस्लिम समाज का नाम क्यों लेते हैं। आप हमेशा अल्पसंख्यकों का हवाला देते हैं। यदि कोई बात है तो उसे सभी पर लागू होना चाहिए।...**(व्यवधान)**

श्री कमरूल इस्लाम : उसके लिए कुछ उपाय करने होंगे... **(व्यवधान)**

श्री संतोष मोहन देव (सिल्चर) : माननीय प्रधानमंत्रीजी, आपने बहुत अच्छा आरम्भ किया है। मैं उम्मीद करूंगा कि आप यही रास्ता अपनायेंगे और आप अपना भाषण विश्वास प्रस्ताव पर ही सीमित रखेंगे...**(व्यवधान)** आपने राष्ट्रपति के अभिभाषण में भी कोई ऐसा विवादस्वरूप मुद्दा नहीं उठाया है। आप यहां भी ऐसा कोई मुद्दा नहीं उठायेंगे। यही अच्छा होगा। यह मेरी आपसे केवल अपील है... **(व्यवधान)** अन्यथा हमें प्रस्ताव पर चर्चा करने के लिये वक्ताओं को बदलना होगा...**(व्यवधान)** हमें अनुरूपता लानी होगी...**(व्यवधान)** इसलिए यह बेहतर होगा यदि आप इससे दूर रहें।

श्री सत्यदेव सिंह (बलरामपुर) : आप सच्चाई को सुनिए।

कुमारी ममता बनर्जी (कलकत्ता दक्षिण) : सच्चाई क्या है? **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

यह तरीका ठीक नहीं है...(व्यवधान)

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, मैं श्री संतोष मोहन देव की सलाह को हमेशा ही वजन देता रहा हूं। जब करीमगंज में बंग्लादेश से आने वालों के सवाल को लेकर एक बड़ा भारी प्रदर्शन हुआ था, उनको इसकी रिपोर्ट मिली होगी। वह हमारी पार्टी की शक्ति का प्रदर्शन नहीं था। वही लोगों में व्याप्त आशंका का प्रकटीकरण था लाखों की संख्या में लोग आ गए क्योंकि उनके मन में यह भाव है कि विदेशियों का आना रुकना चाहिए। इतनी संख्या में आना उनके भविष्य को खतरे में डालेगा। और उस दिन मैंने अपने भाषण में कहा था और मैंने इनको बताया और इन्होंने मुझे कहा कि आपने ठीक कहा। मैंने कहा कि यह हिन्दू-मुसलमान का सवाल नहीं है। ...(व्यवधान) लेकिन इस प्रश्न की गंभीरता बढ़ जाती है, आयाम बढ़ जाता है जब यह बात ध्यान में रखी जाती है कि संख्या में वृद्धि के साथ और भी दुष्परिणाम होने लगते हैं। देश के विभाजन का दुर्भाग्यपूर्ण इतिहास हमारे सामने है। इसे रोका जाना चाहिए। इस प्रश्न पर एक राय होनी चाहिए। एक राय करने की जिम्मेदारी ले सकते हैं हम, अगर सहयोग मिले।

अब मैं एक और प्रश्न उठाना चाहता हूं।

श्री जी.एम. बनातवाला (पोन्नानी) **:** माइग्रैण्ट्स के नाम पर मासूम बेगुनाह शहरियों पर जुल्म ढहाया जाता है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : यह गलत है।

श्री जी.एम. बनातवाला : आपने अपने साथ एक ऐसी पार्टी भी रखी है जिसके प्रेज़ीडेण्ट ने यह कहा है ओर अपने कैडर के मुसलमानों पर छोड़ दिया कि ढूंढ-ढूंढकर उनको निकालो और उन बेगुनाहों पर जुल्मोसितम ढहाओ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : किसने छोड़ दिया? यह गलत है। ...(व्यवधान)

श्री जी.एम. बनातवाला : सारी बातें आप अच्छी तरह से करते हैं लेकिन जो हकीकत है, उससे मुंह मोड़ लिया जा रहा है। ...(व्यवधान)

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, जो विदेशी हैं, जो बिना अनुमति के आते हैं, कानून का उल्लंघन करके आते हैं, कार्रवाही सिर्फ उन्हीं के खिलाफ होनी चाहिए। भारत के नागरिक चाहे वे किसी भी धर्म के हों, संप्रदाय के हों, जो यहां के नागरिक हैं और विशेषकर बंगाली जो पहले से बसे हुए हैं और बंगाली मुसलमानों को भी – बंगाली मुसलमान हमारे देश में बड़ी संख्या में हैं – उनको निकालने का सवाल नहीं है, उनको निकालने के पक्ष में हम नहीं हैं। ... (व्यवधान)

श्री जी.एम. बनातवाला : बंगाली बंगाली बोलने से डर गया है। बंबई में यह हाल हुआ है कि बंगाली अपनी बंगाली जुबान नहीं बोल सकता है। ... (व्यवधान)

श्री मोहन रावले (मुम्बई-दक्षिण) **:** मुम्बई के मुसलमानों ने शिव सेना का समर्थन किया है। ... (व्यवधान)

श्री बी.एल. शर्मा प्रेम (पूर्वी दिल्ली) **:** दिल्ली का एक भी उदाहरण आप बताओ। ...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री प्रिय रंजन दासमुंशी (हावड़ा) **:** महोदय, मैं प्रधानमंत्री से अपील करता हूं कि वे कृपया चर्चाधीन प्रस्ताव पर आएं।... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : प्रधानमंत्री जी ने श्री पटनायक की बात मान ली।

[हिन्दी]

श्री मधुकर सर्पोतदार : अध्यक्ष महोदय, क्या एक पक्ष के बारे में यहां कोई गलत बात की जायेगी। उनको अगर ऐसी ही बात करनी है तो नाम लेकर बोलें। हकीकत कुछ और है। उनका मुकाबला करने की लिए हम तैयार हैं। लेकिन ऐसे ढंग से उन्होंने बात इस सदन में कही है वह इस सदन की अवमानना है, यह मैं उनको बताना चाहता हूं। ...(व्यवधान)

श्री मोहन रावले : ये बात कार्रवाई से निकालनी चाहिए।

[अनुवाद]

श्री बीजू पटनायक (आस्का) **:** माननीय प्रधानी मंत्री जी, अपने विश्वास मत पर अपने वक्तव्य का आरंभ बहुत अच्छा किया है हममें से अनेक सदस्यों ने सोचा कि हम आपके पास जाएं और आपके मुद्दों से सहमति प्रकट करें लेकिन इस बीच अपने उन मुद्दों को छेड़ दिया जिनके कारण हम आपके मुद्दों से सहमत नहीं हो पाए। क्या आप समझते हैं कि आपने क्या किया है और क्यों किया है। जब आप पंथ निरपेक्षता और गैर पंथ निरपेक्षता की बात करते हैं तो उस समय आप गैर पंथ निरपेक्षता का ही प्रचार कर रहे होते हैं और क्यों? आपका इरादा ऐसा नहीं था। आपने ऐसा क्यों किया?

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री लाल मुनि चौबे (बक्सर) **:** मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री राम नाईक (मुम्बई उत्तर) **:** अध्यक्ष जी, मुंबई शहर का मैं प्रतिनिधित्व करता हूं। सारे मुंबई शहर में और सारे महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा वोट पाकर आया हूं और मैं आपको बताना चाहता हूं कि मुंबई शहर जैसा स्वस्थ दंगामुक्त शहर हिंदुस्तान में कोई दूसरा नहीं है। हमनें बंगालियों को नहीं दबाया है। बंगाल से जो विदेशी आये हैं उनको हमने निकाला है और उनको निकालना हमारा राष्ट्रीय कर्तव्य है। (व्यवधान)

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, मैं नहीं चाहता था कि इस तरह का विवाद पैदा हो। लेकिन मैं उदाहरण दे रहा था कि अगर हम नॉतो-सेक्युलर हैं क्यों। किसलिए हमें नॉन-सेक्युलर कहा जाता है समान सिविल कानून तथा बंगला देशियों की घुसपैंठ यही कुछ मुद्दे हैं जो हम उठाते हैं और देश के हित में उठाते हैं। उनसे किसी का मतभेद हो सकता है। आज सांप्रदायिकता के साथ देश के भीतर जातीयता का जहर जिस तरह से फैलाया जा रहा है क्या सांप्रदायिकता से कम घातक है? लेकिन उसकी बात नहीं हो रही है क्योंकि उसकी बात करने से गठबंधन में कठिनाई पैदा होती है। उसकी बात करने से सत्ता की प्राप्ति में बाधा उत्पन्न होती है।...**(व्यवधान)** अध्यक्ष महोदय, इस सदन के वरिष्ठ नेता और मेरे पुराने सहायोगी श्री बीजू पटनायक ने एक बड़ा महत्त्वपूर्ण प्रश्न खड़ा किया है। मैं चाहता हूं कि सेक्युलरिज्म के बारे में जरा खुला दिमाग रखकर और गंभारता से विचार हो। मुझे याद है ...**(व्यवधान)** भारतीय जनता पार्टी एक से ज्यादा मौके पर यह स्पष्ट कर चुकी है कि हम संविधान से, संविधान की सेक्युलर संबंधी अवधारणा से, सेक्युलरवाद से हृदय से बंधे हुए हैं।...**(व्यवधान)** राज्य सेक्युलर होना चाहिए। भारत में राज्य हमेशा सेक्युलर रहा है। भविष्य में भी सेक्युलर ढांचे को कोई खतरा पैदा नहीं होगा।

यह बात इन्हें समझनी चाहिये ...**(व्यवधान)**

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : आपकी पार्टी में कितने मुसलमान एम.पी. जीतकर आये हैं ...**(व्यवधान)**

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : यह इसकी कोई कसौटी नहीं है। इस तरह के सवाल मत पूछिए। ...**(व्यवधान)**

श्री नवल किशोर राय (सीतमढ़ी) : भारतीय जनता पार्टी ने संविधान बचाने का एकता परिषद में जो वायदा किया था और कहा था कि संविधान की रक्षा करेंगे, उसका क्या हुआ? ...**(व्यवधान)**

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : उसके बारे में, मैं इस स्थिति में नहीं बोल सकता ...**(व्यवधान)**

श्री लाल मुनि चौबे ; सीतामढ़ी से आने वाले सांसद बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि यहां दंगे कराने वाले लोग कौन थे, सबसे बड़े दंगाई वे खुद हैं और वे ही यहां खड़े होकर बोल रहे हैं। जितने दंगाई यहां जीतकर आए हैं, वे सैक्यूलरिज्म को बर्बाद होने देना नहीं चाहते, ये खुद दंगे करैाते हैं, मेरे पास लिस्ट और सीतामढ़ी के दंगों की सारी जिम्मेदारी वहां के सांसद पर है ...**(व्यवधान)**

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, भारत का जन्म कोई पिछले 50 साल में नहीं हुआ है। भारत एक प्राचीन राष्ट्र है। 1947 में भी किसी नये राष्ट्र का जन्म नहीं हुआ है। पांच हजार वर्ष पुरानी सभ्यता और संस्कृति का यह राष्ट्र है। इसलिये जब संविधान परिषद् बैठी थी और सैक्यूलरवाद या सैक्यूलरवाद की भावना के प्रश्न पर चर्चा हो रही थी, उस समय भी सैक्युलर का अर्थ क्या है, इसके बारे में अलग-अलग राय थी, लेकिन संविधान के निर्माताओं ने सैक्युलर शब्द संविधान में नहीं रखा। संविधान की प्रस्तावना में सैक्यूलर शब्द उस समय आया जब देश में एमरजैंसी लगी थी और हम लोग जेलों में बंद थे। विचार व्यक्त करने की आजादी नहीं थी। उस समय संविधान में संशोधन किया गया। उससे पहले धारणा यह थी की प्रस्तावना में संशोधन नहीं होना चाहिये, होगा भी नहीं, मगर प्रस्तावना में संशोधन कर दिया गया और भारत को डैमोक्रेटिक रिपब्लिक के साथ-साथ सैक्यूलर एण्ड सोशलिस्ट रिपब्लिक भी घोषित कर दिया। उस पर जो बहस हुई थी, वह मैंने ध्यान से पढ़ी है।

कांग्रेस के हर वक्ता ने, विशेषकर सरदार स्वर्ण सिंह ने इस बात पर जोर दिया था कि हमारा सैक्यूलरिज्म पश्चिम के सैक्युलरिज्म से भिन्न होगा। उन्होंने कहा कि यह बहुधर्मों का देश है ओर सैक्यूलरिज्म का अर्थ है कि किसी भी धर्म के मानने वाले के साथ भेदभाव न हो और सब धर्मों को समान दृष्टि से देखा जाए। हम इस व्याख्या को स्वीकार करते हैं और हृदय से स्वीकार करते हैं। यह हिन्दू चिन्तन का निचोड़ है। यह हमारी अस्मिता है। भारत में अनेक मत हैं अनेक मतान्तर हैं - केवल एक पुस्तक नहीं है, एक पैगम्बर नहीं है। यहां ईश्वर को माने वाले भी हैं और ईश्वर की सत्ता को नकारने वाले भी है। यहां किसी को सूली पर नहीं चढ़ाया गया और न किसी को पत्थर मारकर दुनिया से उठाया गया। यह सहिष्णुता इस देश की मिट्टी में है-एकसद विप्राः बहुधा वदन्ति। अब तो दर्शन उससे भी आगे चला गया है।

यह अनेकांतवादी देश है ...**(व्यवधान)**

श्री बीजू पटनायक ने मुझे यह विवादग्रस्त मामले उठाने से रोका है लेकिन उनके साथी मुझे उत्तेजित कर रहे हैं...**(व्यवधान)** यही तो मुश्किल है। अयोध्या की घटना तो बाद में हुई है लेकिन हमें तो पहले से ही सम्प्रदायवादी कहा जा रहा है, पहले से ही सैक्यूलर विरोधी कहा जा रहा है क्योंकि आपका प्रचार राजनैतिक है। वह तथ्यों पर आधारित नहीं है। ...**(व्यवधान)**

श्री बीजू पटनायक : आप यह बात बंद करो, आगे बोलो।

श्री मुनव्वर हसन (कैराना) : अगर आप साम्प्रदायिक नहीं हैं तो आपने कितने मुसलमानों को एम.पी. बनाया? ...**(व्यवधान)**

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, यह प्राचीन देश है। इसकी एक जीवनधारा है। वह एक सम्प्रदाय से जुड़ी हुई नहीं है। वह जीवनधारा सहस्त्रों साल से चली आई है। उसके निर्माण में सबने योगदान दिया है। ...**(व्यवधान)**

श्री हरभजन लाखा (फिल्लौर) : साम्प्रदायिकता के बारे में पी. एम. साहब जो बोल रहे हैं वह सब कुछ मनुस्मृति पर आधारित है और मनुस्मृति के सिद्धान्तों को ये साम्प्रदायिकता वाले लोग लागू करते हैं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : देश असाम्प्रदायिक रहे, भारत मजहबी राज्य न बने ...**(व्यवधान)**

श्री हरभजन लाखा : देश के आदिवासियों को मनुस्मृति के सिद्धान्तों द्वारा गुलाम बना रखा है। बाबा भीमराव अम्बेडकर ने

मनुस्मृति को जलाकर देश का नया संविधान बनाया था, परन्तु आप लोग तो कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, मैं मानता हूं कि कुछ मुद्द ऐसे हैं जो विवादग्रस्त हैं जो चर्चा को उत्तेजना देते हैं मगर चर्चा एक व्यवस्था से होनी चाहिए, चर्चा एक तरीके से होनी चाहिए। मुझे बार-बार टोका जाएगा तो मैं अपनी बात पूरी नहीं कर सकता, क्योंकि आप संख्या में ज्यादा हैं इसलिए यह फैसला करके आये हैं कि मुझे भी बोलने नहीं देंगे। ... **(व्यवधान)**

श्री लाल मुनि चौबे : अगर इसी तरह से चलता रहा, अगर यही परम्परा चलती रही तो आपको भी नहीं बोलने दिया जाएगा। ... **(व्यवधान)**

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, समय आ गया है जब हम पुरानी मान्यताओं को बदलती हुई मानसिकता के परिवेश में देखें। साम्प्रदायिकता एक तरह की नहीं होती और अगर एक तरह की साम्प्रदायिकता को उत्तेजन दिया जाएगा तो दूसरी तरह की साम्प्रदायिकता पनपेगी, इस तथ्य को अभी तक समझा नहीं गया है।

इस देश में कभी मजहबी राज्य की मांग नहीं उठी। इस देश में कभी मजहब के आधार पर, मत भिन्नता के आधार पर उत्पीड़न की बात नहीं उठी, न उठेगी, न उठनी चाहिए। और अगर उठेगी तो हम उसका विरोध करेंगे, आपको आश्वासन देना चाहते हैं। भारत सैक्युलर रहना चाहिए। हम अपने पड़ौसी देशों की तरह से मजहबी राज्य नहीं बनेंगे। लेकिन क्या इसका अर्थ यह है कि हमारी कोई जड़ें नहीं हैं? क्या इसका अर्थ यह है कि हमारे कोई जीवन मूल्य नहीं है? यह पांच हजार साल की सभ्यता और संस्कृति जो हमें विरासत में मिली है और जिस पर हमें गर्व है, अभिमान है, वह सभ्यता और संस्कृति किसी तरह से हमारे जीवन को बनाती रही है। क्या उसको विस्मृत करें।

मुझे याद है देश के दुर्भाग्य पूर्ण विभाजन के बाद पंडित जवाहर लाल नेहरू अलीगढ़ विश्वविद्यालय में भाषण करने के लिए गए थे। वहां दीक्षान्त समारोह था। उनके भाषण का एक अंश मैं आपके सामने उद्धृत करना चाहता हू :-

[अनुवाद]

> "मैंने कहा है कि हमें अपनी विरासत तथा अने पूर्वजों पर गर्व है जिन्होंने भारत को बौद्धिक और सांस्कृतिक ख्याति प्रदान की। इस अतीत के विषय में आपके क्या विचार हैं। क्या आप महसूस करते हैं हम इसमें भागीदार हैं और इसके उत्तराधिकारी हैं, इसलिए उस किसी भी चीज पर गर्व करते हैं जो जितनी मेरी है उतनी ही आपकी भी है अथवा आप उससे अपने आपको अलग समझते हैं? इस विशाल खजाने के न्यासी एव उत्तराधिकारी होने की अनुमति से हमें जो अनुपम उल्लास की प्राप्ति होती है क्या वह बिना अवबोधन के है? आप मुस्लिम हैं और मैं हिन्दू हूं। हम भिन्न-भिन्न धार्मिक आस्थाओं में विश्वास रख सकते हैं और नहीं भी रख सकते हैं किन्तु इससे वह विरासत नहीं चली जाती, यह आपकी भी है और मेरी भी है। अतीत हमें एक साथ जोड़ता है जबकि हमारा वर्तमान अथवा भविष्य हमें एक दूसरे से अलग करता है।"

[हिन्दी]

ये नेहरू जी के विचार हैं अपने अंतिम दस्तावेज में नेहरू जी ने जो कुछ लिखा है और जो आज पाठ्यपुस्तकों का विषय बन गया है, अध्ययन का विषय बन गया है, उसको फिर से पढ़ने की जरूरत है। नेहरू जी पर कोई पुरातनपन्थी होने का आरोप नहीं लगा सकता, लेकिन नेहरू जी ने उस विरासत की बात की है जो शताब्दियों से हमें मिली है और इस बात की भी तारीफ की है और हम अपने दिमाग खुले रखते हैं, हम खिड़कियां खुली रखते हैं, मगर यह भी कहा है कि हम अपने पांव पर मजबूती से खड़े रहते है मैं पूछता हूं कि नेहरूजी ने जिस कल्चरल इनहेरीटेस, की बात की थी क्या आज उसकी स्वीकृति है? क्या जो हमारा अतीत है उसमें सबको अभिमान है?

बहुत से विदेशी यहां आए। लोगों को शरण मिली। हमने निरीह आने वालों को, उजड़ कर आने वालों को वास नहीं किया । भारत माता की गोद में सबको जगह मिली। जो अपना देश छोड़कर, उत्पीड़न का शिकार हो यहां आए, उन्हें जगह मिली। भारत में पहली मस्जिद हिन्दू राजा की अनुमति से केरल में बनी। भारत में पहला चर्च भी केरल में बना, वह भी अनुमति से। यह हमारे रक्त का रंग है। यह जीवन की घुट्टी में हैं। मज़हब के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। सबको अपनी आस्था के अनुसार चलने की छूट होनी चाहिए। सबके साथ बराबर व्यवहार होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। बराबर व्यवहार नहीं हो रहा है। इसलिए कठिनाई पैदा हो रही है। इसलिए लोगों के मन में शकाएं उठ रही हैं। उन शंकाओं का हमारे मित्र निराकरण नहीं करेंगे क्योंकि ये तो वोट की राजनीति में पड़े हैं। लेकिन मैं आज कहना चाहता हूं कि आवश्यकता इस बात की है कि उन प्रश्नों पर भी एक राय बनाई जाए । जब शाहबानों का मामला उठा और सुप्रीम कोर्ट में गया और फैसला हुआ, तो उस पर एक राय बन सकती थी, कदम उठाए जा सकते थे, नहीं उठाये गये।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : प्रधानमंत्री जी, क्या आप दोपहर के भोजन से पहले अपना वक्तव्य समाप्त करेंगे अर्थात अब से पांच मिनट के अन्दर अथवा आप मध्याह्न भोजन के पश्चात् भी अपना वक्तव्य जारी रखना चाहेंगे?

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, पांच मिनट तो पर्याप्त नहीं होंगे।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : हम मध्याह्न भोजन के लिए उठ सकते हैं। आप मध्याह्न भोजन के पश्चात् अपना वक्तव्य जारी रख सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, इस सारे सवाल पर गंभीर बहस नहीं हुई, होनी चाहिए। एक कटु सत्य हम समझ लें। इस देश में हिन्दू बहुसंख्या में हैं मगर उनमें एक माईनौरिटी काम्प्लैक्स जैसा विकसित हो रहा है। माईनौरिटी में अगर काम्प्लैक्स हो तो मैं समझ सकता हूं। जो संख्या मे कम हैं, वे संरक्षण की बात करें उन्हें संरक्षण मिलना चाहिये। यह राज धर्म है और इसलिए जहां हम राष्ट्र की सुरक्षा पर बल देते हैं वहां इस बात पर भी बल देते हैं कि देश के भीतर हर अल्पसंख्यक की जान, माल, इज्जत और धर्म की हिफाजत होनी चाहिये। लेकिन इसके साथ यह भी कहने की जरूरत है कि भारत के हर नागरिक की जान, माल और इज्जत की रक्षा होनी चाहिये।

मैं उल्लेख कर रहा था, विदेशों से जो उत्पीड़ित होकर भारत अयो, लेकिन आज जो कश्मीर की घाटी से उत्पीड़ित देश के और भागों में आये हैं, उनकी वेदना कैसे भूली जा सकती है। बड़ी संख्या में हिन्दू और मुसलमान आतंकवाद से पीड़ित हैं। मगर उनको बसाने का, उनके घाव पर मरहम रखने का, काम क्यों नहीं हुआ। क्या कोई पार्टी उनके लिए नहीं बोलेगी। बोलेंगे तो हम बोलेंगे ओर इसलिए हम संप्रदायवादी करार दिये जायेंगे। वे भी भारत के नागरिक हैं। उनका हिन्दू होना तो कोई उपराध नहीं है।

[अनुवाद]

डा. अरून कुमार शर्मा (लखीमपुर) : अल्पसंख्यक सम्प्रदायों की कीमत पर ...**(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : कश्मीर में सूफी विचारधारा का विकास हुआ। जब हिन्दू और मुसलमान साथ आये, जब चिंतक मिले तब सूफी विचारधारा पनपी। मुझे मालूम है कि जब अमरनाथ के मंदिर के लिए यात्री जाते है तो उसमें मुसलमान किस तरह से योगदान देते हैं यात्रियों को कंधे पर ले जाते हैं और सोमनाथ में मिलने वाली जो पूजा की रकम है। ...**(व्यवधान)** उसमें

कुमारी ममता बनर्जी : सोमनाथ नहीं, वह अमरनाथ है। ...**(व्यवधान)**

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मुझे सारे नाथ एक ही दिखाई देते हैं। ...**(व्यवधान)** उसमें मुसलमान भाइयों को हिस्सा मिलता है। यह परम्परा कौन तोड़ना चाहता है? इसका योजनाबद्ध प्रयास हो रहा है। सीमा के पार से भी हो रहा है। आखिर चरार-ए-शरीफ को आग की भेंट क्यों चढ़ाया गया? इन आतंकवादियों को यह पसन्द नहीं था कि कश्मीर की घाटी में, अलग-अलग समाज के लोग, अलग-अलग धर्म के लोग, जातियों के लोग मिलकर रहें। चुनाव के बाद जो दृश्य बना, उसमें कुछ क्षेत्रों में ये उम्मीद की जा रही है कि भारत कमजोर हो जायेगा, भारत में अस्थिरता आ जायेगी और भारत अपने राष्ट्रीय उद्देश्यों से डिग जायेगा। मैं ऐसी बाहरी ताकतों को और भीतरी शक्तियों को भी चेतावनी देना चाहता हूं कि जो भी परिवर्तन आयेंगे, वे परिवर्तन हम हजम करेंगे। जो भी परिवर्तन आयेंगे, उन्हें हम सहन करके अपने को उनके अनुसार ढालेंगे। मगर हम भारत के राष्ट्रीय हितों की पूरी तरह से रक्षा करेंगे।

देश की कुछ नीतियां हैं जिन पर आम सहमति है। यह सहमति पुरानी सरकार ने भी बनाए रखी। नेहरू जी के जमाने से बनी हैं। मैंने जब विदेश नीति पर पहला भाषण दिया था तो मैंने कहा कि गुट निरपेक्षता की नीति पंडित जी अपकी नीति नहीं है। अगर आप न होते तो भी भारत को गुट निरपेक्षता की नीति पर ही चलना था। देश किसी गुट में जाने की भूल नहीं कर सकता। हम इतना छोटा देश नहीं हैं कि कोई उसको जेब में रख ले और हम उसके पिछलग्गू हो जायें। अपनी आजादी के लिए लड़े, दुनिया की आजादी के लिये लड़े और बाद में हम किसी गुट में चले जायें? ऐसा नहीं हो सकता था। गुटों से अलग रहने की नीति सही नीति थी और देश उस पर चलता रहा।

अपराह्न 1.00 बजे

मगर आज नए संकट खड़े हो रहे हैं शीत युद्ध की समाप्ति के कारण। हमारे चारों तरफ का सुरक्षा का वातावरण बिगड़ रहा है। इस संक्रमणकाल में दबाव बढ़ने की आशंका है, आर्थिक दबाव भी और सुरक्षा के मामले में दबाव भी। जहां तक मेरी सरकार का संबंध है, हम उन दबावों के सामने झुकेंगे नहीं, यह मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं और मुझे विश्वास है कि इसमें सारे सदन का और सारे देश का मुझे सहयोग मिलेगा।

अध्यक्ष महोदय, भोजनोपरान्त जब थोडी सी जठराग्नि शान्त हो जाए, उसके बाद मैं आहूति डालूंगा।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय प्रधानमंत्री जी, मैं आपको यह बता देना चाहता हूं कि भा.ज.पा. को एक घंटे और छप्पन मिनट का समय आवंटित किया गया है जिसमें से एक घंटा और सत्रह मिनट का समय बीत चुका है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं केवल सूचित कर रहा हूं। प्रधानमंत्री जितना भी चाहे, उतना समय ले सकते हैं।

(व्यवधान)

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : व्यवधानों का क्या होगा?

[अनुवाद]

अपराह्न 1.01 ½ बजे

सभापति तालिका के बारे में घोषणा

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों, मुझे यह सूचित करना है कि प्रक्रिया नियम के नियम 9 के अन्तर्गत मैंने निम्नलिखित सदस्यों को सभापति तालिका के लिए नाम-निर्दिष्ट किया है :

1. श्री चित्त बसु
2. श्री नीतिश कुमार
3. श्रीमती गीता मुखर्जी
4. श्री पी.एम. सईद
5. श्रीमती विजयाराजे सिंधिया
6. प्रो. रीता वर्मा

अपराह्न 1.02 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिये अपराह्न 2 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 2.01 बजे

लोक सभा अपराह्न 2.01 बजे भोजनावकाश के उपरान्त पुनः समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

मंत्रिपरिषद में विश्वास के प्रस्ताव पर चर्चा—जारी

प्रधान मंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी) : अध्यक्ष महोदय, अपने भाषण को उपसंहार की ओर ले जाते हुए मैं एक मुद्दा उठाना चाहता हूं।

इस सदन में और देश के भीतर भी इस सवाल पर एक आम राय है कि समाज में परिगणित जाति के पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं, उसके साथ ऐतिहासिक कारणों से, समाज व्यवस्था के दोषों के परिणामस्वरूप न्याय नहीं हुआ। उन्हें बराबरी के अवसर नहीं मिले और इसलिए वह दौड़ में पिछड़ते गये। समाज के बाकी के वर्गों के साथ कदम से कदम मिलाकर नहीं चल सके। संविधान में जनजातियों के लिए और पिछड़े वर्गों के लिए भी, जो शिक्षा और समाजिक दृष्टि से पिछड़े हैं, उनके लिए आरक्षण का प्रबन्ध किया था। आरक्षण के सम्बन्ध में जब भी फैसले हुए, सर्व सम्मति से फैसले हुए। इस सवाल पर एक आम राय रही है। सुप्रीम कोर्ट के इस मामले में फैसले के बाद पिछड़े वर्ग से सम्बन्धित आरक्षण पर यह निर्णय हुआ है कि जिन राज्यों में 50 फीसदी से ज्यादा आरक्षण पहले से चल रहा है, वहां तो चलता रहे लेकिन अन्य राज्यों में पिछड़े वर्ग के लिए 50 फीसदी से अधिक आरक्षण नहीं होना चाहिए। डा. अम्बेडकर ने भी संविधान परिषद में इस बात का समर्थन किया था कि आरक्षण की सीमा 50 फीसदी रहनी चाहिए। शेष 50 फीसदी स्थान प्रतियोगिता के लिए छोड़ दिये जाने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें क्रीमिलेयर की चर्चा की और यह चाहा कि कोई कमेटी बने जो क्रीमिलेयर को तय करे। जो पिछड़े हुओं में भी अधिक पिछड़े हुए हैं, उनकी पहले चिंता करे, उनका पहले ध्यान करे। बिहार के स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर गरीबों के साथ अति-गरीब की बात करते थे। पिछडे वर्ग में जो साधन सम्पन्न हैं, जिनके पास जमीन है, जिनका गांव में प्रभाव है, वे तो अपनी उन्नति आप करने में समर्थ हैं, अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं, उनके लिए मदद की आवश्यकता नहीं है। लेकिन कई प्रदेशों में सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को ईमानदारी से लागू नहीं किया गया। अलग-अलग कारण दिये गये हैं और इस निर्णय को निष्फल कर दिया जाये, इस बात का प्रयास किया गया है। इस सम्बन्ध में सब दलों से परामर्श करके समाज के विभिन्न वर्गों से चर्चा करके एक निश्चित और स्पष्ट नीति बनाने की आवश्यकता है।

अध्यक्ष महोदय, इस समस्या का एक और पहलू है। हम सामाजिक न्याय से प्रतिबद्ध हैं। जिनके साथ अभी तक न्याय नहीं हुआ, उनके साथ न्याय होना चाहिए, जल्दी न्याय होना चाहिए। समाज में जो भेदभाव है वह दूर होना चाहिए। इसके लिए कानून की भी सहायता ली गई है। लेकिन यह बहुत आवश्यक है कि विषमता दूर करते हुए सामाजिक कटुता पैदा न की जाये, जातीयता को न भड़काया जाये। आज जाति के सवाल पर देश बंटा हुआ दिखाई देता है। यह जातिवाद का जहर समाज के हर वर्ग में पहुंच रहा है। यहां तक कि सेवाएं भी इससे अछूती बची है, ऐसा विश्वासपूर्वक नहीं कहा जा सकता। यह स्थिति सबके लिए चिंताजनक है। अगर हम इसकी ओर ध्यान नहीं देंगे तो साम्प्रदायिकता के अभिशाप से देश पहले से ग्रसित है, और एक नई समस्या खड़ी हो जायेगी, जो समाज के ढांचे को क्षति पहुंचायेगी, गांव-गांव में समस्या पैदा करेगी। हमें सामाजिक समता भी चाहिए और समरसता भी चाहिए।

पंचायत राज संस्थाओं का निर्माण करके, उनका विकास करके और पंचायतों में सबको भागीदारी देकर और विशेषकर महिलाओं को उनका अधिकार देकर हमने जो उठाया है, उस कदम का अगर सुपरिणाम प्राप्त करना है तो उसके साथ सम्बन्ध में भी दृष्टिकोण में परिवर्तन की आवश्यकता है।

मुझे विश्वास है कि सदन इस सवाल पर गौर करेगा और इस सम्बन्ध में एक सर्वसम्मत नीति निर्धारित की जायेगी, जो सामाजिक न्याय को पुष्ट करे, मगर सामाजिक समरसता को भंग न होने दे। समरसता का अर्थ यह नहीं है कि कुरीतियों को सहन किया जाये। समरसता का अर्थ यह नहीं है कि दबे हुए, पिछड़े हुओं के साथ दुर्व्यवहार किया जाये, लेकिन समरसता का अर्थ यह है कि हम सब

भारत माता के पुत्र-पुत्रियां हैं, हमें मिलकर अपनी समस्याओं को हल करना है। एक दूसरे के प्रति करूणा, संवेदना का भाव रखना है। कोई सुधार अगर उसके मूल में करूणा नहीं है, कोई सुधार अगर उसके मूल में संवेदना नहीं है तो कानून की दृष्टि से थोड़ा बहुत लाभ पहुंचा सकता है, मगर समाज में स्थाई परिवर्तन नहीं ला सकता। जरूरत है कि समाज में स्थाई परिवर्तन लाने के लिए कदम उठाये जायें।

[अनुवाद]

श्री राम नाईक (मुम्बई उत्तर) : क्या विपक्ष के नेता नहीं बोल रहे हैं?...**(व्यवधान)**...मेरा जानकारी का प्रश्न है।

एक माननीय सदस्य : इसका निर्णय हम करेंगे।

श्री राम नाईक : यह आपका निर्णय होगा। लेकिन मैं अध्यक्ष महोदय से यह पूछ रहा हूं कि क्या विपक्ष के नेता बोलेंगे अथवा नहीं।

अध्यक्ष महोदय : यह पार्टी का आन्तरिक निर्णय है।

[हिन्दी]

श्री शरद पवार (बारामती) : इस विश्वास प्रस्ताव पर विरोध करने से पहले मैं श्रद्धेय प्रधानमंत्री और आधुनिक देश के शिल्पकार पंडित जवाहर लाल नेहरू को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। साथ-साथ उनसे माफी मांगता हूं कि उन्होंने अपने जीवन में प्रजातन्त्रीय जीवन में एकता मानी और संसदीय लोकतंत्रीय पद्धति के बारे में उन्होंने हमेशा ही अच्छी तरह से सोचा। वह सदन में कई सालों तक प्रजातंत्र की रक्षा करने के लिए बैठे थे मगर आज उसी सदन में जिनको बहुमत नहीं है, ऐसे व्यक्ति प्रधानमंत्री के पद पर यहां बैठे हैं और एक तरह से प्रजातंत्र को कलंकित करने का काम यहां हो रहा है...**(व्यवधान)**

श्री राम नाईक : लास्ट टाईम किसको बहुमत मिला था?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए। आपको व्यवधान करने का कोई अधिकार नहीं है।

[हिन्दी]

श्री शरद पवार : अध्यक्ष जी, मैं प्रधानमंत्री जी की बड़ी इज्जत करता हूं। यह सज्जन व्यक्ति हैं। वह माननीय हैं। उन्होंने संघ परिवार में रहकर भी अपना कवि मन सम्भाला है। संघ परिवार में रहते हुए उन्होंने विचारों में संतुलन बनाये रखने की हमेशा कोशिश की है। उन्होंने अपनी पार्टी को गांधीयन शोसलिजम का विचार देने की भी कोशिश की है। जब बाबरी मस्जिद शहीद हुई...**(व्यवधान)**...तब उन्होंने कहा था कि "मैं राजनीति के योग्य नहीं हूं" फिर भी इतनी इज्जत करने के बाद भी मैं...**(व्यवधान)**...फिर भी इतनी इज्जत करने के बाद भी माननीय प्रधानमंत्री अटल जी जो विश्वास प्रस्ताव लाये हैं, उसका विरोध करना मैं अपना फर्ज समझता हूं क्योंकि ग्यारहवीं लोकसभा के चुनाव में उनको बहुमत तो दूर एक तिहाई सीटें भी नहीं मिली हैं और आज यहां बैठे हैं।...**(व्यवधान)**

श्री हरिन पाठक (अहमदाबाद) : आपके पास कितनी सीटें हैं?

श्री शरद पवार : सभी साथी लोगों की मदद लेने के बाद... **(व्यवधान)**...बड़ा दुःख हो रहा है, अध्यक्ष जी। एक-तिहाई भी सीट मिले बिना इस जगह पर आप बैठे हैं। ऐसा करने के बाद इनको बड़ा दुःख हो सकता है, मैं समझ सकता हूं आपकी व्यथा। यहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्ता में आ गई, तब इस देश के करोड़ों लोगों की चिन्ता भी बढ़ गई। ये सभी लोग देखने के बाद जो उनके साथी हैं, जिन्होंने उनको समर्थन दिया है, यह सभी देख कर लगता है कि 190 से ज्यादा उनको समर्थन हो नहीं सकता है।...**(व्यवधान)** फिर भी भारत के माननीय राष्ट्रपति जी ने सिंगल लर्जेस्ट पार्टी के नाते समझ इनको बुलाया। इससे मुझे दुःख नहीं है, मगर मुझे दुःख इस बात का है कि जब उनको मालूम था...**(व्यवधान)** जब उनके पास समर्थन नहीं है, फिर भी सरकार बनाने का प्रयास यहां किया और एक तरह से प्रजातन्त्र को कलंकित करने का काम यहां हुआ है। यहां बहुमत नहीं है। मिले हुए वोट भी कांग्रेस से कम हैं और बहुत बातें कही गई। कहा गया जनादेश है, मगर मिले हुए वोट भी कांग्रेस से कम हैं। ...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री गुमान मल लोढा (पाली) : माननीय अध्यक्ष महोदय मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री सुरेश कलमाडी (पुणे) : आप किस नियम के अन्तर्गत इसे उठा रहे हैं?

श्री गुमान मल लोढा : सरकार बनाने के लिए श्री वाजपेयी को माननीय राष्ट्रपति जी ने आमंत्रित किया था। यह माननीय राष्ट्रपति पर आक्षेप है इनका यह कहना कि उन्होंने कलंकित किया... **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : व्यवस्था का प्रश्न एक विशेष नियम के अन्तर्गत उठाया जा सकता है। आप इसे किस नियम के अन्तर्गत उठा रहे हैं? आप उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे। आपको निमय का पता होना चाहिए।

डा. देवी प्रसाद पाल (कलकत्ता उत्तर पूर्व) : वे इस बात से पूर्णतया अवगत थे कि वे किसी भी तरह सरकार नहीं बना सकते हैं।. ..**(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री शरद पवार : कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी को राष्ट्रीय जनादेश मिला है। अध्यक्ष जी, यहां बहुमत में कांग्रेस से वोट कम हैं और भारत के 19 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को एक भी सीट मिली नहीं है। समर्थन भी नहीं मिला है। असम में एक छोड़ कर एन्टायर नार्थ ईस्ट, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, केरल, तमिलनाडु, आन्ध्र प्रदेश, गोवा, पंजाब आदि राज्यों में एक भी सीट नहीं मिली है और राष्ट्रीय जनादेश की बात यहां कही जाती है।

यहां बार-बार बताया गया।...(**व्यवधान**)

आप जो कह रहे हैं यह बिल्कुल सच है। इस समय कांग्रेस को अच्छी तरह से समर्थन नहीं मिला है, यह मैं मानता हूं। मगर देश में 26 राज्य ऐसे हैं जहां कांग्रेस को सीटें मिली हैं। आज भी सदन में भारतीय जनता पार्टी यहां देश के कुछ हिस्सों का प्रतिनिधित्व करती है और मुझे यह कहने में खुशी होती है कि आज भी इस सदन में देश के बहुत से बड़े हिस्सों का प्रतिनिधित्व कांग्रेस पार्टी करती है, यह परिस्थिति है।

महोदय, क्या भारतीय जनता पार्टी को जो सीटें मिली हैं, जो 1989 में कांग्रेस को सीटें मिली थी उससे ज्यादा हैं? फिर जनादेश का यहां झूठा दावा किस लिए करते हैं? आज भारतीय जनता पार्टी को जितनी सीटें मिली हैं इससे ज्यादा सीटें राजीव जी के नेतृत्व पर कांग्रेस पार्टी को इस सदन में पहले मिली थीं। मगर बिना बहुमत के सरकार बनाने का दावा राजीव जी ने कभी नहीं किया था और उन्होंने राजनैतिक, प्रजातांत्रिक परिस्थिति की इज्जत रखने का, संस्था की इज्जत रखने का काम यहां अच्छी तरह से किया था, यह आपको याद होगा। श्री मोरारजी भाई देसाई ने जब प्रधानमंत्री पद छोड़ दिया तब स्वर्गीय यशवंत राव चव्हाण जी को आदरणीय राष्ट्रपति जी ने सरकार बनाने का मौका दिया था। उनके पास स्पष्ट बहुमत नहीं था इसलिए उन्होंने कुछ दिनों का प्रधानमंत्री बनने का मोह टाला था। यह भी इस देश का पार्लियामेंट का इतिहास है।...(**व्यवधान**)

श्री मोहन रावले : उन्होंने कोशिश की थी।...(**व्यवधान**)

श्री शरद पवार : बिल्कुल नहीं। बहुमत नहीं था यह मालूम होने के बाद उन्होंने शपथ नहीं ली थी।...(**व्यवधान**) मालूम नहीं किस ने सलाह दे दी।...(**व्यवधान**) इतने सालों का ब्रह्मचर्य उस बारात के लिए तोड़ दिया जिस में दुल्हन का पता नहीं। सदा नैतिकता की बातें करने वाले आज संसद में बहुमत की उम्मीद भी न होने पर सत्ता लेकर बैठे हैं। अच्छा हुआ कि पिछले 8-10 दिन इस देश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत देखी। देश के इतिहास में लिखा जाएगा कि चार दिन की सत्ता पाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने बहुमत होने का नकली दिखावा करके देश की लोकतांत्रिक परम्परा को कलंकित किया। यह अपने आपको भुलावा दे सकते हैं लेकिन इस संसद को नहीं और देश को तो बिल्कुल नहीं। गालिब ने कहा है-

"मैंने माना कि कुछ नहीं गालिब, मुफ्त में आए तो बुरा क्या है"

भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहा गया था कि जब तक हमें 225 सीटें नहीं मिलती तब तक हम प्रधानमंत्री पद के लिए दावा करने वाले नहीं हैं। सरकार बनाकर हॉर्स ट्रेडिंग चलने वाले नहीं हैं। आज यहां पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि इस रास्ते से हम जाना नहीं चाहते। मैं इस पर ज्यादा नहीं बोलना चाहता हूं। मगर अखबार में जो लिखा है उसके आधार पर बताना चाहता हूं कि पिछले 5-10 दिन में क्या हुआ। इसका पता इस सदन में बैठने वाले बहुत से सदस्यों को है, उनको मालूम है कि उनको क्यों मिले थे। उनको मालूम है कि उनको क्या सुझाव दिए थे। मगर मैं इससे ज्यादा इस पर नहीं बोलना चाहता हूं कि इन्होंने बहुमत न होने के बावजूद सरकार बनाने का प्रयास क्यों किया, इसमें हॉर्स ट्रेडिंग की बात इनके मन में सौ प्रतिशत थी। यह इनका दुर्भाग्य है और हमारा भाग्य है कि किसी ने अच्छी तरह से इनका साथ नहीं दिया। यह बहुमत लेने के लिए कहां तक गए जिसका जिक्र आज प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में आदरणीय राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के बारे में किया है। यह बात सच है कि धारा 370 के बारे में इसमें कुछ नहीं कहा है और यह भी सच है कि मंदिर के सवाल के बारे में इन्होंने इसमें कुछ नहीं कहा है।

यह बात सच है कि कॉमन सिविल कोड के बारे में राष्ट्रपति के अभिभाषण में कुछ कहा नहीं गया। यह जो कुछ बदलाव नजर आ रहा है यह सच नहीं है। जो बात आज राष्ट्रीय सहमति की शुरू हुई है यह भी परिवर्तन नहीं है। श्रीकृष्ण आयोग पर महाराष्ट्र सरकार को फिर सोचना चाहिए, यह जो कल कहा गया यह परिवर्तन नहीं है। मैं प्रधानमंत्री जी को पूछना चाहता हूं कि आप भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और एक साल से महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी और शिव-सेना की हुकूमत है, उन्होंने श्रीकृष्ण कमीशन स्क्रैप किया, अच्छा काम जो वहां चालू था उसे बंद किया और गुंडों को बचाने के लिए सहयोग दिया तो आप चुप क्यों बैठे थे?...(**व्यवधान**) यह तो परिवर्तन है, यह जो उदारता है यह सत्ता में बैठने के लिए है। इस उदारता के पीछे परिवर्तन का विचार बिल्कुल नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, उर्दू में एक शेर है "मेरे शहर की इनायतों से बचकर रहो, यह सिर का बोझ नहीं सिर उतार लेती है।"...(**व्यवधान**) पिछले पांच-छः दिन आप देखें। जब बहुमत प्राप्त करने में कामयाबी नहीं मिली तो बात इस देश में शुरू हो गयी कि फिर चुनाव होगा, संसद भंग हो जाएगी।...(**व्यवधान**) यह धमकी किसके लिए है? इस धमकी से कोई डरने वाला नहीं। धर्म-निरपेक्षता पर भरोसा रखने वाली ताकतें अभी यहां मौजूद हैं और वे बहुमत दिखाएंगी।...(**व्यवधान**) कांग्रेस को अच्छा समर्थन इस लोकसभा में नहीं मिला, इस बारे में कुछ शब्द सदन के सामने माननीय प्रधानमंत्री जी ने रखे थे। मैं मानता हूं कि हमारी संख्या कम हो गई है।...(**व्यवधान**) राजनैतिक पार्टियों के जीवन में ऐसी स्थिति आती है। मुझे याद है मैं भी इस सदन में आकर बैठा था जब आपकी पार्टी के लोग 80 से दो पर आकर बैठे थे।...(**व्यवधान**) आप 5 साल पहले की स्थिति याद करें देश की आर्थिक परिस्थिति खराब थी। उस समय बहुत से महत्वपूर्ण कदम उन परिस्थितियों को ठीक करने के लिए प्रधानमंत्री नरसिंह राव जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने उठाए थे।

पिछले पांच साल पहले पंजाब की स्थिति क्या थी? आज मेरे कहने की जरूरत नहीं है कि पंजाब में अब शांति है। पंजाब में चुनाव प्रक्रिया बहुत अच्छी तरह से पूरी हो चुकी है। वहां प्रजातंत्र सफल हुआ है। यह कांग्रेस का योगदान था। कश्मीर के चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई। चुनाव प्रक्रिया में विरोध करने वाला काम जिन शक्तियों ने किया उसमें भारतीय जनता पार्टी भी एक थी। इस तरह से कश्मीर की जनता ने चुनाव में शामिल होकर पूरे देश को यह दिखाया कि कश्मीर में चुनाव की प्रक्रिया शुरू करने वाली कांग्रेस के जो कदम थे

वे ठीक थे। उसको सहमति का काम, एक तरह की सहमति का काम कश्मीर की जनता ने किया। अपने कश्मीर में चुनाव की प्रक्रिया का विरोध किया था।...**(व्यवधान)** ऐसे कई अच्छे कार्य पांच साल में हमने किये। लेकिन इन अच्छे कामों को बताने के लिए हम लोगों तक पहुंचं नहीं सके।...**(व्यवधान)** और इसकी कीमत हमें चुकानी पड़ी।..**(व्यवधान)** कांग्रेस ने आजादी के बाद कभी हार नहीं देखी, ऐसी बात नहीं है। कांग्रेस ने इससे पहले दो बार हार देखी थी। फिर भी उन्होंने पिछड़े वर्ग के लोगों को ऊपर उठाने का काम कभी नहीं छोड़ा, उनसे रिश्ता कभी नहीं छोड़ा। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि भले ही हमारी हार हुई होगी, भले ही हमारी संख्या कम हुई होगी, मगर कांग्रेस पूरे देश की जनता के बीच में जाकर विशेष कर पिछड़े वर्ग को मजबूत करने का काम शुरू करेगी। इसमें कोई दो राय नहीं है। देश की स्थिति को देख कर प्रधान मंत्री जी ने कहा कि देश को स्थिरता चाहिये। मैं उनकी इस बात से सहमत हूं। उन्होंने यहां बतलाया कि आसपास के देशों में जो तरक्की हो रही है, उस पर हमें ध्यान देना चाहिये। मैं उनसे सहमत हूं मगर यह तभी हो सकता है जब सामाजिक और राष्ट्रीय एकता में विश्वास रखने वाली शक्तियां मजबूत होंगी। चाहे आप इसे खिचड़ी सरकार कहें मगर उसके सत्ता में आये बिना इस देश में कोई काम नहीं हो सकता है। हम भारतीय जनता पार्टी का विरोध इसलिये करते हैं कि उनकी विचारधारा से हम सहमत नहीं हैं।

आज प्रधान मंत्री ने सैकुलरिज्म पर अपने विचार रखे। सवाल यह है कि केवल कहने से बात पूरी नहीं होती है, उस पर एक्शन क्या लिया, उस पर लोगों को भरोसा होना चाहिये। संघ परिवार और उसकी साथी भारतीय जनता पार्टी एक तरह से पुरातनवादी हिन्दू राष्ट्रवाद में विश्वास रखती हैं। उन्होंने अपने इलैक्शन मैनिफैस्टो में हिन्दुत्व का प्रचार किया और राष्ट्रवाद का प्रचार किया। उन्होंने विवादपूर्ण राम मंदिर बनाने का आश्वासन दिया। कल लखनऊ की सभा में साक्षात प्रधान मंत्री ने वहां राम मंदिर बनाने की बात कही।...**(व्यवधान)** भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि राम मंदिर बनाने का हमारा कमिटमैंट है, मथुरा और काशी हमारे एजेंडा में नहीं हैं। सवाल राम मंदिर का नहीं है लेकिन संघ परिवार अनेक मुंह से बोलने वाला परिवार है।...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप क्या कर रहे हैं?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप क्या कर रहे हैं? कृपया बैठ जाइए।

[हिन्दी]

श्री शरद पवार : भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहा जाता है कि राम मंदिर बनाने का हमारा कमिटमैंट है। मथुरा और काशी हमारे एजेंडा में नहीं है। इनकी साथी विश्व हिन्दू परिषद मथुरा और काशी में भी मंदिर बनाने की बात कहती है। आप इसका क्या जबाव देना चाहते हैं?...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

कुमारी ममता बनर्जी : महोदय, यह क्या है?...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कृपया, यहां देखिए, आप सभी इस सदन के जिम्मेदार सदस्य हैं। सारा देश आप को देख रहा है। सीधा प्रसारण हो रहा है। कृपया अच्छा व्यवहार कीजिए। आप सभी जनता के प्रतिनिधि हैं।

... (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री शरद पवार : मुझे बहुत खुशी हुई जब प्रधान मंत्री ने यहां कहा कि मजहब के नाम पर भेदभाव नहीं होना चाहिये। 11वीं लोकसभा के चुनाव में एक भी मुस्लिम उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी ने दिया नहीं था। लंदन के 'इकॉनामिक्स' के लेटेस्ट इशू में लिखा है।

[अनुवाद]

भा.ज.पा. के पास भी कुछ दिखावटी मुसलमान हैं।

[हिन्दी]

और सिकन्दर बख्त जी खुश हुये। मैं समझता था कि आदरणीय सिकन्दर बख्त जी ऐसे दिखावे वाले नहीं हैं। ऐसा लगता था कि अनेक साल बीजेपी की दिल से सेवा करने के बाद जब बाबरी मस्जिद पर हमला होने के बाद बीजेपी को समर्थन दिया, यह मैं जानता हूं। मुझे लगता था कि इतने सालों से बीजेपी की सेवा और इनकी जयेष्ठता की इज्जत रखकर उनको मंत्री पद मिलेगा मगर उनके द्वारा मंत्रीपद की शपथ लेने के बाद 5-6 दिन तक अच्छे डिपार्टमेंट के लिये घर पर बैठना पड़ा। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि मजहब के नाम पर भेदभाव नहीं करना चाहिय, इस पर मैं सहमत हूं। क्या एक्शन दिखाई देता है? जनादेश के नाम पर 23 परसेंट वोट जिस पार्टी को मिले हों, ऐसी बीजेपी देश पर हुकूमत करना चाहती है। हम लोगों ने जब विरोध किया तो यह प्रचार करना शुरू किया गया कि बीजेपी के खिलाफ बहुत बड़ी कांस्पीरेंसी हो रही है। धमकियां देना शुरू हुआ और मुम्बई शहर में बाल ठाकरे ने कहा कि यदि अटल जी की सरकार गिर गयी तो देश में सिविल वार हो जायेगा। इससे साबित होता है कि आपका विश्वास प्रजातंत्र में नहीं है। इसलिये हम इस विश्वास प्रस्ताव का विरोध करते हैं। माननीय अटल जी द्वारा विश्वास प्रस्ताव भारी बहुमत से नामंजूर होने के बाद देश में स्थिरता नहीं रहेगी, यह बात कुछ दिनों से बड़े पैमाने पर बहुत से अखबारों में आ रहा है। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि आज सब सैकूलर पार्टियां एक हुई हैं और उनके पास संसद में स्पष्ट बहुमत है। मैं यह मानता हूं कि कई पार्टियों की नीतियों में और हमारी कांग्रेस पार्टी की नीतियों में अंतर है मगर देश में स्थिरता की जरूरत है। कभी कभी पालिटिकल कम्पल्शन होता है लेकिन कम से कम देश में एकता रखने वाली और सैक्यूलरिज्म के विचारों में भरोसा रखने वाली पालिटिकल पार्टीज

यहां एक होने का काम कर रही है तो कांग्रेस ने तय किया है कि यूनाईटेड फ्रंट को बाहर से समर्थन देंगे। जब तक गरीब जनता की उन्नति की और देशहित की नीति रहेगी तब तक कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से आने वाली हुकूमत को मदद करने वाली है।

अध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन में बीजेपी सरकार के विश्वास मत का विरोध करता हूं। यह सदन देश की करोड़ों जनता की आशा-आकांक्षा की पूर्ति करने वाली है इसलिये इसके सामने कहना जरूरी है कि इस अल्पमत सरकार पर देश का भरोसा नहीं है। अतः इस विश्वास प्रस्ताव का विरोध करना मेरा नैतिक और राष्ट्रीय कर्तव्य है।

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : अध्यक्ष जी, मैं इस विश्वास प्रस्ताव के खिलाफ बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं अविश्वास प्रस्ताव को लेने के पक्ष में था। मैं बहुत गौर से वाजपेयी जी का भाषण सुन रहा था। उनके प्रति हमारा बहुत आदर है और व्यक्तिगत रूप से हम इनका बहुत आदर करते हैं। लेकिन मैंने पहली बार देखा कि वाजपेयी जी के भाषण में न कोई धार थी, न कोई दिशा थी।...**(व्यवधान)**

अपराह्न 2.41 बजे

(श्री पी.एम. सईद पीठासीन हुए)

हो सकता है कि मेरी समझ बहुत कम हो लेकिन पूरा देश समझ रहा है और मैं अटल जी के चेहरे को भी देख रहा था और अटल जी को भी मैं देख रहा हूं। उनको स्वयं महसूस हो रहा है कि आज जो उनकी भाषा थी, उस भाषा में कोई धार नहीं थी और न कोई तेजतर्रारपन था।...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया व्यवधान न डालिए। आप एक वरिष्ठ सदस्य हैं आप जानते हैं कि जब आपकी बात मानी जाती है, तभी आप बोल सकते हैं। कृपया व्यवधान न डालिए।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : मैंने कोई ऐसी बात नहीं कही जिस पर इनको कटाक्ष करने की जरूरत है। मैं अपनी बात कहना चाहता हूं, पॉइंटवाइज कहना चाहता हूं।

सबसे पहली बात मैं कहना चाहता हूं कि इस सरकार ने मैनडेट की बात कही। अभी शरद पवार जी ने उसका जवाब दिया है लेकिन यह बात सही है कि इस देश की जनता ने किसी एक दल के पक्ष में अपना मैनडेट नहीं दिया है। जनता का मैनडेट है मिली-जुली सरकार के पक्ष में, लेकिन यह भी तय है कि जनता ने जो मिली-जुली सरकार का मैनडेट दिया है वह धर्मनिरपेक्ष ताकत के पक्ष में दिया है। चूंकि जो आपके पास है वह केवल 23 प्रतिशत का मैनडेट है, 45 प्रतिशत का मैनडेट संयुक्त मोर्चा को मिला है और 28 प्रतिशत मैनडेट कांग्रेस के पक्ष में है। इसलिए आपका मैनडेट केवल 23 प्रतिशत है और शेष जो मैनडेट है वह धर्मनिरपेक्ष ताकतों के पक्ष में है और यही कारण है कि भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा मौका आया है और आप धर्मनिरपेक्ष पार्टी की बात को छोड़िए...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

सभापति महोदय : नहीं, नहीं। यह तरीका नहीं है। आप एक वरिष्ठ सदस्य हैं। आपको पता होना चाहिए।

...**(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : सभापति जी, यह मैनडेट है धर्मनिरपेक्ष ताकतों के पक्ष में। यह मैनडेट है क्षेत्रीय भावना के पक्ष में, रीजनल पार्टियों के पक्ष में यह मैनडेट आया है और यदि मैनडेट आप देखेंगे तो जैसे मैंने कहा कि कम्यूनल फोर्सेज के खिलाफ मैनडेट है और यही कारण है कि क्षेत्रीय पार्टियों की बात छोड़िए, सारे प्रलोभन, सारी धमकियां और सारे धन्ना सेठों के समर्थन के बावजूद भी एक इंडिपेण्डेण्ट एम.पी. को ये खरीद नहीं पाए।...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए।...**(व्यवधान)**

सभापति महोदय : आप एक वरिष्ठ सदस्य हैं। आप को बोलने का अवसर मिलेगा...**(व्यवधान)**

सभापति महोदय : माननीय मंत्री व्यवस्था का प्रश्न उठा रहे हैं।

[हिन्दी]

सूचना तथा प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : अध्यक्ष जी, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। रामविलास पासवान जी ने एक शब्द इस्तेमाल किया है कि एक भी एम.पी. को खरीद नहीं पाये। वह यह कहें कि एक भी व्यक्ति को अपने साथ मिला नहीं पाये, एक भी एम.पी. को अपने साथ जोड़ नहीं पाये। लेकिन एक भी एम.पी. को खरीद नहीं पाये, क्या यह बिकाऊ लोगों की मंडी है। यह शब्द निकालिये।...**(व्यवधान)** एक भी एम.पी. को जोड़ नहीं पाये या जो शब्द ठीक हो वह बोलें।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : ठीक है, मैंने आपका संशोधन स्वीकार कर लिया कि एक भी एम.पी. को तोड़ नहीं पाये। अध्यक्ष जी, मैं और कहना चाहता हूं कि एक परसेंट भी...**(व्यवधान)**

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव (गोंडा) : जनता दल को तोड़कर, खरीदकर ले गये, इसका जवाब आपके पास है तो दीजिए। ...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया अध्यक्ष पीठ के साथ सहयोग कीजिए। कृपया बैठ जाइए।

...**(व्यवधान)**

सभापति महोदय : कृपया बैठ जाइए।

...**(व्यवधान)**

सभापति महोदय : माननीय सदस्यों क्या मैं आप सभी से अनुरोध करें सकता हूं? एक गम्भीर चर्चा चल रही है। कृपया अध्यक्ष पीठ से सहयोग कीजिए।

...**(व्यवधान)**

सभापति महोदय : वे सभी नये सदस्य हैं। उन्हें समझने दीजिए जब आपको अवसर मिलेगा तो आप अपनी बात कह सकते हैं

...**(व्यवधान)**

सभापति महोदय : मुझे उस सदस्य का नाम लेना पड़ सकता है। हर बार वह उठ रहा है। यदि आप पुनः खड़े हुए तो मैं आपका नाम लूंगा। उस तरह से न करें।

...**(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष जी, इस पार्टी को और इस सरकार को एक परसेंट माइनोरिटी का भी मैनडेट प्राप्त नहीं है। अभी शरद पवार जी ने कहा मैं लिस्ट देख रहा था तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, आसाम, नॉर्थ ईस्ट–यहां इनको बिलकुल भी मैनडेट नहीं है...**(व्यवधान)** मैं नहीं कहता हूं कि जनता दल को मैनडेट है। मैंने कहा कि मैनडेट इनको सब लोगों को मिला करके मिला है। इसलिए अध्यक्ष जी, अभी हमारे साथी बहुत गुस्सा हो रहे थे। प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, जिनके पास कुल मिलाकर गिनती करें तो 194 सांसद होते हैं। हमारे पास में 321 हैं। बजाब्ता मेरे पास हैं।...**(व्यवधान)** अब खरीदे हुए हो गया, अब पार्लियामेंट्री शब्द हो गया है और उस समय सुषमा जी हमको उपदेश दे रही थीं। अब कहते हैं कि खरीदे हुए हो गया है, अब पार्लियामेंट्री शब्द हो गया है। ...**(व्यवधान)**

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर) : आप किस भाषा में बोल रहे हैं?

[अनुवाद]

सभापति महोदय : राम विलास जी, आप कृपया अध्यक्ष पीठ को सम्बोधित कीजिए अन्यथा वे व्यवधान डालेंगे।

...**(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : सभापति जी, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मैं खरीद-फरोख्त में नहीं, मैं मेनिपुलेशन में विश्वास करता हूं। मेनिपुलेशन में विश्वास नहीं करते हैं तो आपके पास में 194 एम.पी. के बाद कुछ एम.पी. थे, जिनके बल पर यह सरकार बहुमत हासिल करना चाहती है।...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

सभापति महोदय : यदि कुछ आपत्तिजनक है, तो माननीय प्रधान मंत्री उत्तर देते समय उसे बता सकते हैं।

...**(व्यवधान)**

सभापति महोदय : कृपया बैठ जाइए। कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : नहीं, नहीं, कृपया आप बैठ जाइए।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : सभापति जी, मेरे मित्र राम विलास पासवान अगर बिना विवाद खड़ा किये हुए अपना भाषण करें तो ज्यादा अच्छा होगा। मैंने यह नहीं कहा कि मैं मैनिपुलेशन में विश्वास करता हूं...**(व्यवधान)** और मैं उसका खंडन करता हूं... **(व्यवधान)**

श्री शरद यादव (मधेपुरा) : सभापति जी, अटल जी जब बोल रहे थे तो सोमनाथ बाबू, मैं, मुलायम सिंह जी और हमारे सब साथियों ने लोगों से जाकर कहा। थोड़ी बहुत कहीं कुछ लोगों ने टोका-टोकी की होगी, जब शरद पवार जी बोल रहे थे, राम विलास जी बोल रहे थे। मैं आपके माध्यम से अटल जी ने निवेदन करना चाहता हूं कि हम एक दूसरे की बात का खंडन करें। अगर मान लो कोई बात किसी ने कह दी आपके वक्ता भी किसी बात को कह सकते हैं, लेकिन यहां अच्छी बहस हो रही है, जिसे पूरा देश देख रहा है। इसलिये मेरी आपसे विनती है कि अपने लोगों से आप कहिये। हमने यह काम किया सोमनाथ बाबू, मैंने सबने जाकर यह काम किया...**(व्यवधान)**

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मैं आपसे सहमत हूं, मैं शरद यादव जी से सहमत हूं...**(व्यवधान)**

श्री शरद यादव : तीन बार अटल जी गये, अपने लोगों से बोलने गये...**(व्यवधान)**

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अगर जरूरत पड़ी तो मैं चार बार भी जाऊंगा लेकिन यह टोका-टाकी एक सीमा में होनी चाहिये, मर्यादा में होनी चाहिये। मैं अपने मित्रों से कहा रहा हूं कि जरा संयम से काम लें...**(व्यवधान)**

सभापति महोदय : मैं सभी नेतागण से अनुरोध करूंगा कि अपने-अपने मैम्बर्स से जरा सावधानी बरतने के लिये कहें क्योंकि बहस बहुत अच्छी हो रही है।

श्री राम विलास पासवान : जब ट्रेजरी बैंचेज की तरफ से कोई आरोप लगेगा तो उसका जवाब देना हमारा कर्तव्य है। अगर हमारी तरफ से कोई आरोप लगेगा तो उसका जवाब देना उनका कर्तव्य है। इसमें किसी उतावलेपन या उत्तेजना की जरूरत नहीं है।

प्रधान मंत्री जी ने हम पर आरोप लगाया और कहा-कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, सब भानमति का पिटारा है। यदि हम भानमति का पिटारा हैं तो हम जानना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और उसकी साथी पार्टियों, अकाली दल, समता पार्टी या शिवसेना तीनों की नीतियां क्या एक हैं, क्या वे भानमति का पिटारा नहीं हैं? क्या प्रधानमंत्री जी आनन्दपुर साहब रिजील्यूशन का समर्थन करते हैं? जिस समय देश में ब्लू-स्टार हुआ था, क्या भारतीय जनता पार्टी ने उसका समर्थन नहीं किया था?

सभापति जी, मैंने कहा कि आज सहूलियत की राजनीति चल रही है। यदि कोई पार्टी भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दे दे तो वह गंगोत्री हो जाती है और यदि कोई पार्टी भारतीय जनता पार्टी को समर्थन न दे तो वह सबसे खराब पार्टी बन जाती है मेरा कहना है कि ऐसी नैतिकता की बात नहीं कही जानी चाहिये और कम से कम इस सरकार को नैतिकता की बात कहने का कोई अधिकार नहीं रह गया है।

इन्होंने अभी कहा कि राष्ट्रपति जी ने इन्हें बुलाया था लेकिन तत्कालीन राष्ट्रपति संजीव रेड्डी जी ने भी उस समय वाई.बी. चव्हाण साहब को बुलाया था लेकिन चव्हाण साहब ने कहा कि मैं दो दिन बाद बताऊंगा कि सरकार बनाने की स्थिति में हूं या नहीं। उनके मना करने पर ही दूसरे लोगों को सरकार बनाने का मौका मिला। उसी तरह जब अटल बिहारी जी को बुलाया गया था अखबारों में हमने पढ़ा, इन्हें स्वयं भी मालूम नहीं था कि प्रधानमंत्री पद का इन्वीटेशन मिलने वाला है। जब इन्हें बुलाया गया था तो ये कह सकते थे कि मैं अपने साथियों से बातचीत करके बताऊंगा। मैं जानना चाहता हूं कि क्या इनकी अकाली दल से बातचीत हुई, क्या समता पार्टी से बातचीत हुई, क्या शिवसेना से बात हुई, क्या हरियाणा विकास पार्टी से बात हुई? इन्होंने वहां जाकर निमंत्रण पत्र क्यों स्वीकार कर लिया। यदि ये कहते कि हम बाद में जाकर अपना समर्थन जाहिर करेंगे तो समझ में आता लेकिन इनके अलग-अलग बयान आने लगे, किसी ने कहा राम भरोसे विश्वास मत मिल जायेगा, सुषमा जी का अलग बयान आने लगा, हमारे भाई महाजन जी का बयान अलग आया-यानी साम, दाम, दंड भेद सभी तरह से इन्होंने कोशिश की। शिवसेना के हैड ने कह दिया कि अगर हमारी सरकार गिर गई तो देश में सिविल वार हो जायेगी, गृह मंत्री ने कह दिया कि अगर हमारी सरकार गिर जाएगी तो देश टूट जाएगा इस तरह के वक्तव्य आने लगे। देश में कोई सरकार आयेगी, कोई जाएगी...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री मधुकर सर्पोतदार (मुम्बई उत्तर पश्चिम) : महोदय, मेरा जानकारी संबंधी प्रश्न है। क्योंकि शिवसेना के बारे में बात कही जा रही है।...**(व्यवधान)**

सभापति महोदय : क्या आपका व्यवस्था का प्रश्न है?

(व्यवधान)

श्री मधुकर सर्पोतदार : मेरा जानकारी संबंधी प्रश्न है। ऐसी बातें यहां पर नहीं कही जा सकतीं जिनके बारे में पूर्ण जानकारी न हो, ...**(व्यवधान)**

सभापति महोदय : नहीं, मैं किसी जानकारी संबंधी प्रश्न की अनुमति प्रदान नहीं कर सकता।

[हिन्दी]

श्री मधुकर सर्पोतदार : उन्होंने कहा है।

सभापति महोदय : यदि कुछ है, तो जब आप बोलें तो इसका उत्तर दे सकते हैं।

श्री मधुकर सर्पोतदार : जब उन्होंने बात कही है तो मुझे भी कहने दीजिए।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : यदि वे मान जाते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। श्री राम विलास पासवान, क्या आप इसके लिए तैयार हैं?

श्री राम विलास पासवान : नहीं।

श्री मधुकर सर्पोतदार : जब तक उन्हें पूरी जानकारी नहीं हो, तब तक उन्हें किसी के विरुद्ध कोई आरोप नहीं लगाना चाहिए। गलत बात नहीं कहनी चहिए।...**(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : मैंने किसी का नाम नहीं लिया है।

श्री मधुकर सर्पोतदार : महोदय, जब संबंधित व्यक्ति सदन में उपस्थित नहीं है तो उस पर कोई आरोप नहीं लगाना चाहिए।... **(व्यवधान)**

श्री राम विलास पासवान : सभापति जी, हम चाहते हैं कि यह सरकार जल्दी से जल्दी जाए, इसके लिये हमने अपनी पार्टी के चार-पांच वक्ता ही बोलने के लिये चुने हैं ताकि जल्दी से जल्दी जो अनिश्चितता का वातारण पूरे देश में बना है, काली छाया मंडरा रही है, वह दूर हो सके। मैं जानता हूं कि सत्ताधारी दल के लोग पूरी कोशिश करेंगे कि इसे लिंगर ऑन किया जाए लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जब इस मोशन पर वोटिंग होगी तो यह सरकार निश्चित तौर पर गिर जायेगी। फिर इस देश में न गृह युद्ध होने वाला है और न यह देश टूटने वाला है। पार्टियां टूटती रहेंगी, हम टूटते रहेंगे, सब टूट जाएंगे लेकिन देश में डेमोक्रेसी चलती रहेगी, प्रजातंत्र चलता रहेगा। ऐसा कहना कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बच जाएगी तो देश बच जायेगा, यदि भारतीय जनता पार्टी की सरकार गिर जाएगी तो यह देश टूट जायेगा, मैं ऐसा मानकर नहीं चलता हूं।

यह देश महान है। किसी के टूटने से यह देश टूटने वाला नहीं है। इस देश की जनता महान है। आपके स्लोगन लगाने से कुछ नहीं होगा। चार राज्यों में आपकी सरकारें थीं। वे बहुमत प्राप्त सरकारें थीं और आप 5 साल तक उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार चला सकते थे लेकिन आपने पहले साल ही जिस तरह कानून की, रूल ऑफ लॉ की धज्जियां उड़ा दीं, कांस्टीट्यूशन की धज्जियां उड़ा दीं, जिस तरह कांस्टीट्यूशन का ढांचा तोड़ने का काम किया, उसके बाद फिर जब वहां चुनाव हुए तो उस प्रदेश की जनता ने आपको बहुमत देने का काम नहीं किया। इस देश की जनता महान है। यहां सैक्यूलरिज्म की विजय हुई है। आपकी धमकियों से देश चलने वाला नहीं है। यदि आप कहें कि हमारी सरकार रहेगी तो यह हो जायेगा, वह हो जायेगा, मैं आपसे कहता हूं कि ऐसा नहीं है।

इन्होंने कहा कि सरकारें गिरती रहती हैं, मैं भी मानता हूं कि सरकारें गिरती रहती हैं लेकिन 1977 में हमारी सरकार बनी थी, हम लोग एमर्जेंसी के बाद सरकार में आए थे, वह सरकार किस कारण से टूटी, आर.एस.एस. और दोहरी सदस्यता के मामले को लेकर टूटी फिर हमारी सरकार 1989 में आई, 1990 में हमारी सरकार थी, किसने उसे गिराया...**(व्यवधान)**

1990 में हमारी सरकार काम कर रही थी। अभी प्रधानमंत्री जी धार्मिक उन्माद से बोलते-बोलते जातीवाद पर चले गए क्या उधर पिछड़ी जाति के लोग नहीं हैं, मंडल को मानने वाले लोग नहीं हैं' राम का नाम लेने का क्या कारण था। मैंने पिछली बार भी कहा था कि राम तो यहां है-राम विलास पासवान-क्या अटल बिहारी जी में राम है, मुरली मनोहर जोशी जी में राम है, राम तो यहां पर बैठे हैं... **(व्यवधान)**

प्रो. रासा सिंह रावत : राम तो हमारी संस्कृति में है। यहां राम के नाम का अपमान किया जा रहा है...**(व्यवधान)**

श्री राम विलास पासवान : सभापति जी, इसमें इंटरप्ट करने वाली कोई बात नहीं है, फिर ये लोग क्यों इंटरप्ट कर रहे हैं... **(व्यवधान)** मैं यील्ड नहीं कर रहा हूं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : यदि कोई बात आपत्तिजनक है, तो मैं उसे कार्यवाही वृतान्त में से निकलवा दूंगा।...

[हिन्दी]

श्री राम नगीना मिश्र (पडरौना) : सभापति जी...**(व्यवधान)****

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

अपराह्न 3.00 बजे

श्री राम विलास पासवान : सभापति जी, मैं कह रहा था कि 1990 में हमारी सरकार गरीबों के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, समाज के कमजोर वर्ग के लोगों के लिए काम कर रही थी और अगर हमारी सरकार ने मण्डल आयोग लागू नहीं किया होता, पिछड़े वर्गों के लिए काम नहीं किया होता तो यह राम का रथ नहीं निकलता। राम का रथ मण्डल को ध्वस्त करने के लिए, गरीबों का हक मारने के लिए निकाला गया था और उसके कारण ही हमारी सरकार गिर गई। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि दोनों बार हमारी सरकार आर.एस.एस. के कारण गिरी। आर.एस.एस. के हाथ में इनकी चाबी है, ये सब तो दिखावटी चीज हैं। इसलिए दोनों बार, चाहे वह 1977 में गिरी हो या 1990 में गिरी हो, आर.एस.एस. के कारण गिरी है। इस बार हमारी जो सरकार बनेगी वह धर्म निरपेक्ष ताकतों की सरकार बनेगी। यह सरकार पांच साल तक चलेगी।...**(व्यवधान)**

अभी हिन्दुत्व के बारे में कहा गया। मैं इस देश की जनता को धन्यवाद देना चाहता हूं और मुझे इस बात का गर्व है कि आज जो लोग हिन्दू राष्ट्र की बात करते हैं उन्हें यह नहीं भूलना चाहिए कि इस देश की आजादी में सबने योगदान दिया था। फांसी के फंदे को खुदीराम बोस ने चूम लिया था, सरदार भगत सिंह ने फांसी के फंदे को चूमा, इस्फाक खान, जो मुसलमान थे, उन्होंने कहा था, "सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में हैं, देखना जोर कितना बाजु-ए-कातिल में है"। यह कहकर उन्होंने फांसी के फंदे को चूम लिया था।

सभापति जी, राष्ट्र का कोई धर्म नहीं होता है। राष्ट्र न हिन्दू होता है, राष्ट्र न मुसलमान होता है, राष्ट्र न सिख होता है। पानी का एक ही धर्म होता है। अगर पानी गर्म है तो पानी में कोई उंगली डालेगा तो वह जलेगा। ठंडा पानी सबके लिए ठंडा होता है। उसी तरह से राष्ट्र का भी एक धर्म होता है और वह है न्याय का धर्म। लेकिन अगर आप राष्ट्र के साथ में "हिन्दू" शब्द जोड़ देंगे, "खालिस्तान" शब्द जोड़

**कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

देंगे, "इस्लाम" शब्द जोड़ देंगे तो राष्ट्र की जो न्याय की कल्पना है वह खत्म हो जाएगी।

मैं जानता हूं अटल बिहारी जी वाजपेयी के दिल में कुछ और बात रहती है, लेकिन जब दबाव पड़ता है तो इनकी जबान से कुछ और बातें निकलने लगती हैं जिनको समय-समय पर इन्होंने प्रदर्शित करने का काम किया है।

ये हिन्दू राष्ट्र की बात करते हैं। हम देख रहे हैं कि सभी स्टेट्स में हिन्दू मुख्य मंत्री हैं। चाहे असम के मुख्य मंत्री प्रफुल्ल कुमार जी महंत हों चाहे जे.बी. पटनायक उड़ीसा के मुख्य मंत्री हों, चाहे पश्चिमी बंगाल के मुख्य मंत्री ज्योति बसु हों, चाहे त्रिपुरा के मुख्य मंत्री हों, चाहे बिहार के मुख्य मंत्री लालू प्रसाद जी हों, दिल्ली के मुख्य मंत्री साहिब सिंह वर्मा हैं, मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री दिग्विजय सिंह हैं, हिमाचल प्रदेश के वीरभद्र सिंह हैं, राजस्थान के भेरोसिंह शेखावत हैं, भजनलाल जी के चले जाने के बाद अब बंशीलाल जी हरियाणा के मुख्य मंत्री हो गए हैं, महाराष्ट्र में मनोहर जोशी हैं, तमिलनाडु में करुणानिधि जी हैं, आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू हैं, केरल में नयनार जी हैं, कर्नाटक में देवगौड़ा जी हैं, यानी किसी भी स्टेट में मुसलमान मुख्य मंत्री नहीं है। एक भी स्टेट का नाम बता दीजिए जिसका मुख्य मंत्री कोई मुसलमान बना हुआ है।

एक माननीय सदस्य : अंतुले बने थे।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : महोदय, उस माइक्रो फोन को बन्द किया जाये।

सभापति महोदय : हां, मैं उसे देख रहा हूं। कृपया इसे दोहरायें नहीं। मैं आप को देख रहा हूं।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : सभापति जी, मैं आपसे आग्रह कर रहा था कि जब सभी स्टेट्स में मुख्य मंत्री हिन्दू हैं, भारत के राष्ट्रपति, उप राष्ट्रपति, प्रधान मंत्री सभी हिन्दू हैं, 99 पर्सेंट सरकारी नौकरियों पर हिन्दू नियुक्त हैं, केवल एक पर्सेंट पद माइनोरिटी के पास है। मैं फौज को इस मामले में नहीं घसीटना चाहता हूं, लेकिन बार-बार "हिन्दू राष्ट्र, हिन्दू राष्ट्र" का हल्ला क्यों हो रहा है? और यदि वह हिन्दू राष्ट्र बन जाए, तो हिन्दू को इससे ज्यादा क्या मिलने वाला है? जब हमने मंडल कमीशन लागू किया था, तो क्या वह हिन्दू के लिए नहीं था? जो पिछड़ी जाति के लोग हैं, क्या वह उनके लिए नहीं था? पिछड़ी जाति के जो लोग हैं, यादव हैं, कुर्मी हैं, कोरी हैं, नाई हैं, तेली हैं, तमोली हैं, लुहार हैं, चौरसिया हैं, बढ़ई हैं, मल्लाह हैं, निषाद हैं, भील हैं, पासवान हैं, चमार हैं, क्या ये सारी जातियां हिन्दू नहीं हैं?

हिन्दू का क्या मतलब होता है? क्या मुट्ठीभर लोग शासन करेंगे? गाली दी जाएगी मुसलमान को। जो लोग शासन कर रहे हैं, वे क्या हिन्दू के नाम पर शासन करेंगे? मुसलमान कौन था, बार-बार कहा जाता है कि मुसलमान बाबर की औलाद हैं। बाबर कौन था, कब आया, बाबर 1526 में आया। जब बाबर आया था, तो देश की गद्दी पर कौन राज कर रहा था, इब्राहीम लोधी। इब्राहीम लोधी से पहले कौन था, खिलजी वंश। खिलजी वंश से पहले कौन था, तुगलक वंश। तुगलक वंश से पहले कौन था, गुलाम वंश। गुलाम वंश से पहले कौन था, मौहम्मद गौरी। ये सारे के सारे हिन्दू तो थे नहीं। इतिहास बतलाता है कि ये सारे के सारे मुगल थे। बाबर के साथ कितने लोग आए थे, यदि किसी को सही पता होगा, तो वह भी कहेगा कि बाबर के साथ सिर्फ 1200 लोग आए थे। आज कितने लोग हैं, 12 करोड़ मुसलमान हैं। पाकिस्तान में चले जाइए, बंगला देश में चले जाइए, वहां 14 या 16 करोड़ मुसलमान हैं। ये दोनों मिल जाएं, तो करीब 28 या 30 करोड़ हो जाते हैं। तो क्या ये 28, 30 करोड़ मुसलमान बाबर की औलाद हैं? हमने सोचा कि कौन हैं मुसलमान, क्यों बने मुसलमान, तो मैं आपको बताऊं ये कौन हैं, ये बरनाला साहब सिख हैं, जाति के जाट हैं। कौन हैं टोरा साहब, बादल साहब, ये जाति के जाट हैं। कौन हैं बूटा सिंह जी, जाति के सफाई मजदूर हैं। ये किसके परिवार से हैं, ये कौन लोग हैं, ये इसाई, चाहे दलित इसाई हैं या आदिवासी क्रिश्चियन हैं, ये सब कौन हैं, कौन लोग बुद्धिस्ट हैं, बबा साहब अम्बेडकर के साथ 10 लाख लोगों ने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया। ये सारे दलित के सारे लोग थे। क्यों हमारे परिवार का आदमी मुसलमान बन गया। जब आपने मंदिर में जाने से रोक दिया, तो वह मस्जिद में चला गया। जब आपने खाने से रोक दिया, तो वह दस्तरखान में चला गया, लंगर में चला गया। आप गन्दे नाले की सफाई तो करेंगे नहीं और मच्छर को मारने का काम करेंगे?

क्या उमा भारती जी के मन में पीड़ा नहीं है? किसके मन में पीड़ा नहीं है? विनय कटियार जी बजरंग दल के हैड बनाए गये हैं, डंडा चलाने के लिए। सिकन्दर बख्त जी को मंत्री बनाया दो नंबर का और पोर्टफोलियो देने का समय आया, तो 1977 का पोर्टफोलियो दे दिया। 10 दिन तक वे बेचारे ऑफिस नहीं जा सके। यहां सूरज भान जी बैठे हुए हैं। कड़िया मुंडा बैठे हुए हैं। इसलिए सभापति जी, देश सब समझता है।

सभापति जी, जब हम सामाजिक न्याय की बात करते हैं, सामाजिक न्याय का मतलब सिर्फ यह नहीं होता कि हम सिर्फ फारवर्ड और बैकवर्ड की बात करें। सामाजिक न्याय का मतलब होता है समाज में रहने वाले हर व्यक्ति के साथ न्याय किया जाए। चाहे कोई दलित हो, चाहे को ब्राह्मण हो। भारत एक बगीचा है। इस बगीचे में हर तरह के फूल हैं। हिन्दू भी हैं, मुसलमान भी हैं, सिख भी हैं, दलित भी हैं, ईसाई भी हैं और बगीचे का वही माली अच्छा होता है जिसके बगीचे में हर तरह के फूल खिले। याद रखिए, जिस बगीचे में केवल कमल का फूल खिले, बाकी सभी फूल मुरझा जाएं, उस बगीचे का माली बेईमान होता है। यह चलने वाला नहीं है।

सभापति जी, अभी प्रधान मंत्री जी बोल रहे थे, उन्होंने बोलते-बोलते सीधा आरोप लगा दिया, हम जानते हैं कि आपकी

भाषा बड़ी प्रभावी है और आप तरह-तरह से बार करते हैं, आपने कह दिया कि लोग चारा खा जाते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि चारा नहीं खाते हैं। हर सरकार में हमेशा हुआ है कि जितना बजट बनाते हैं उससे ज्यादा ही पैसा निकाला जाता है। वह पैसा निकालना कोई अपराध नहीं है, लेकिन वह पैसा कहां खर्च होता है, यह देखना होता है।...**(व्यवधान)**

सभापति जी, मैं फिर अपनी बात को कहता हूं।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : यदि आप उधर देख कर भाषण करेंगे, तो वे लोग खड़े हो जाएंगे।

श्री राम विलास पासवान : सभापति महोदय, मैं यह कह रहा था कि हर सरकार अनुमानित बजट बनाती है और हर विभाग में उस अनुमान से ज्यादा ही पैसा निकाला जाता है। इसमें देखने की बात यह है कि वह पैसा खर्च कहां पर होता है क्या सही रूप में खर्च होता है या नहीं? उसके लिए आज वहां पर 41 आफीसर सस्पेंड हैं। जेल में हैं। सरकार ने एक्शन लिया। पहले कहा कि जुडीशियल इन्क्वायरी करवाओ। जुडीशियल कमीशन बनाया। उसके बाद कहा गया कि सी. बी.आई. की जांच हो। मामला कोर्ट के जिम्मे है। सुन रहे हैं कि हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस उसे देख रहा है। दूध का दूध और पानी का पानी सब सामने आ जाएगा।

आपकी सरकार के ऊपर कौन आरोप लगाए। यह शिवसेना ...**(व्यवधान)**

सभापति जी, क्या हम चार्ज नहीं लगा सकते? एनरॉन का मामला हुआ। एनरॉन का मामला हमको याद है कि जब शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी चुनाव अभियान में थीं तो कहती थीं कि हमारी सरकार दो काम करेगी। एक तो दाऊद इब्राहिम को और दूसरा एनरॉन को समुद्र में डुबोने का काम करेगी। क्या आपने एनरॉन को समुद्र में डूबा दिया? क्या आज एनरॉन फिर से बैठ नहीं गया? हम आपके ऊपर क्या चार्ज लगायें?...**(व्यवधान)**

अभी मैं देख रहा था कि आप अनुशासन की बात करते हैं। आज के नवभारत टाइम्स में यह निकला है। प्रधान मंत्री जी जब आपके मंत्रिमंडल का आदमी, 75 साल के आत्मा राम पटेल को, आपकी पार्टी में रहने वाले नेता की आपके सामने पिटाई की गयी, उनको नंगा करके घुमाया जाता है।...**(व्यवधान)** उसको तो आप रक्षा नहीं कर सकते तो देश की रक्षा क्या करेंगे? आपके दफ्तर में ताला बंद है। नवभारत टाइम्स में बजरंग दल और आर.एस.एस. के सम्बन्ध में जिस शब्द का प्रयोग किया गया है, वह असंसदीय शब्द है, इसलिए मैं इसको बोलना नहीं चाहता क्योंकि अगर मैं बोलूंगा तो वहां से फिर हल्ला होना शुरू हो जायेगा।

सभापति जी, मैं कहना चाहता हूं कि अनुशासन की बात, नैतिकता की बात तथा ये सारी चीजें आप किसको सिखलाने का काम कर रहे हैं।...**(व्यवधान)** यह ठीक है कि इनके दफ्तर में ताला लगा है। हमको जानकारी मिली है और यदि यह चीज है तो सरकार आती हैं, जाती हैं। परसों हमको मालूम हुआ कि यह सरकार क्या चल रही है? यह सरकार फोटोस्टेट की सरकार चल रही है। इनका एक ही काम रह गया है कि फोटोस्टेट कराओ। यह हमारे गृहमंत्री जी हैं। इन्होंने परसों होम सेक्रेट्री को नहीं कहा कि 6 दिसम्बर की बाबरी मस्जिद वाली फाइल चाहिए। उसमें क्या गृह मंत्री जी का नाम नहीं था?

गृह मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी) : सभापति जी, यह बिल्कुल गलत है, बिल्कुल झूठ है, बिल्कुल बेबुनियाद है।... **(व्यवधान)**

श्री राम विलास पासवान : सभापति जी, हम लोग इसलिए जानते हैं कि एक तरफ से...**(व्यवधान)** सरकार की तरफ से हर चीफ मिनिस्टर को ब्लैकमेल करने का काम किया जा रहा है। आसाम में क्यों नहीं फौज भेजी गयी? जबकि आसाम के चीफ मिनिस्टर ने मांगी थी। क्यों बिहार से 15 बटालियन बी.एम.पी. को वहां भेजना पड़ा? क्यों नहीं भारत सरकार ने उस पर ध्यान देने का काम किया? मैं आग्रह करना चाहता हूं कि यह जो सारी चीजें जैसे देश की एकता, अखंडता तथा करप्शन, भ्रष्टाचार का मामला है। आप किस पर अंगुली उठाते हैं। आप अपने ऊपर नहीं देखते हैं। आपने राष्ट्रपति के अभिभाषण में भ्रष्टाचार का उपयोग नहीं किया? आप हमको उपदेश दे रहे हैं। कहां है आपका राष्ट्रीय अध्यक्ष? क्यों नहीं उनका चेहरा नजर आ रहा है? दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री जी का क्यों नहीं चेहरा नजर आता है? मध्य प्रदेश में ऊपर से लेकर नीचे तक सबके नाम हवाला कांड से जुड़े हुए हैं। भ्रष्टाचार आप हमको सिखलाते हैं।

आप गंगोत्री को साफ करना चाहते हैं। गंगोत्री साफ है क्योंकि जहां से गंगोत्री निकलती है, उसकी जड़ में जड़ी बूटी है। लेकिन जहां से गंगोत्री निकलती है, उसकी जड़ में अगर मैला करने का काम हो जाये तो गंगोत्री कभी साफ नहीं होगी। इसलिए जिस माहौल में आप घिरे हैं, जिस माहौल में वाजपेयी जी आप घिरे हैं वहां ऐसा कूड़ा करकट भरा हुआ है कि अगर आप कहीं से एक बाल्टी अच्छा पानी भी लाकर रख दें तो वह पानी गन्दा ही रहेगा। वह पानी काफी साफ होने वाला नहीं है। मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि आपके पास सरकार बनाने का मैनडेट पहले भी नहीं था और आज भी नहीं है। पार्लियामैंट्री डेमोक्रेसी में क्या अंतरात्मा की आवाज चलती है?... **(व्यवधान)** कल जब हमारी सरकार आएगी तो वही बात हम कहेंगे कि अंतरात्मा की आवाज पर हमको वोट दें तो क्या आप अपने लोगों को व्हिप जारी नहीं करेंगे? आप अपने लोगों को नहीं समझायेंगे? पार्लियामैंट्री डेमोक्रेसी में ऐसा कभी नहीं चलता है। इसलिए आपकी खामियां कहां-कहां हैं, इस पर आपको मनन करना चाहिए।

आज जो समाज के कमजोर वर्ग के लोग हैं, जो माईनौरिटी के लोग हैं, आप सैकुलरिज्म की भी बात करते हैं तो क्यों उनको कम्युनल नजर आता है।

हमारे बरनाला साहब यहां हैं। बहुत अच्छे मित्र हैं, हम साथ-साथ बहुत काम करना चाहते हैं। फैडरल की पार्टी यह है। सैन्ट्रल मजबूत हो और सब स्टेट उसके चपरासी बनें, उस विचारधारा के वे लोग हैं।...**(व्यवधान)**

प्रो. प्रेम सिंह चन्दूमाजरा (पटियाला) : क्या आपने कांग्रेस से पूछ लिया है कि वे फैडरल सिस्टम के लिए तैयार हैं? ...**(व्यवधान)**

श्री राम विलास पासवान : मैं आपके माध्यम से आग्रह करना चाहता हूं, हमको सरकार से और कम से कम अटल बिहारी वाजपेयी जी से यह उम्मीद नहीं थी। जब राष्ट्रपति महोदय ने बड़ी पार्टी की हैसियत से उनको बुलाया था तो उनको कहना चाहिए था कि मेरे पास बहुमत नहीं है या उनको यह कहना चाहिए था कि हम अपने सभी सहयोगी दल के लोगों से बातचीत करके आपको बताएंगे। लेकिन आपने जाकर ओथ ले लिया। लेने के बाद आज तक आपने बहुत कोशिश कर ली, हर तरह का जाल बिछाया। हम अपने एक-एक एम.पी. को धन्यवाद देना चाहते हैं, एक-एक पोलिटिकल पार्टी के लोगों को धन्यवाद देना चाहते हैं। जिन्होंने संसद की गरिमा को बचाने का काम किया है और साबित कर दिया है। कोई थैलीशाह उन्हें खरीद नहीं सकता। इंडस्ट्रियलिस्ट या देश के बड़े-बड़े पूंजीपति ऐसे नहीं होंगे जिन्होंने आगे आकर समर्थन देने का काम नहीं किया हो। शेयर के भाव बढ़ने लगे। क्यों बढ़ने लगे, क्या हम नहीं जानते हैं? हमको आर्थिक जगत की बहुत ज्यादा नौलेज नहीं है लेकिन थोड़ी समझ-बूझ तो है। इसलिए जिस पार्टी को बड़े-बड़े पूंजीपति आंख बन्द करके समर्थन करना शुरू कर दें, सारी चीज होने लगे, घोड़े और घास में कभी दोस्ती नहीं होती, घोड़ा हमेशा घास खाने का काम करता है।

आप जनादेश सम्मान दिवस मना रहे हैं, हम आपसे आग्रह करेंगे कि आप ससम्मान इस्तीफा दीजिए, यहां से जाइए, सैकुलर फोर्स को आने दीजिए। अटल जी, आपको चिन्ता करने की कोई बात नहीं है, हम पांच साल तक बढ़िया तरीके से सैकुलर फोर्स की सरकार चलाकर बता देंगे। आपको निराश करने का काम नहीं करेंगे।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस विश्वास प्रस्ताव का पुरजोर ढंग से विरोध करता हूं।

श्री जार्ज फर्नान्डीज (नालन्दा) : सभापति जी, जिस प्रस्ताव को प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सदन के सामने रखा है, मैं उस प्रस्ताव के समर्थन में यहां पर खड़ा हुआ हूं। मैं आपके माध्यम से पूरे सदन से एक प्रार्थना करना चाहूंगा कि इस सदन में बहस होनी है। मुझे अपनी बातें रखनी हैं, मेरी बातों को काटने वाले अपनी बातों को बाद में रख सकते हैं। इसलिए हम आपके माध्यम से सदन से प्रार्थना करना चाहते हैं, आज सुबह से जब से यह बहस शुरू हुई है, सदन में बहस कम हो रही है और आपस में हल्ला ज्यादा हो रहा है। मेरी एक बार फिर प्रार्थना है कि आप सदन के सभी हिस्सों को यह बताएं कि सदन बहस के वास्ते हैं और यहां पर बहस चले। प्रधानमंत्री जी ने यह बात जरूर कही कि यदि किसी भी बात को लेकर टोकमटोकी करनी हो तो वह जरूर हो लेकिन टोकमटोकी का मतलब हल्ला-गुल्ला नहीं है, वह नहीं हो।

मैं सबसे पहले यह बात कहना चाहता हूं कि आज जो परिस्थिति इस सदन के सामने है, वैसे तो देश के सामने है यह परिस्थिति किसी राजनैतिक दल की बनाई हुई नहीं है। जिस दल को राष्ट्रपति ने बुलाया, न उस दल ने बनाई, न उन्होंने बनाई जिन दलों ने यह फैसला लिया कि किसी भी कीमत पर उनकी सरकार को हम बने नहीं रहने देंगे। यह परिस्थिति देश के मतदाताओं ने बनाई, मतदाता ने किसी भी पार्टी को इस सदन में बहुमत नहीं दिया।

इसको मुझे यहां दोहराने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसलिए इस बहस के दरम्यान उसको याद करना मैं जरूरी समझता हूं, चूंकि बहस उन लोगों को भूल रही है हमीं लोगों का आपस में जैसे आज यहां पर वाद-विवाद है और देश का भविष्य तय करने के लिए हमीं लोग यहां पर हैं, ऐसी बात की बू मुझे यहां पर सारी बहस में से आ रही है।

लोगों के सामने मोटा-मोटी तीन खेमे गये थे, एक भारतीय जनता पार्टी, एक राष्ट्रीय मोर्चा-वाम मोर्चा, जो अभी संयुक्त मोर्चा, यूनाइटेड फ्रण्ट के तौर पर है और एक कांग्रेस पार्टी। इसमें कांग्रेस पार्टी ने बहुत आग्रह से लोगों से कहा था कि हमें बहुमत मिलेगा। राष्ट्रीय मोर्चा-वाम मोर्चा उनसे भी आगे गये थे कि कैसे उनकी अपनी सरकार बनेगी और कितने लोग उनका साथ देंगे, कितने विशाल बहुमत से चुनकर यहां आयेंगे। शायद 300 का आंकड़ा उनके कई नेताओं ने सार्वजनिक तौर पर रखा था। भारतीय जनता पार्टी की भी तरफ से कुछ लोग तो यह कहने वाले जरूर रहे कि बहुमत पाएंगे, लेकिन प्रधान मंत्री के बारे में अभी यहां पर शायद श्री शरद पवार जी ने कहा कि आपने कहा था कि अगर 225 सीटें नहीं आयेंगी तो हम सरकार बनाने के लिए नहीं जायेंगे। यानि कल्पना थी कि हम वहां तक नहीं पहुंच पायेंगे, हम उसके नीचे रह सकते हैं और मैं यह जानता हूं कि आम तौर पर यह बात देश में जरूर थी कि दो दलों की तरफ से या दो खेमों की तरफ से यह कहने में आया कि हम सरकार बनाने के लिए जा रहे हैं। लोगों ने कहा कि आप दोनों नहीं बना सकते हो, आपके दोनों खेमे नहीं बना सकते हैं और...**(व्यवधान)**

एक माननीय सदस्य : मिलकर बनाएँगे।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : आप मिलकर बनाएंगे, वहां पर हम आ जायेंगे, आप दोनों को अभी हम मिलाएँगे। उसका इन्तजार करिये। आप थोड़ा सा इन्तजार करिये, हम दोनों को मिलाएंगे।...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया व्यवधान न डालिए ।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : अध्यक्ष जी, जब वह टोकेंगे तो हम जवाब देंगे।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्री फर्नान्डीज, आपकी पार्टी को केवल छः मिनट का समय दिया गया है। इसलिए कृपया अध्यक्षपीठ को सम्बोधित कीजिए और उनकी ओर मत देखिए।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : ठीक है, हम आपसे कुछ समय और मांगेगे। चूंकि अन्ततोगत्वा आप यहां पर उस बात को तय करने जा रहे हैं कि इस देश में सरकार कौन सी रहे, किन कार्यक्रमों पर सरकार बने, अगले पांच साल के लिए कौन लोग सरकार बनायें, यह तय करने जा रहे हैं तो यहां पर मिनट से समय मत गिनिएगा, आप हमारे ऊपर और देश के ऊपर इतनी मेहरबानी करिएगा।

राष्ट्रपति ने बुलाया, मेरी पार्टी ने राष्ट्रपति से प्रार्थना की थी कि श्री अटल बिहारी वाजपेयी को सरकार बनाने के लिए बुलाया जाय। चूंकि अभी हमारे मित्र राम विलास पासवान जी ने यहां पर कहा कि समता पार्टी को कुछ आपने बताया था, हम तो राष्ट्रपति से कहने गये थे, हमने प्रस्ताव पास करके राष्ट्रपति को भेजा था कि जो स्थिति देश में बनी है, उस स्थिति में आपको अटल बिहारी वाजपेयी को सरकार बनाने के लिए बुलाना चाहिए।

श्री राम विलास पासवान : हमने कहा था कि दोनों पार्टियों की नीति एक नहीं है।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : नीति की बात नहीं है, आपने दूसरी बात कही थी। आप बोलने के प्रवाह में यह बात भूल गये तो यह बात अलग है, लेकिन आपने कहा कि हमसे भी नहीं पूछा, हमसे पूछते पहले। हमने कहा था कि आप बुलाइये, चूंकि हमने इस देश में जो स्थिति देखी है, उस आधार पर हमने यह बात की थी।...**(व्यवधान)** मुझे खुशी है कि राष्ट्रपति ने सही काम कर दिया और हम भी राष्ट्रपति जी का अभिनन्दन करते हैं, उन्हें धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने जो लोकशाही परम्परा हमारे देश में पिछले कुछ सालों से बनी है, चूंकि यह स्थिति हिन्दुस्तान में 1977 के बाद की है, 1952 से लेकर 1977 तक, 25 साल तक हिन्दुस्तान में एक पार्टी बहुमत में आती थी। 1977 में उसको तोड़ा गया। 1977 के बाद वह स्थिति 1989 में दोबारा बनी। फिर 1991 में वही स्थिति रही, लेकिन उस समय देश का विपक्ष इस तरह से आपस में बंटा हुआ था कि वह एक अल्पमती पार्टी की सरकार बनने से रोकने में नाकामयाब रहा। वह सरकार कोई कांग्रेस पार्टी के बल पर नहीं बनी थी, वह विपक्ष की मेहरबानी से बनी हुई सरकार थी।

लेकिन 1997 से यह स्थिति देश में रही है कि कैसे एक पार्टी को देश में बहुमत नहीं मिला या बहुमत मिली हुई पार्टी का टूट जाना और ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति को एक फैसला लेना, यह परम्परा देश में बनी है और राष्ट्रपति ने इस परम्परा का पालन किया। मुझे आश्चर्य हुआ जब हमारे माननीय सदस्य शरद पवार ने यहां पर कहा कि यह सब गलत हुआ...

श्री शरद पवार : गलत नहीं कहा, बुलाया ठीक किया, ऐसा कहा...**(व्यवधान)**

श्री जार्ज फर्नान्डीज : कलंकित किया, यह तो व्यक्तिगत आरोप हो गया। जब राम विलास पासवानजी ने बार-बार कहा कि कैसे आप गये, क्यों गये, राष्ट्रपति ने बुलाया था इसलिए गये, तो हमला एक तरह से राष्ट्रपति के फैसले पर था। इन्होंने कहा कि सरकार की हिम्मत नहीं है, वह बात ठीक है, लेकिन हमला सीधा राष्ट्रपति के निर्णय पर है इससे नहीं बचा जा सकता।

मुझे दूसरी बात यह कहनी है कि अगर श्री अटल बिहारी वाजपेयी को बुलाना गलत था, अगर उनको नहीं जाना चाहिए था, अगर उन्हें सरकार नहीं बनानी चाहिए थी तो फिर किस को बुलाना चाहिए था, यह बात भी आनी चाहिए। केवल यह कहकर इस सदन में नहीं चलेगा कि यह गलत हुआ, आप नहीं थे तो फिर किस को जाना चाहिए था? आज के दिन भी 13 दलों का कार्यक्रम नहीं बना। आप खुद कह रहे हो कि आज तक आप लोगों का कार्यक्रम नहीं बना, किस आधार पर समर्थन देंगे यह अभी के विरोधी दल के नेता, भूतपूर्व प्रधान मंत्री और कांग्रेस के अध्यक्ष तय नहीं कर पा रहे हैं। फिर यही बात कहेंगे कि गलत हुआ, कैसे गये, यह बहस का तरीका नहीं है। अगर आपको इस देश की संसदीय प्रणाली की जो परम्परा है, वह पसंद नहीं है तो फिर संविधान संशोधन करिये, वही एक उपाय है। इस बहस में समय बर्बाद करना सही उपाय नहीं है।

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी (दरभंगा) : आपको कुल सात मिनट मिले थे, फिर क्यों सदन का समय बर्बाद कर रहे हैं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : इसे मैं देखूंगा। यह आपका काम नहीं है।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : यह बात कही जा रही है कि किसी भी कीमत पर सरकार नहीं बनने देंगे या नहीं चलने देंगे। हम इस अनुभव से आये हैं। यहां नीतीश कुमारजी भी बैठे हैं। हम दोनों के बारे में बिहार में कहा गया था कि किसी भी कीमत पर जार्ज फर्नान्डीज और नीतीश कुमार बिहार से लोक सभा में नहीं जायेंगे। इसलिए हम यह "किसी भी कीमत का" अनुभव करके आये हैं। चूंकि नेताओं का सोच एक था और बिहार के मतदाताओं का सोच दूसरा था। बिहार का मतदाता कितनी दूर गया है, यह इस बात सबूत है कि हम यहां पर खड़े है और नीतीश कुमार भी यहां है।...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

सभापति महोदय : आप नये सदस्य हैं। आपको ठीक व्यवहार करना चाहिए। आप कृपया बैठ जाइए।

श्री राजेश रंजन, आप कृपया बैठ जाइए।

[हिन्दी]

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव (पूर्णिया) : सभापति जी, एक बात सुनिये। माननीय सदस्य एक सांसद के प्रति आपत्तिजनक शब्द कह रहे हैं, क्या यक सांसद के लिए गरिमा की बात है?...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

सभापति महोदय : बोले गये ऐसे शब्दों को कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया जायेगा।

... (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव : किसी को गुंडा कह रहे हैं. ..**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

सभापति महोदय : आप कृपया बैठ जाइए।

... (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री आनन्द मोहन (शिवहर) : बिहार में गुंडा कौन है?... **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्री आनन्द मोहन, कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : सभापति जी, मैं यह कह रहा था... **(व्यवधान)**

श्री शरद यादव : सभापति जी, जो समय बांधा है, उसका ख्याल करना चाहिये। मेरी इतनी ही विनती है कि जिस काम के लिए आपने समय मुहैया किया है, वह उसी के अन्तर्गत हो जाये तो ज्यादा अच्छा है।

रक्षा मंत्री एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री प्रमोद महाजन) : आपके कहने से बड़ा भ्रम निर्माण हुआ है। मैंने चीफ व्हिप से पहले ही कहा है कि जार्ज जी जितना समय लेंगे, मेरी पार्टी से डिडक्ट किया जाये।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : समता दल को छः मिनट दिए गए हैं। भा.ज.पा. के मुख्य सचेतक ने मुझे पहले ही यह बताया है कि श्री जार्ज फर्नान्डीज द्वारा लिये गये समय को उनके समय में से कम कर दिया जायेगा। प्रधानमंत्री द्वारा लिए गये समय के अतिरिक्त उनके पास एक घंटा और पचास मिनट का समय है।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : मेरी प्रार्थना है कि जितना समय टोकाटोकी में जा रहा है, वह न जाये।...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

सभापति महोदय : आप अपना भाषण जारी रखेंगे।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : मैं अपना भाषण जारी रखूंगा। मगर मेरी इतनी प्रार्थना है जितना समय इस तरह से वाद-विवाद में जाता है तो वह समय मेहरबानी करके हमारी बोली में न जोड़ा जाये।... **(व्यवधान)**

सभापति महोदय : मेरे पास ऐसा मैकेनिज्म नहीं है जिससे इंट्रप्शन्स के समय को मापा जा सके। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि जितना वाद-विवाद का मौका होता है, उसे कम करें।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : हम तो आपकी ही तरफ से बोल रहे हैं। जो टोका-टोकी होती है तो हम देखते हैं कि कौन टोकता है।... **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया जारी रखिए।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : इस तरह से घमण्ड से जो लोग बोलते हैं कि कतई नहीं बनने देंगे तो किसी कीमत पर नहीं होगा। इससे मतदाताओं को अपमान होता है। अब मान लीजिये कि यहां पर कौन 20 पर है या 30 पर या 25 पर है तो इस आधार पर अब कुछ नया राजनैतिक दर्शन भी बनाया जा रहा है कि अगर हर सूबे में एक-एक सांसद आये तो फिर वह हिन्दुस्तान का प्रधानमंत्री हो जाये और अगर चार सूबों से सौ हो जायें तो वे विपक्ष में बैठ जायें। नये सिद्धांतों का भी यहां पर निर्माण करने की बात हो रही है। हमको यह सुनकर बड़ा अजीब लगा और वह भी ऐसे व्यक्ति से यह सुनकर जो देश के रक्षा मंत्री रह चुके हैं और एक बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री अनेक बार रह चुके हैं। लेकिन मतदाताओं का जो इन चीजों से अपमान होता है, उसे लोगों को समझना चाहिये और मैं आज यहां पर एक बात पूछना चाहता हूं कि आज भारतीय जनता पार्टी के साथ जो भी दल जुड़े हैं, वे सभी मिलकर 190 या कुछ आंकड़े जो आपने बता दिये हैं और आप कहते हैं कि इस आधार पर राष्ट्रपति महोदय ने उनको बुलाकर एक बड़ी गलत बात की है। अगर यह कहना हो कि किसी स्थिति में भी सरकार न बनाने की बात है तो कल अगर भारतीय जनता पार्टी बहुमत में आ जाये या आज की भारतीय जनता पार्टी बहुमत में आई होती तो फिर इस देश का प्रजातंत्र किस दिशा में चलाया जाता? किस दिशा में उसको चलाने के लिए दिया जाता? यह प्रश्न खड़ा होता है।

चूंकि बहस जिस दिशा में जा रही है, उसमें ये खतरे मुझे दिखाई दे रहे हैं।...**(व्यवधान)**

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव : काल्पनिक बाते हैं।

[अनुवाद]

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (दमदम) : यह हिटलर के उत्थान की तरह होगा। हिटलर भी उसी तरह से आया था। मुझे आपको यह स्मरण कराने की आवश्यकता नहीं है।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : अगर हिटलर की बहस करनी है, तो उसके लिए हम तैयार हैं, लेकिन आज का वक्त उसके लिए हम खराब नहीं करेंगे। हम उस बहस के लिए तैयार हैं और हम चाहेंगे कि आप से विशेष तौर पर इस बारे में बहस हो जाए। इस बहस में और इस प्रकार की सोच में मुझे एक बू नजर आ रही है, जो आज से 10–5–7 साल पहले इस देश में जब सरकार एक ही पार्टी के हाथ में रहती थी, तब चली आई थी और वह है धारा–356। यहां डीएमके के साथी बैठे हैं। तेलगू देशम के लोग बैठे हैं। इन्हें अनुभव है कि धारा 356 का कितनी बार इस्तेमाल हुआ और किन–किन कारणों को लेकर इस्तेमाल हुआ और वहां के प्रजातन्त्र का क्या हाल बना दिया। ये सभी अनुभव हम लोगों ने किए हैं और मुझे इसमें यह बू आ जाती है कि जो लोग इस प्रकार की बातें आज कहते हैं, कल शायद कहीं मौका मिल जाए, तो फिर यही दिशा पकड़ कर के ये लोग आगे जा सकते हैं। यह सदन तय करेगा कि इस प्रस्ताव का क्या होना है। लेकिन हम जानना चाहते हैं कि यह जो 13 दलों का मोर्चा बना है, जिसके नेता हमारे श्री देवगौड़ा जी हैं, इस मोर्चे का कार्यक्रम जब नहीं बना और यह बात हमको बताने में आ रही है कि यहां मिला–जुला कार्यक्रम बनेगा और सभी मैनीफैस्टो सामने रखे जायेंगे। सभी मैनीफैस्टो में जो भी सामान बातें हैं, वे बातें कार्यक्रम के तौर पर बनाई जायेंगी। मैं जानना चाहता हूं कि कौन से समान कार्यक्रम के तौर पर बनाई जायेंगी। मैं जानना चाहता हूं कि कौन से समान कार्यक्रम या कौन से समान विचार इन सब लोगों के मैनीफैस्टो में हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्ता (मिदनापुर) : बाद में देखा जाएगा।...**(व्यवधान)**

श्री जार्ज फर्नान्डीज : बाद में क्यों? मेरे पास यह जनता दल का मैनीफैस्टो है, सी.पी.आई. का मैनीफैस्टो है, सी.पी.आई. (एम) का मैनीफैस्टो है और यह तेलगू देशम का मैनीफैस्टो है–चार मैनीफैस्टो हमारे प्रास हैं। इन चारो मैनीफैस्टो को देखने के बाद, तेलगू देशम का तेलगू भाषा में है और इसका अंग्रेजी भाषा में अनुवाद करवा कर देख लिया है, समान बातें मुझे मोटा–मोटी दो दिखाई दे रही हैं। एक है, भ्रष्टाचार पर हल्ला बोल और इस पर जनता दल कहता है–

[अनुवाद]

> "परिवार के शासन और सत्ता के अपव्यय के कारण कांग्रेस के पास अपना खोया आधार पुनः बनाने के लिए यहां तक कि गतिशील नेतृत्व अथवा दिशा बोध भी नहीं था। वास्तव में, आर्थिक उदारीकरण के लिए इसके विशिष्ट जन उत्साह के साथ सामाजिक न्याय तथा धर्मनिरपेक्ष व्यवस्था कैसे गूढ़ मुद्दों पर सीमारहित गोल मोल बातें करने से इसके आधार में और कमी आई हैं। 1989 से...**(व्यवधान)**

महोदय, आपको मुझे संरक्षण देना चाहिए। मैं इस तरह की स्थिति में बोल नहीं सकता। आप मुझे संरक्षण दें।

सभापति महोदय : कृपया अपना भाषण जारी रखिए।

श्री जार्ज फर्नान्डीज :

> "कांग्रेस अब अंतिम विघटन की ओर अग्रसर है। विभाजन और विद्रोह, जो हाल ही में निरन्तर किस्तों में होते रहे हैं इस प्रक्रिया को इंगित करते हैं। जबकि कांग्रेस का राजनैतिक तथा सामाजिक आधार तेजी से कम होता रहा है, विगत पांच वर्षों के इसके शासन के दौरान प्रतिभूति घोटाला, सरकारी उपक्रमों के शेयरों में धोखाघड़ी, पूर्ण अनिवेश, चीनी आयात घोटाला, रेलवे, विद्युत, तेल, खानों तथा दूरसंचार क्षेत्रों में हुए सौदे जैसे घोटाले हुए हैं।"
>
> जिस तरह से हवाला घोटाले को सरकार द्वारा चार वर्षों से भी अधिक समय तक दबा कर रखा गया था, वह स्वयं में एक घोटाला है। अब यह सभी जानते हैं देश को स्थिर सरकार, जिसका कांग्रेस गर्वपूर्वक दावा करती है, वह स्थिर सरकार खरीदी गई थी, जो कुछ संसद सदस्यों के बैंक खातों से स्पष्ट है।"

[हिन्दी]

संभापति महोदय, अब यह कम्युनिस्ट पार्टी का मेनिफेस्टो है। इसमें लिखा है :–

[अनुवाद]

> "राव के शासन के दौरान, हमारे गणतन्त्र की धर्मनिरपेक्ष आधार शिलाओं पर भारी प्रहार किए गये थे। अल्पसंख्यकों में अलगाव तथा असुरक्षा की भावना आई और वे इस सरकार को अपने जीवन तथा सम्पत्ति की सुरक्षा करने वाली नहीं समझते हैं।"

राव सरकार के अन्तर्गत भ्रष्टाचार नये गुणात्मक स्तरों तक पहुंच गया है, हर रोज एक नये घोटाले का पता लग रहा है, हर नया घोटाला पिछले घोटाले से अधिक बड़ा है। प्रतिभूति घोटाला, चीनी घोटाला, अनिवेश घोटाला, बैलाडिला घोटाला, दूर संचार घोटाला, रेलवे

आमान घोटाला, पुरूलिया में हथियार गिराने का घोटाला, रक्षा घोटाला और अब हवाला घोटाले ने हमारी प्रजातांत्रिक प्रणाली को और जीवन शैली को प्रदूषित कर दिया है। यहां तक कि इनमें से कुछ घोटालों में तो देश की सुरक्षा भी दाव पर है।"

इसमें आगे यह कहा गया है :

"देश कांग्रेस के हाथों अब सुरक्षित नहीं है। स्वयं के बूते पर बहुमत प्राप्त करने के इसके अवसर समाप्त हो गए हैं। कांग्रेस देश पर और आगे शासन करने में अब स्पष्टरूप से अयोग्य है।"

[हिन्दी]

मगर इसमें एक चीज नहीं लिखी है वह यह है :—

[अनुवाद]

"लेकिन अब यह राष्ट्रीय मोर्चा का समर्थन करने के लिए सक्षम है। यह अब शासन करने के सक्षम नहीं है लेकिन उनका समर्थन करने के लिए सक्षम है"... **(व्यवधान)**

मैं आपकी सहायता के लिए अब एक भेद करना चाहता हूं। यह भारतीय साम्यवादी दल (मा.) का घोषणापत्र है। इसमें कहा गया है :

"इन पांच वर्षों ने संस्थागत भ्रष्टाचार के पूर्णतया अभूतपूर्व स्तर देखे हैं। नरसिंह राव शासन की विशेषता घोटालों तथा उनके माध्यम स लुटी गई धनराशि में अत्यधिक वृद्धि रही है। अपराधी शासन-दल-राजनीति-व्यवसायी-नौकरशाह द्वारा मिलकर सार्वजनिक परिसम्पतियों को लूटने में कोई क्षेत्र और कोई प्रयास नहीं छोड़ा गया। कांग्रेस दल अब एक ऐसा दल है जिसमें कोई आन्तरिक प्रजातन्त्र नहीं है और जो आपसी झगड़ों का सामना कर रहा है। इसने स्वयं को एक ऐसे संगठन में परिवर्तित कर दिया है जिसके नेतृत्व ने राष्ट्रीय हित के सभी प्रतिबद्धताओं को छोड़ दिया है।"...**(व्यवधान)** मैं नहीं मान रहा हूं, महोदय...**(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री भगवान शंकर रावत (आगरा) : क्या आपने कांग्रेस पार्टी हमेशा के लिए दफन कर दी है,...**(व्यवधान)** या आप राष्ट्रीय मोर्चे में शामिल हो गए हैं?...**(व्यवधान)**

श्री जार्ज फर्नान्डीज : सभापति महोदय, यह आखरी मैनिफैस्टो है। इसके बाद कुछ और दस्तावेज पढूंगा।

[अनुवाद]

"कांग्रेस पार्टी जो, सत्ता में थी, न केवल आम जनता का जीवन स्तर ऊपर उठाने में असफल रही है बल्कि जनता की आधारभूत आवश्यकताओं को भी पूरा करने में असफल रही हैं। कांग्रेस नेताओं के लिए भ्रष्टाचार जीवन में एक आम बात हो गई है। लोगों का कांग्रेस में विश्वास समाप्त हो गया है। समाप्त न होने वाले जोड़तोड़ सत्ताधारी दल की आदत बन गई है। अनुचित नीतियों का अनुसरण करके कांग्रेस ने देश की अर्थव्यवस्था को नष्ट कर दिया है। साम्प्रदायिकता तनाव, क्षेत्रीय आतंकवाद तथा सबसे निचले तबके के लोगों, अर्थात अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लोगों पर अत्याचार को सरकार द्वारा भड़काया जा रहा है और अपने हित लाभ के लिए उनका प्रयोग किया जा रहा है। आज हमारे देश की यह स्थिति है"...**(व्यवधान)**

श्री इन्द्रजीत गुप्त : आपका घोषणापत्र क्या है?

श्री जार्ज फर्नान्डीज : मेरा घोषणापत्र पढ़ने के लिए आपका स्वागत है...**(व्यवधान)**

प्रो. उम्मारेड्डि वेंकटेस्वरलु (बापतला) : महोदय, इसके साथ ही, तेलगूदेशम ने साफ तौर पर यह कहा है कि मिलीजुली सरकार ही इसका एकमात्र समाधान है...**(व्यवधान)** । घोषणा-पत्र देख सकते हैं। हमने साफ तौर पर कहा है कि मिलीजुली सरकार ही इसका एकमात्र समाधान है। आप केवल उन वाक्यों का ही उल्लेख मत कीजिये, जिन्हें कि आप अपने पक्ष में सही समझते हैं। भाजपा के घोषणा-पत्र को ही लीजिए...**(व्यवधान)**

श्री जार्ज फर्नान्डीज : आप मुझसे जो पढ़वाना चाहते हैं वही मैं क्यों पढ़ूं फिलहाल मैं आपकी बात कर रहा हूं...**(व्यवधान)**

श्री इन्द्रजीत गुप्त : महोदय, हम यह जानना चाहते हैं कि समता-पार्टी ने अपने घोषणा-पत्र में भाजपा के बारे में क्या लिखा है। कृपया उन्हें यह पढ़कर सुनाने के लिए कहिये।

सभापति महोदय : मैं उन्हें यह कहने के लिए मजबूर नहीं कर सकता कि उन्होंने भाजपा के बारे में क्या कहा है।

... (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : सभापति महोदय, बुजुर्ग और इतने पुराने सदस्य मुझे बता रहे हैं कि मैं क्या पढ़ूं। अब मैं इनको कहूं कि वे क्या बोलें, यह कैसे हो सकता है। मुझे जो कहना है वह मैं कह रहा हूं।...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (दमदम) : वह विपक्ष के विरूद्ध अविश्वास-प्रस्ताव पर बोल रहे हैं। उन्हें अपनी बात जारी रखने दीजिये।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज (नालंदा) : अध्यक्ष जी, मैं यह इसलिए नहीं कह रहा हूं कि इन लोगों को परेशानी हो। मैं इनको परेशान करने के लिए नहीं कह रहा हूं।

सभापति महोदय : आप कॉफिडेंस मोशन के बारे में भी कहिये।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : मैं जानना चाहूंगा कि क्या श्री नरसिंह राव जी ने इसको पढ़ा है। यह चार्ज-शीट पी.वी. नरसिंह राव जी के खिलाफ सी.पी.आई. के न्यू-ऐज में अप्रैल महीने की 23 और 22, 21 और 26 तारीख की है, मुश्किल से एक महीने पहले की है। चुनाव अभियान शुरू होने के बाद की है।

[अनुवाद]

इसमें यह कहा गया है कि यह नरसिंह राव सरकार के विरूद्ध आरोप-पत्र है, अतः नरसिंह राव को त्याग-पत्र दे ही देना चाहिए। नरसिंह राव सरकार न केवल भ्रष्ट है, बल्कि इसकी नीतियां भी हर क्षेत्र में जन-विरोधी रहीं हैं।

[हिन्दी]

और भरपूर इसमें आरोप हैं जो मैं पढ़ना नहीं चाहता हूं।... **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

नरसिंह राव भ्रष्टाचार के प्रतीक...**(व्यवधान)**

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : आपके कहने का क्या अर्थ है? क्या श्री वाजपेयी उनके पास गये हैं?

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : वे तो भूतपूर्व प्रधान मंत्री को मिलने जाते हैं। क्या आप नहीं अटलजी से मिलने गये थे।

श्री सोमनाथ चटर्जी : मिठाई खिलाने गया था।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : उनको परेशानी हो रही है। मैं महसूस कर रहा था। वह यह समझते हैं कि मैं उनको हंसाने के लिए पढ़ने वाला था। मैं इसलिए पढ़ रहा हूं कि कैसे लोग सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं।...**(व्यवधान)** यह सब बातें काहे के लिए थी। यह देश के लोगों को बताने के लिए कि हम उसने लड़ रहे हैं।

श्री बसुदेव आचार्य : मोशन पर बोलिये।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : यही मोशन है।...**(व्यवधान)** यही मोशन है कि क्यों यह सरकार बनी रहनी चाहिए, यही मोशन है। आपके लोगों के हाथ में सरकार देनी नहीं है, यही मोशन है। अब अध्यक्ष जी, सेक्यूलरिज्म शब्द की बात आती है। एक अंग्रेजी शब्द का गलत इस्तेमाल इस देश में हुआ है यह मेरी समझ में नहीं आ रहा है। हम बताएंगे कि कौन सेक्यूलर है और कौन कम्युनल है और इसका क्या मापदंड है। मैं भारतीय जनता पार्टी की वकालत नहीं कर रहा हूं, मैं किसी संस्था की भी वकालत नहीं कर रहा हूं।...**(व्यवधान)** सर्टिफिकेट देने वाले कौन होते हैं और किन-किन को सर्टिफिकेट दिया जा सकता है। यह आपकी पार्टी का दस्तावेज है इसको भी आप पढ़ लें।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : आपके कहने से क्या होता है।... **(व्यवधान)**

श्री जार्ज फर्नान्डीज : सेक्युलरिज्म का क्या अर्थ होता है। यह मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का दस्तावेज है, सेक्युलरिज्म का अर्थ इसमें है। इसमें लिखा है,

[अनुवाद]

> "जबकि भाजपा अपने पुराने जनसंघवाद को भूलने की कोशिश कर रही है, कांग्रेस-आई ने इन्दिरा गांधी के अधीन हिन्दु वोट जुटाना शुरू कर दिया है, जिसका सबसे पहला प्रमाण जम्मू में 1983 में हुए चुनावों से मिलता है। यह पार्टी विश्व-हिन्दू परिषद द्वारा-हिन्दुत्व को बढ़ावा देने के लिए और व्यापक जन समर्थन जुटाने के लिए किए गए एकात्मकता यज्ञ को भी आत्मसात कर रही थी। इन्दिरा गांधी द्वारा किये गये अस्थाई प्रयत्न राजीव गांधी के चुनाव अभियान के केन्द्रीय प्रयास बन गये। जब उन्होंने अल्पसंख्यक अलगाववाद के हाथों राष्ट्रीय विघटन के आतंक का मुद्दा उठाकर असाधारण जनसमर्थन हासिल किया था, तो उस समय कांग्रेस-आई के चुनाव घोषणा-पत्र की विकृत पृष्ठभूमि में पंजाब में सिख उग्रवाद तथा उनकी मां की उनके ही सिख अंगरक्षकों द्वारा हत्या करने और उसी वर्ष नवम्बर में दिल्ली एवं उत्तरी भारत के अन्य शहरों में हजारों सिखों की हत्या जैसे विषयों को ही प्रमुख रूप से केन्द्र-बिन्दु बनाया गया था। और आगे जाकर, हाल ही के वर्षों में कांग्रेस ने नेहरू जी की विचारधारा को अपने चुनाव घोषणा-पत्र से पूर्णतया बाहर निकाल दिया है। इससे खतरा बढ़ा है। उदाहरण के लिए, राम जन्म भूमि मुद्दे के हर चरण पर, भारत सरकार ने समझौता किया है तथा इसमें सहयोग दिया है।"
>
> "ताले खुलवाने के पीछे सरकार का हाथ था, उन्होंने ही शिलान्यास होने दिया तथा आवधिक 'कार सेवा' चलने दी, सरकार ने अपने आपको एक तरफ रखकर मस्जिद को गिराने तथा अन्ततः उस स्थल पर अस्थाई मन्दिर का पुनर्निर्माण होने दिया, इस प्रकार मस्जिद को गिराने सहित इस समूचे आंदोलन को उचित ठहराया गया दिखावे के तौर पर मुट्ठी भर नेताओं को गिरफ्तार करने तथा

दिखावे के लिए ही विश्व हिन्दु परिषद पर प्रतिबंध लगाने को छोड़कर, सरकार मस्जिद गिराने वाले लोगों तथा हत्या करके आनन्दोत्सव मनाने वाले लोगों के विरूद्ध कोई कार्रवाई करने में विफल रही है।"

[हिन्दी]

मैं इसलिये इस दस्तावेज को पढ़ रहा हूं कि जब यह एकतरफा हल्ला हो रहा है और जब खुद ही माना जाता है, इनकी तरफ से कांग्रेस के ऊपर आरोप आ जाता है, इनके घोषणा पत्र में आरोप है कि वह कम्यूनल है, उन्होंने सैकुलरिज्म छोड़ा है, इनका हर दस्तावेज इस प्रकार की बातों को कह रहा है, यह कौन से सैकुलरिज्म पर बहस आज देश में सैकुलरिज्म और कम्यूनल करके चलाना चाहते हैं, यह मैं इनसे जानना चाहता हूं।

हिन्दुस्तान में 1947 से लेकर आज तक दो बार गैर कांग्रेसी सरकारें दिल्ली में बनी। एक बार मोरारजी भाई का मंत्रिमंडल बना था तब जनता पार्टी थी। ऐमरजेन्सी से लड़ कर सभी लोग एक जगह पर आये थे और इसके बाद 1989 में दुबारा एक सरकार बनी जिस के प्रधान मंत्री वी.पी. सिंह जी रहे। पहली सरकार में जनसंघ जनता पार्टी के तौर पर मौजूद थी। दूसरी सरकार में भारतीय जनता पार्टी ने बाहर से समर्थन किया था और मार्क्सवादी पार्टियों ने बाहर से समर्थन दिया था। यह दो सरकारें छोड़कर पिछले 50 सालों में कुल चार साल घटा दें तो 46 साल कांग्रेस पार्टी की सरकार केन्द्र में रही। इस बात से यह इन्कार नहीं कर सकते हैं। अगर 50 सालों में से 46 साल इनकी सरकार रही तो हिन्दुस्तान में माइनॉरिटी के लोग क्यों असुरक्षता महसूस कर रहे हैं? जिम्मेदारी किस की है? अगर अटल बिहारी वाजपेयी जी के प्रधानमंत्री बनने से अक्लियत के मन में बहुत पीड़ा, डर है और उनका भविष्य क्या होगा, यह प्रश्न अगर छेड़े जाते हैं तो हम जानना चाहते हैं कि पिछले 50 सालों में से 46 साल किस की सरकार रही?

सभापति महोदय, मैं नालन्दा से चुन कर आया हूं। मेरे क्षेत्र में बिहार शरीफ नाम का कस्बा है। वहां मुसलमान रहते हैं। 50 हजार के लगभग उनके वोट हैं। आधे बुनकार और आधे बीड़ी मजदूर पिछले 3-4 सालों से भुखमरी से मर रहे हैं। उनको पूछने वाला कोई नहीं है। उनको न तो रोजगार देने का इंतजाम है और न ही उनके द्वारा पैदा की गई चीजों को बेचने का इंतजाम है। उन सभी लोगों ने मुझे वोट दिया। उन्होंने मुझ से वह नहीं पूछा जिस को लेकर मुझे यहां टोका जा रहा है। मेरे क्षेत्र में मुसलमानों ने रोजी-रोटी का सवाल उठाया। हम उनको रोजगार कैसे दिला सकेंगे यह बात बीड़ी मजदूरों और दस्तकारों ने मुझ से पूछी। आज हिन्दुस्तार में इस बात को कौन नकार सकता है कि हिन्दुस्तान के मुसलमानों को रोजगार नहीं मिला। सरकारी और निजी दफ्तरों में उनकी भर्ती नहीं हुई है। यह आज की बात नहीं है। यह आजादी के दिन से लेकर आज तक की बात है। देश के मुसलमान किस हालत में रहते हैं, यह आप और हम सब जानते हैं तथा यह सदन जानता है। किस ने उन्हें पहुंचा दिया?

किसने 46 साल से रोजगार के लिये सोचा? उसको दस्तकारी में धकेल दिया और आज आपकी नई आर्थिक नीति के चलते वह दस्तकारी भी मिटाई जा रही है। फिर सैक्यूलरिज्म का नारा देकर वोट पाने के लिये बातें बनाकर इस देश की राजनीति को चलाना चाहते हैं? सभापति महोदय, मैं इसका विरोध करता हूं और इसका विरोधी रहा हूं और रहूंगा।

सभापति जी, मुझे दो-तीन बातें आपसे कहनी हैं। पहली तो यह है कि हवाला का मामला है जिसके बारे में अखबारों में काफी चर्चा चल रही है। सब पार्टियों ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में इसकी चर्चा की है। हवाला कब हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ, ये सारी चीजें अपनी जगह पर हैं लेकिन मुझे लग रहा है कि जो तथ्य हैं, वे भी सिलैक्टिव हो जाते हैं। जो हकीकतें हैं, वे भी सिलैक्टिव ढंग से देखने होते हैं। श्री आडवाणी हवाला में फंसे। यह बड़ा विषय बना लेकिन कई लोगों का कई और चीजों का दस्तावेज बना। इस बात से कौन इनकार कर सकता है कि इस हवाला में सबसे अधिक पैसा लेने वालों में जनता दल की जमात है...**(व्यवधान)**...यह आपका ही प्रकाशन है, मेरा, नहीं है। जनता दल के उस समय के मंत्री अरुण नेहरू 35 लाख रुपया, मौ. आरिफ खान 7 करोड़ 49 लाख 46 हजार, जनता दल के मुख्यमंत्री चिमनभाई पटेल 2 लाख रुपया, जनता दल के अध्यक्ष श्री एस.आर. बोम्मई...**(व्यवधान)**...

[अनुवाद]

श्री बी.के. गढ़वी (बनासकांठा) : महोदय, मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाना हूं। वह उन लोगों का नाम कैसे ले सकते हैं, जो इस सभा के सदस्य नहीं हैं?...**(व्यवधान)**

सभापति महोदय : आप किस बात को उद्धृत कर रहे हैं?

... **(व्यवधान)**

सभापति महोदय : मुझे पता लगाने दीजिये कि यह क्या है?

[हिन्दी]

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी (दरभंगा) : सभापति महोदय, मेरा प्वाइंट ऑफ आर्डर है...

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्री फातमी जी, उन्होंने व्यवस्था से संबंधित एक प्रश्न उठाया है। कृपया आप बैठ जाईये। मुझे इसका निबटान कर लेने दीजिए। चाहे वह उसकी पार्टी से संबद्ध हैं अथवा नहीं मुझे इसका निबटारा करना है। आप किस बात का जिक्र कर रहे थे?

श्री जार्ज फर्नान्डीज : महोदय, मैं पढ़कर सुना रहा हूं-'हवाला मामला सभी दोषियों को दण्ड देता है'-सी.पी.आई. (एम.) का एक प्रकाशन। यह एक मुद्रित दस्तावेज है...**(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री मुख्तार अनीस (सीतापुर) : उस सरकार में आप भी मंत्री थे, फिर नैतिकता के आधार पर ऐसे मंत्रियों के साथ कैसे शामिल हुये?

श्री जार्ज फर्नान्डीज : आपको मालूम करके बोलना चाहिये। आपको इतिहास के बारे में जानकारी ही नहीं है और आप में से किसी को भी नहीं है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : क्या आप इसे प्रमाणित करने को तैयार हैं?

श्री जार्ज फर्नान्डीज : महोदय, हां, मैं इसे प्रमाणित कर दूंगा।

श्री प्रिय रंजन दासमुंशी : सभापति महोदय, श्री जार्ज फर्नान्डीज जी एक अत्यंत जिम्मेदार सदस्य हैं, जिन्हें सभा के नियमों, कार्य एवं प्रक्रिया के बारे में पूरा ज्ञान है। किसी साहित्य अथवा परचे से वह जिन नामों का उल्लेख कर रहे हैं, मैं उनमें से किसी के भी पक्ष में अथवा विरूद्ध नहीं हूं। मैं तो आपको प्रक्रिया ही पुनःस्मरण करा रहा हूं। इस सभा में कुछ ऐसे सदस्य पहले ही उपस्थित हैं, जो कि हवाला मामले में संलिप्त माने जाते हैं। लेकिन इस मामले पर न्यायालय में मुकदमा चल रहा है। हमें इस बात का उत्तर ढूंढना है कि क्या उन लोगों के नाम बार बार यहां लिये जा सकते हैं, जो अपना बचाव नहीं कर पाये। वे न्यायालय में अपना बचाव कर सकते हैं, संसद में नहीं। क्या श्री जार्ज फर्नान्डीज जैसे प्रबुद्ध सांसद के लिए उनके नाम पर किसी विशेष प्रयोजन से आरोप लगाना उचित है?

श्री जार्ज फर्नान्डीज : महोदय, मैं किसी पर किसी प्रयोजन विशेष से आरोप नहीं लगा रहा हूं।

[हिन्दी]

सभापति महोदय, मैंने यह नहीं कहा कि मैं इन लोगों को अपराधी मान रहा हूं। मैंने केवल इतना ही कहा कि जब बोलते हैं तो सब का नाम लेते हैं। एक नाम नहीं दिखाई दे रहा है, यही मैं आपसे कह रहा हूं।

अपराह्न 4.00 बजे

सभापति महोदय : नहीं। ऐसा प्रतीत होता है कि वे इसे प्रमाणित कर रहे हैं। वह उसमें से उधृत कर सकते हैं। किसी भी ऐसे व्यक्ति के नाम का यहां उल्लेख नहीं किया जाना चाहिए, जो यहां उपस्थित न हो क्योंकि वह बचाव में अपना पक्ष नहीं रख सकता।

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : कृपा करके आप ऐसी रूलिंग मत दीजिए। जो यहां सदन में नहीं हैं उनका नाम नहीं लिया जा सकता, उनका हवाला नहीं दिया जा सकता यह रूलिंग इस सारी कार्यवाही पर दूरगामी परिणाम डालेगी।

एक माननीय सदस्य : रूल है तो रूल है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : यह रूल नहीं है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : जो कुछ भी आपत्तिजनक है यहां स्थापित नियमों के अनुसार, हमें उसका निबटाना करना होगा।

...**(व्यवधान)**

श्री अनिल बसु (आरामबाग) : किसी भी ऐसे मामले का यहां उल्लेख नहीं किया जाना चाहिए, जोकि न्यायालय में विचाराधीन हो।

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : ऑब्जेक्शन बात अलग है। मगर बहुत से लोग यहां नहीं हैं मगर सार्वजनिक जीवन में हैं। वह हमारी नीतियां प्रभावित करते हैं, वह देश की नीतियां बनाने में हिस्सा लेते हैं। उनका नाम लेने में क्या आपत्ति है? हमने तो रोका नहीं है।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : मैं किसी पर आरोप नहीं लगा रहा हूं। मैं किसी को अपराधी नहीं कह रहा हूं।..**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

मैं किसी के विरूद्ध कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं...**(व्यवधान)**

[हिन्दी]

सभापति जी, मुझे अपनी बात खत्म करने दीजिये। मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं। ...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अगर यह न्यायालय में लंबित है, आम तौर पर परंपरा यह है कि कोई भी नाम जो न्यायालय में लंबित है, उसका उल्लेख न किया जाये।

[हिन्दी]

श्री सत्यपाल जैन (चण्डीगढ़) : पासवान जी ने खुराना जी और साहिब सिंह वर्मा जी का नाम लिया था। उनका नाम भी इसमें नहीं जाना चाहिए।....**(व्यवधान)** आडवाणी जी का केस कोर्ट में पेण्डिग है। पासवान जी ने उसको क्वोट किया है।....**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

डा. मुरली मनोहर जोशी : नियमों में अधि प्रमाणित दस्तावेज से उद्धृत करने की अनुमति है।

सभापति महोदय : मैं इस पर पहले ही विनिर्णय दे चुका हूं। जो कुछ भी अधिप्रमाणित है, उसकी अनुमति है। न्यायालय में जो भी लंबित है, उसका यहां उल्लेख नहीं किया जाना चाहिये।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : सभापति जी, राम विलास जी ने एक ऐसे मामले की यहां पर चर्चा की जिसका जिक्र शायद प्रधान मंत्री जी ने अपने भाषण में किया था और उन्होंने यह कहा कि बिहार में जो कुछ हुआ वह बिल्कुल दुरूस्त हुआ है, उसमें कोई हरकत करने वाली बात नहीं है। मेरे हाथ में हाई कोर्ट का एक जजमेंट है। मैं हाई कोर्ट के जजमेंट से दो-चार बातें यहां पर रखना चाहता हूं। ..**(व्यवधान)**

श्री शरद यादव : मेरी एक पौइंट ऑफ आर्डर है।...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

सभापति महोदय : उनका व्यवस्था का प्रश्न है। कृपया उनकी बात सुनिए।

...**(व्यवधान)**

सभापति महोदय : इसे मुझे देखने दीजिये। कृपया इसे अपने नहीं, मेरे निर्णय पर छोड़ दीजिए।

...**(व्यवधान)**

सभापति महोदय : श्री शरद यादव जी, जो कुछ भी न्याय-निर्णयाधीन है और न्यायालय में लंबित है, कार्यवाही का भाग नहीं बनेगा।

श्री जसवंत सिंह : आपने न्याय निर्णयाधीन के प्रश्न का उल्लेख किया है। न्याय निर्णयाधीन के मामले पर कौल और शकधर की पुस्तक में नियम बिल्कुल स्पष्ट हैं। जहां तक संसद का संबंध है, आपराधिक मामलों में जब तक आरोप-पत्र दाखिल नहीं किये जाते तब तक मामला न्याय-निर्णयाधीन नहीं माना जाता। दीवानी मामलों में जब तक मुकदमा तैयार नहीं होता तब तक मामले को न्याय-निर्णयाधीन नहीं माना जाता। इस मामले में, जिसमें मेरे मित्र श्री जार्ज फर्नान्डीज और श्री शरद जी का यह कहना कि इस प्रश्न पर सिर्फ इस आधार पर कि यह न्याय निर्णयाधीन है, संसद को इस चर्चा से वंचित रखा जाये। महोदय, यह मेरे विचार में मान्य नहीं है। कौल और शकधर इस पर बिल्कुल स्पष्ट हैं। इस संबंध में हमारे नियम बिल्कुल स्पष्ट हैं। यह मामला न्याय-निर्णयाधीन नहीं है। जब तक आरोप-पत्र दाखिल नहीं किये जाते तब तक आपराधिक मामले को न्याय-निर्णयाधीन नहीं माना जाता। जब तक मुकदमें तैयार नहीं किये जाते तब तक दीवानी मामलों को न्याय-निर्णयाधीन नहीं माना जाता। अतः हर मामले के लिए समान रूप से आपका यह कहना कि चूंकि यह मामला न्यायालय में है, इसका कोई उल्लेख नहीं किया जायेगा, समझ में नहीं आता। मैं सम्मानपूर्वक यह अनुरोध करता हूं। वह यह नहीं कह सकते कि यह न्याय-निर्णयाधीन है।

श्रीमती सुषमा स्वराज : यह मामला न्यायालय में नहीं है।

श्री जसवंत सिंह : दूसरी बात, जो वह कह रहे थे, वह यह है कि मात्र इसलिए कि यह एक विधिक मामला है, अतः इसका उल्लेख नहीं किया जाना चाहिये। महोदय, कृपया इस पर प्रकाश डालिये क्योंकि आप अध्यक्षपीठ से जो कुछ बोलते हैं, उसका गहरा प्रभाव होगा। कृपया कौल और शकधर की पुस्तक के पृष्ठ 473 देखिए... **(व्यवधान)**

कुमारी ममता बनर्जी : महोदय, मेरा इस संबंध में व्यवस्था का प्रश्न है।

अपराह्न 4.06 बजे

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

अध्यक्ष महोदय : आपका व्यवस्था का प्रश्न क्या है?

कुमारी ममता बनर्जी : मैं नियम 353 का उल्लेख कर रही हूं. ..**(व्यवधान)** मैं समय बर्बाद नहीं कर रही हूं। नियम 353 में स्पष्ट कहा गया है कि सभा में सदस्यगण द्वारा कही गई किसी बात के लिए उनके विरूद्ध किसी न्यायालय में कोई कार्यवाही नहीं की जाती है। सदस्य के रूप में उन्हें तब तक अपने सहयोगी सदस्य, मंत्री अथवा किसी व्यक्ति अथवा किसी सरकारी निकाय के विरूद्ध आरोप नहीं लगाना चाहिये, जब तक किसी आरोप को प्रमाणित करने के लिए मजबूत साक्ष्य और पर्याप्त प्रमाण उपलब्ध न हो...**(व्यवधान)**

मैं अपना व्यवस्था का प्रश्न आपको नहीं अध्यक्ष महोदय को संबोधित कर रही हूं। अगर कोई मामला न्यायालय में भेजा जाता है और सदस्य अपने बचाव के लिए स्वयं यहां उपस्थित नहीं हो, तो मजबूत साक्ष्य के बिना वह मामला यहां नहीं उठाया जा सकता।

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज : सर, जो रूल 353 कु. ममता बनर्जी कोट कर रही हैं वह मैम्बर्स के लिए है, मैम्बर्स ऑफ द हाउस के लिए है। वह इररलेवेंट रूल कोट कर रही हैं।

[अनुवाद]

नियम 353 किसी व्यक्ति, सभा के किसी सदस्य के विरूद्ध आरोप लगाये जाने के बारे में है...**(व्यवधान)**

श्री जार्ज फर्नान्डीज (नालंदा) **:** मैं सभा में उपस्थित अथवा बाहर के किसी व्यक्ति के विरूद्ध कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं। मैं नहीं जानता कि सभी व्यवस्था के प्रश्न किस बारे में हैं।...**(व्यवधान)**

श्रीमती सुषमा स्वराज : वह निर्णय से उद्धृत कर रहे हैं। वह एक असम्बद्ध नियम को उद्धृत कर रही हैं।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : मैं केवल उच्च न्यायालय के एक निर्णय पढ़ रहा हूं।

श्रीमती सुषमा स्वराज : यह एक सरकारी दस्तावेज है। कृपया नियम पर नजर डालिये।

अध्यक्ष महोदय : महादेय, मेरे विचार में आप और श्री जार्ज फर्नान्डीज अपनी बात कह चुके हैं।

श्री ई. अहमद (मंजेरी) : महोदय, मैं नियम, 352 की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, जिसमें कहा गया है:

> किसी सदस्य को भाषण देते समय--
>
> (एक) किसी तथ्यगत मामले का, जिस पर न्यायिक निर्णय लम्बित है, उल्लेख नहीं करना चाहिये।"

श्री जसवन्त सिंह जी यहां जो कुछ कहा, मेरे विचार में वह यहां लागू नहीं होता क्योंकि यहां स्पष्ट कहा गया है कि किसी ऐसे मामले पर, जिस पर न्यायिक निर्णय होना है, का यहां उल्लेख नहीं किया जाएगा।

श्रीमती सुषमा स्वराज : यह मामला किसी विधि न्यायालय में लंबित नहीं है। यह विधि न्यायालय में नहीं है।

श्री ई. अहमद : मेरे पास यहां पुस्तक नहीं है। कौल और शकधर में पहले से ही इसका उल्लेख है। अगर कोई सदस्य विधि न्यायालय में लंबित किसी मामले का उल्लेख करता है, तो इसका तात्पर्य यह है कि वह उस मामले के गुणावगुणों का भी उल्लेख करेगा। वह केवल उस मामले का ही नहीं उसकी विशेषताओं का भी उल्लेख करेगा।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : मैं किसी सदस्य, किसी बाहरी व्यक्ति अथवा विधि न्यायालय में लंबित किसी मामले के संबंध में कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं। मैं केवल उच्च न्यायालय के निर्णय को पढ़ रहा हूं। इस मामले पर उच्च न्यायालय द्वारा निर्णय दिया जा चुका है।

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार में मामला स्पष्ट हो गया है। माननीय सदस्य किसी ऐसे निर्णय से उद्धृत नहीं कर रहे हैं, जहां मामला न्यायालय में लंबित है। यह माननीय सदस्य एक सुस्थापित, प्रकाशित दस्तावेज से उद्धृत कर रहे हैं। मेरे विचार में, सदस्य को उद्धृत करने का अधिकार है।

श्री किंजारापु येर्रानायडु (श्रीकाकुलम) : इसे अब उद्धृत करने की क्या आवश्यकता है?

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : अध्यक्ष जी, मैं इस बात को यहां नहीं लाता क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने स्वयं इसे उठाया था...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : लेकिन फर्नान्डीज जी, आप नियत समय से काफी अधिक समय ले चुके हैं।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : महोदय, मैं बहुत कम बोलता हूं। मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : महोदय, मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : कृपया समाप्त कीजिये। मैंने कह दिया है, खुद कह दिया है।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : महोदय, मैं केवल एक बात कह रहा हूं. ...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष जी, जब यह बात राम विलास जी ने यहां छेड़ी है तो मैं इस जजमेंट के कुछ जुमले पढ़कर सुनाता हूं। जस्टिस एस.एन.शाह और जस्टिस एस.के. मुखोपाध्याय का 11 मार्च, 1996 को यह जजमेंट है, जिसके कुछ जुमले में यहां पढ़कर सुनाता हूं और उसके बाद अपनी बात खत्म करूंगा। इस जजमेंट को जस्टिस शाह ने लिखा है और जस्टिस मुखोपाध्याय की कन्कर्रेंस है :

[अनुवाद]

> "जो बात मैं समझ नहीं पाया हूं वह यह है कि सचिवालय/सरकार के उच्च पदों पर विद्यमान लोगों के स्पष्ट समर्थन के बिना अतिरेक व्यय/निकासी किस प्रकार संभव हो सकती थी। आमतौर से ट्रेजरी बिलों को पास करने—चाहे यह कर्मचारियों का वेतन बिल हो, वकीलों का फीस बिल हो, अथवा ठेकेदार का बिल हो—में आपत्तियां लगाती हैं। फिर वित्तीय स्वीकृति और विधियों की उपलब्धता के बिना प्रत्येक वर्ष करोड़ों रुपये कैसे निकाले जा सकते हैं? इस अतिरिक्त व्यय को किसने अनुमति प्रदान की? संविधान में अतिरिक्त व्यय के लिए एक निश्चित प्रक्रिया बताई गई है। निःसंदेह इस प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है"

श्री श्रीकान्त जेना : क्या हम चर्चा कर रहे हैं?....**(व्यवधान)**

यह बहुत आपत्तिजनक है...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : श्री जार्ज, कृपया प्रस्ताव तक ही सीमित रहिए। यह पिछली सरकार के विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव नहीं है। यह वर्तमान सरकार का विश्वास प्रस्त्रव है। कृपया उस तक ही सीमित रहिए।

श्रीमती सुषमा स्वराज : श्री राम विलास पासवान ने इस प्रश्न को उठाया था।....**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : श्री जार्ज फर्नान्डीज, कृपया अपना भाषण समाप्त कीजिए।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : चूंकि राम बिलास जी ने यहां पर इसे उठाया था, यह कहना कि वहां कुछ हुआ नहीं है, मैं बहुत कुछ पढ़ना चाहता था...**(व्यवधान)** लेकिन अंत में, हाई कोर्ट की फाईनल ऑब्जर्वेशन, फैक्चुअल पोजीशन ऑफ द केसे बताना चाहता हूं।

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, आपने अपना विनिर्णय दे दिया है...**(व्यवधान)**

श्री जार्ज फर्नान्डीज : महोदय, जस्टिस झा आगे कहते हैं :

"इस मामले की तथ्यात्मक स्थिति संक्षिप्त रूप से निम्नलिखित है:

(एक) पिछले कई वर्षों से बहुत बड़ी-बड़ी धनराशियां, सेवाओं के लिए विधायी स्वीकृति से कहीं अधिक, पशुपालन विभाग में व्यय की गई है। ये धन संबंधित ट्रेजरी से निकाल कर जालसाजी पूर्ण तरीके से खर्च किया गया है।

(दो) आज तक इन अतिरिक्त निकासियों को अतिरिक्त अथवा अनुपूरक अनुदान/विनियोग के रूप में कोई विधायी स्वीकृति नहीं दी गई है।

(तीन) राज्य सरकार ने यह स्वीकार किया है कि उसे इन अतिरिक्त निकासियों का पता था। फिर भी, कोई उपचारात्मक कार्यवाही नहीं की गई। सरकार चालू निकासियों और व्ययों को रोकने में अपनी सदाशयता दर्शाने में असफल रही हैं।

(चार) राज्य सरकार को इस तर्क कि इन मामलों की परिस्थितियों में अतिरिक्त निकासियां आम बात है, को स्वीकार नहीं किया जा सकता। इसका यह तर्क कि यह जनवरी, 1996 तक जालसाजी पूर्ण निकासियों व्यय के स्वरूप से अवगत नहीं थी, भी विश्वास योग्य नहीं है।"

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से, यह पर्याप्त है।

...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना भाषण समाप्त कीजिए।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : रामविलास जी ने सदन को गुमराह किया है। मैं नोटिस दूंगा। आप इस मामले पर हमको अलग से बहस का मौका दीजिए। इस दस्तावेज के साथ हम आपको नोटिस देंगे कि रामविलास जी ने सदन को गुमराह किया है। अध्यक्ष जी, मैं अपनी बात समाप्त करने जा रहा हूं। नेता विरोधी दल...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना भाषण समाप्त कीजिए।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : महोदय, मैं समाप्त करना चाहता हूं। मैं समाप्त कर रहा हूं।

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : मेरा प्वाइंट ऑफ ऑर्डर है।

अध्यक्ष महोदय : बैठ जाइए। व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : अध्यक्ष महोदय, सदन को गुमराह किया जा रहा है। माननीय जार्ज फर्नान्डीज सदन को गुमराह कर रहे हैं। जो उच्च न्यायालय का डिसीजन पढ़ा गया है उस फैसले के बाद राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट में गई थी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इन्होंने उल्लेख नहीं करके सदन को गुमराह किया है। इनके खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव रखा जाना चाहिए। ...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : यादव जी, बिना रूल का प्वाइंट ऑफ ऑर्डर, प्वाइंट ऑफ ऑर्डर नहीं होता।

[अनुवाद]

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री राम जेठमलानी) : अध्यक्ष महोदय, इस व्यवस्था के प्रश्न, जिसे उठाया जा रहा है, का भी कुछ महत्व है, जो शायद इस सभा में बार-बार उठेगा। कृपया कुछ मिनट के लिए हमारी बात सुनिये और फिर आप अपना निष्कर्ष निकाल सकते है। मेरे विचार से यह आवश्यक है कि आप को नियम 353 को पढ़ना चाहिए।

श्री संतोष मोहन देव (सिल्चर) : महोदय, आप ने पहले ही अपना विनिर्णय दे दिया है। इसे पुनः प्रारम्भ नहीं किया जा सकता।

अध्यक्ष महोदय : विधि मंत्री महोदय, मैंने पहले ही उस पर अपना विनिर्णय दे दिया है, माननीय सदस्य को अपना भाषण समाप्त करने दो। माननीय सदस्य कृपया अपना भाषण समाप्त करें।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : मैं कंक्लूड करता हूं। मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि मामला सुप्रीम कोर्ट में अपील में गया था। बड़े-बड़े वकील वहां हाजिर हुए। 11 मार्च का यह जजमेंट था और सुप्रीम कोर्ट में 19 मार्च को गया। सुप्रीम कोर्ट ने पूरे जजमेंट को न केवल अपहोल्ड किया बल्कि सारे मामले को खींचकर सी.बी.आई. को सौंप दिया।....**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए। आप उनको बोलने क्यों नहीं देते? मैंने अपना विनिर्णय दे दिया है। कृपया बैठ जाइए। मैं खड़ा हूं। कृपया उनको अपना भाषण समाप्त करने दीजिए। श्री जार्ज, फर्नान्डीज एक मिनट और बस।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : डेढ़ मिनट महोदय।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय, मैं कांग्रेस का घोषणा पत्र आपके सामने रखना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं नेता विरोधी दल से एक ही प्रार्थना करना चाहता हूं कि आपने अपने घोषणा पत्र के प्रीएम्बल में जो बातें लिखी हैं, उन पर फिर जरा गौर करिए :-

[अनुवाद]

"चुनाव लोगों को पसंद करने का अवसर प्रदान करता है। एक दल को सत्ता प्रदान करने के लिए वोट देने की पसंद। एक उम्मीदवार को पद पर बैठाने की पसंद।

आज की पसंद क्या है? कांग्रेस एक सुनहरे भविष्य वाले भारत को प्रस्तुत करता है। विपक्ष एक ऐसा भारत प्रस्तुत करता है जो भूतकाल में वापस फैंका जायेगा।

कांग्रेस एक ऐसा भारत प्रस्तुत करती है जिसमें विकास हो रहा है, समानता बढ़ रही है, रोजगार का सृजन हो रहा है और अधिक आय प्राप्त हो रही है। विपक्ष एक ऐसा भारत प्रस्तुत करता है जो गतिहीन है, अन्तर्मुखी, गरीब है और जिसके दिवालिया होने की संभावना है।

कांग्रेस एक ऐसा भारत प्रस्तुत करती है जो इसकी एकता में प्रसन्न है और अपनी विभिन्नता का गुणगान करता है। विपक्ष एक ऐसा भारत प्रस्तुत करता है जिसमें जाति और धार्मिक भावना और भड़क उठेगी।

कांग्रेस एक ऐसा भारत प्रस्तुत करती है जिसने विश्व के देशों में नया सम्मान अर्जित किया है। विपक्ष एक ऐसा भारत प्रस्तुत करता है जिसकी उपेक्षा की जायेगी, हानी उठायी जायेगी तथा जिसे भुला दिया जायेगा।

कांग्रेस स्थिर सरकार तथा सक्षम अर्थव्यवस्था का भारत प्रस्तुत करती है। विपक्ष एक छिन्न भिन्न सरकार तथा ढहती अर्थव्यवस्था प्रस्तुत करती है।"

[हिन्दी]

मेहरबानी करके ऐसे दिमाग का साथ मत दीजिए...**(व्यवधान)**

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी स्पीच समाप्त करता हूं।

श्री चन्द्र शेखर (बलिया) : अध्यक्ष महोदय, मैं कोई भाषण नहीं देना चाहता हूं। एक मिनट बोलने की आपसे इजाजत लेना चाहता हूं।

हमारे मित्र जार्ज फर्नान्डीज ने एक बहुत प्रभावकारी भाषण दिया है। मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि समता पार्टी ने बिहार में बी.जे.पी. के साथ चुनाव गठबंधन किया था। हमने उनसे सारे देश में चुनाव का गठबंधन नहीं किया था। समता पार्टी किसी भी रूप में, जो भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र है, उसको लागू करने के लिए प्रतिबद्ध नहीं है, हमने यह भी स्पष्टरूप से शुरू से कहा है जैसा माननीय प्रधान मंत्री जी ने कहा, मुल्क की स्थिति ऐसी है, जिसमें समता का आधार बनाना चाहिए। यह बात उनको उस दिन सोचनी चाहिए थी, जिस दिन उनको राष्ट्रपति जी ने सरकार बनाने का निमंत्रण दिया था।

मैं इसलिए यह बात कह रहा हूं अध्यक्ष महोदय कि गलत परम्पराएं न पड़ें। मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो यह चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी हालत में सरकार न बनाए। अगर बहुमत उनको मिल जाएगा, तो जनतंत्र में वे सरकार बनाएंगे। लेकिन इसके पहले ऐसी परम्परा है, कोई व्यक्ति अभी कह रहा था कि राष्ट्रपति जी की कोई आलोचना हो रही है। मैं कहता हूं कि आलोचना नहीं हो रही है। इसके पहले भी जिनको बहुमत नहीं मिला, उनको राष्ट्रपति ने बुलाया और उनसे कहा कि सरकार बनाइए, लेकिन यह भी आप बताइए कि किस आधार पर आप सरकार बना रहे हैं। वाजपेयी जी को वह आधार बनाना चाहिए था और वह आधार उन्होंने नहीं बनाया। यह संसदीय परम्परा के अनुरूप नहीं है। यह अपेक्षा मुझे, उनके जैसे व्यक्तित्व से नहीं थी। मैं यह बात इसलिए कह रहा हूं कि उनके व्यक्तित्व का मेरे मन से बड़ा आदर है। जो भाषण आज उन्होंने दिया, वह व्यक्तित्व उनके उस व्यक्तित्व में परिलक्षित नहीं होता, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता के रूप में वे रखते हैं। शायद किसी विवशता से उन्होंने सरकार बना ली, यह जानते हुए भी कि उनको बहुमत नहीं मिलने वाला है। मैं मानता हूं।....**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री एन.वी.एन. सोमू (मद्रास उत्तर) : केवल 55 संसद सदस्यों के साथ आपने सरकार बनायी थी। आपने तब क्या किया था? आप अब इसके विरूद्ध बोल रहे है।...**(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री चन्द्र शेखर (बलिया) : अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात को इन्हें समझाने के लिए अंग्रेजी में कह देता हूं।

[अनुवाद]

मैंने सरकार तभी बनायी थी जब राजीव गांधी ने राष्ट्रपति को पत्र लिख कर यह बताया था कि वह मेरी सरकार को समर्थन देंगे। राजीव गांधी द्वारा लिख कर राष्ट्रपति को कांग्रेस की तरफ से यह न बताये जाने, कि वह उस सरकार का समर्थन करेगा, तब मैंने सरकार नहीं बनायी थी। मैं यह कुछ मित्रों के लाभ लिए कह रहा हूं जो कुछ स्पष्ट कारणों से नाराज हैं। यदि वे हिन्दी नहीं समझते तो कम से कम मुझे तो समझते हैं। और मैं उनके गुस्से को भी समझ सकता हूं।.. **(व्यवधान)**

श्री एन.वी.एन. सोमू : महोदय, हम अनुवाद सुन रहे है।

[हिन्दी]

श्री चन्द्र शेखर : अध्यक्ष महोदय, मैं किसी विवाद में नहीं पड़ना चाहता। इसलिए इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के बारे में मेरे क्या विचार हैं, वह मैंने बार-बार व्यक्त किये

हैं। अटल जी के बारे में मन में कितना आदर है, यह भी मैं जानता हूं लेकिन आज की परिस्थितियों में यह बहस निरर्थक हो रही है। जिस सहमति की बात वह कह रहे थे, वह सहमति न होकर और कटुता और टकराव पैदा कर रही है। पद पर पहुंच जाना एक बात है और पद को छोड़ देने की क्षमता रखना भी एक बड़ी बात है, मैं समझता हूं। प्रधान मंत्री जी से मैं आशा करता हूं कि उनके जैसे व्यक्तित्व के व्यक्ति को इस पद से बिना और बहस के त्याग-पत्र दे देना चाहिए।

[अनुवाद]

श्री सनत मेहता (सुरेन्द्रनगर) : महोदय, मैं प्रधानमंत्री द्वारा पेश किये गए विश्वास मत का विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं अपनी बात को विश्वास मत से संबंधित मुद्दों तक ही सीमित रखूंगा। ..**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कृप,या सभा में व्यवस्था बनाये रखें।

...**(व्यवधान)**

श्री सनत मेहता : जनता ने हमें लोकतंत्र तथा देश की रक्षा करने के लिए चुना है। महोदय, मैं अपनी बात इन मुख्य पक्षों तक सीमित रखूंगा, इस सभा में बहुत सारा प्रचार किया गया है। महोदय, लगभग सभी राजनीतिक पार्टियों, राजनीतिक विश्लेषकों और स्तम्भकारों ने स्वीकार कर लिया है कि ग्यारहवीं लोकसभा के चुनावों में किसी भी पार्टी को स्पष्ट जनादेश नहीं मिला है। इस संदर्भ में मात्र भाजपा ने अल्पमत को जनादेश में बदला है। महोदय, मैं दूसरे पहलू पर बोलना चाहता हूं। मेरे मित्र श्री शरद पवार विस्तार से यह बता चुके हैं कि भाजपा को किस तरह विभिन्न राज्यों में असफलता मिली है। किंतु भारत जैसे देश में जो कि विविधता में एकता की विश्व भर में एक मिसाल है एकता और अखण्डता के राजनीतिक जनादेश के साथ साथ सत्ता में बने रहने के लिए सामाजिक जनादेश की भी आवश्यकता होती है। महोदय, जहां तक 1996 के आम चुनाव का संबंध है भाजपा को सामाजिक जनादेश नहीं मिला है। भाजपा को मात्र तीन प्रतिशत मुस्लिम मत मिले हैं। ऐसी ही स्थिति ईसाई मतों की भी है। भाजपा को कुल दलित मतों का मात्र 11 प्रतिशत मत है तथा इसे बहुत कम जनजातीय मत मिले हैं। चुनाव सर्वेक्षण के अनुसार राष्ट्रीय मोर्चा और वाम मोर्चे को अन्य पिछड़े वर्गों के वोट भाजपा की तुलना में अधिक मिले हैं। इसका साफ मतलब है कि मुस्लिम, जनजातियों, दलितों और ईसाईयों ने भाजपा को पूरी तरह अस्वीकार किया है।

जिस पार्टी को मात्र 23 प्रतिशत मत मिले हों वह यह दावा कैसे कर सकती है कि उसे शासन करने का जनादेश मिला है? जिस पार्टी का सामाजिक आधार नगण्य हो तथा जिसे सामाजिक जनादेश न मिला हो उसे देश पर शासन कैसे करने दिया जा सकता है? जिस दल को देश के निर्धन वर्ग ने अस्वीकार कर दिया है उसे समर्थन कैसे दिया जा सकता है?

अन्तिम विश्लेषण में यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि भाजपा रूपी वह खाद पड़ने के बाद भी भारत की मिट्टी प्रदूषित नहीं हो सकी जिसके कारण बाबरी मस्जिद को क्षति पहुंची तथा मुम्बई में बम विस्फोट हुए। चुनावों ने साबित कर दिया है कि धार्मिक कट्टरता और धर्म की राजनीति को देश की मुख्यधारा में नहीं लाया जा सकता है। देश के गरीब लोगों ने भाजपा को जनादेश नहीं दिया है। देश की गरीब जनता ने यह जनादेश दिया है कि देश में गरीबी उन्मूलन ही सबसे बड़ा दायित्व है, इसी कारण मैं चाहता हूं कि भाजपा को देश में शासन करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। मैं इसीलिए प्रधानमंत्री द्वारा पेश किये गए विश्वास मत का विरोध करता हूं।

प्रधानमंत्री ने यहां दावा किया है कि वे सांसदो की खरीद फरोख्त नहीं करेंगे, मैं इस बात का स्वागत करता हूं। किंतु अल्पमत में रहने और राष्ट्रपति से दावतनामा मिलने पर उन्होंने ऐसा खेल क्यों खेला? आज सभी अखबारों और पत्रिकाओं में छपा है कि भाजपा ने सत्ता में रहने के लिए कोई योजना बनायी। वह क्या थी? उसमें सांसदों को मनाना, उन्हें धमकी देना और विपक्ष में मतभेद कायम करना शामिल है। इसे समाचार पत्रों और पत्रिकाओं मे छापा गया था, इस योजना का एक हिस्सा यह था कि भाजपा ने संविधान के अनुच्छेद 370 जिसमें जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है, को समाप्त करने, एक समान नागरिक संहिता बनाने, अयोध्या में क्षतिग्रस्त क्षेत्र के स्थान पर राम मंदिर का निर्माण और काशी और मथुरा अभियान शुरू करने जैसे मुद्दों को राष्ट्रपति के अभिभाषण में शामिल न करने का फैसला किया। यदि वे पाक साफ हैं और यदि वे यह परीक्षण करना चाहते हैं कि उनके पास बहुमत है या नहीं तो उन्हें सिद्धान्तों पर अड़े रहना चाहिए था, किन्तु यह उठ योजना का हिस्सा था। इसलिए पहले कदम के रूप में उन्होंने उन सब मुद्दों को जो उनके चुनाव घोषणा पत्र में बहुत महत्वपूर्ण हैं तथा जिन मुद्दों पर उन्होंने देश के गली कूचों में चुनाव लड़ा था और जिन मुद्दों पर उन्होंने हर बैठक में लोक सभा में जाने की बात की थी, उनको किनारे कर दिया, सभा के लिए चुने जाने और राष्ट्रपति से सरकार बनाने के लिये आमंत्रण मिलने के बाद उन्होंने इन मुद्दों को ताक पर रख दिया तथा विपक्ष को संतुष्ट करने में लग गए।

उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया तथा उस प्रयास का कोई फल नहीं निकला। प्रधान मंत्री क्षेत्रीय दलों को तुष्ट करना चाहते थे, तथा उनका समर्थन हासिल करने हेतु उन्होंने सोच-समझकर यह आश्वासन दिया था कि संविधान के अनुच्छेद 356 का दुरूपयोग नहीं किया जाएगा तथा सभी तरह की गांरटियां दी गई। यदि उनके इरादे साफ हैं तथा यदि वे अपने बहुमत के संबंध में आश्वस्त हैं तो इन गारंटियों की आवश्यकता क्यों पड़ी? यह क्षेत्रीय दलों को तुष्ट करने का प्रयास था ताकि श्री चन्द्रबाबू नायडु और असम गण परिषद के नेता को यह आश्वासन मिल जाता कि भाजपा शासन के तहत वे सुरक्षित रहेंगे। यह उनकी कार्य योजना का अंग था। खरीद फरोख्त हमेशा केवल उसी तरह से नहीं होती जिस तरह उसे आमतौर पर जाना जाता है। मेरे विचार से, यह भी एक प्रकार की खरीद-फरोख्त ही है क्योंकि उन्होंने सिद्धांतों को ताक पर रख दिया तथा ऐसे कार्य किए जिन्हें उन्होंने अपने घोषणा-पत्र में स्वीकार नहीं किया था। बात यहीं पर समाप्त नहीं होती।

भारत की जनता को ऐसी चालों से गुमराह नहीं किया जा सकता क्योंकि भारत की जमता तथा राजनीतिक दलों ने भाजपा का सही रूप जान लिया है। उसके बाद क्या हुआ? उन्होंने टोह लेने वाले लोगों को भेजा, यहां तक कि अप्रत्यक्ष रूप से धमकियां भी दी गई। भाजपा के एक बड़े नेता ने गरजते हुए ये शब्द कहे :

> "यदि जनादेश को उलटा गया तो देश टुकड़े टुकड़े हो जाएगा।"

यह भी कहा गया था कि देश को विखंडित होने से बचाने के लिए यह आवश्यक है कि भाजपा के नेतृत्व वाले गठबंधन की सरकार का समर्थन किया जाए। गृह मंत्री जैसे व्यक्ति द्वारा ऐसी धमकी दिए जाने की आवश्यकता क्यों पड़ी जबकि दूसरी ओर इस देश के प्रधान मंत्री का कहना है कि केवल एक ही मुद्दा है और वह है कि हम देश को एकजुट रखना चाहते हैं। तब यह असफल कैसे हो गया? मानों एक धमकी ही काफी नहीं थी। उसी दिन अखबारों में एक खबर आई-यह धमकी बंबई से आई थी तथा उसमें ठीक-ठीक इन शब्दों का प्रयोग किया गया था कि देश में भाजपा सरकार नहीं रहीं तो देश में गृह युद्ध शुरू हो जाएगा तथा उस स्थिति के लिए कांग्रेस तथा अन्य पार्टियां जिम्मेदार होंगी। महोदय, यदि उनमें आत्मविश्वास था, यदि उनके हाथ साफ थे, यदि कोई खरीद फरोख्त नहीं की जानी थी, यदि कोई गुप्त समझौता नहीं किया जाना था, तो एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में इस तरह की धमकियां क्यों दी गई? क्या हम यह समझें कि देश का विखण्डन तथा गृह युद्ध ही भाजपा तथा उसके सहयोगियों का प्रमुख लक्ष्य है? अन्यथा, विश्वास मत प्राप्त करने की लोकतांत्रिक प्रक्रिया का सामना करते हुए उनके दिमाग मे एसी धमकियां और विचार कैसे आ सकते हैं? मेरे मित्र, श्री चन्द्रशेखर ने ठीक ही कहा है कि यदि प्रधान मंत्री के इरादे नेक हैं, यदि उनके हाथ साफ हैं, तो ऐसी किसी बात की आवश्यकता ही नहीं थी। तथा मुझे अभी तक प्रधान मंत्री को कोई प्रत्युत्तर नहीं मिला है जिसमें उन्होंने विखण्डन अथवा गृह युद्ध की कहानी का खंडन किया हो अथवा कहा हो। ऐसी बातें नहीं की जानी चाहिए वह भी उस समय जब वह इस देश की एकता तथा लोकतांत्रिक प्रक्रिया के संबंध में जागरूकता पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं। मेरे विचार से कोई खंडन नहीं किया गया। इसका मतलब यह है कि यह भी षडयंत्र का हिस्सा था तथा यही वजह है कि जहां तक मतदाता का संबंध है, भाजपा को कोई जनादेश प्राप्त नहीं है। भाजपा को कोई सामाजिक जनादेश भी नहीं मिला है क्योंकि पूरे देश में उन गरीब लोगों ने कामोवेश भाजपा को अस्वीकार कर दिया है, जिनके लिए यह सभा बनी है। इस सभा का मुख्य कार्य है कि वह दलितों, जनजातियों आदि की निर्धनता का उन्मूलन करे। प्रधानमंत्री ने जनजातीय लोगों के संबंध में कुछ अच्छी योजनाएं व्यक्त की थी। परंतु फिर भी उन लोगों ने भाजपा को वोट क्यों नहीं दिया? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि दलितों और ईसाईयों को धर्मनिरपेक्षता से लगाव है। जिस तरह की धर्मनिरपेक्षता प्रधानमंत्री उनसे स्वीकार कराना चाहते हैं वह इन लोगों को स्वीकार्य नहीं है तथा इसी कारण मैं इस विश्वास प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

जहां तक आर्थिक नीति का संबंध है, आज तक मैंने वह स्वदेशी शब्द सुना तक नहीं था जिसके लिए स्वदेशी जागरण मंत्र का गठन किया गया। पूरा समर्थन दिया गया। यहां तक कि भाजपा अध्यक्ष ने भी इसका काफी समर्थन किया था परंतु हर कोई स्वदेशी को भूल गया है। क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि मेरे विचार से पूरे विश्व में किसी भी हिस्से में साम्प्रदायिक दलों की कोई आर्थिक नीति नहीं है। धर्म आधारित राजनीति के बल पर ही जीवित हैं वे घृणा की नीति पर जीते हैं। अतः महोदय, मेरे विचार से यही कारण हो सकता है तथा एनरोन विवाद के बाद तो प्रधान मंत्री अथवा भाजपा अमरीका को अप्रसन्न नहीं कर सकती है। यही कारण है कि यहां तक कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में स्वदेशी शब्द से पूरी तरह परहेज किया गया है।

स्वदेशी कोई ऐसा विवादस्पद मुद्दा नहीं था। स्वदेशी को सभी ने नहीं नकारा था। एसे भी दल हैं, जो इसका समर्थन करते हैं लेकिन उनका मकसद सिर्फ ऐसा वातावरण तैयार करना था ताकि वे दलों को अपनी ओर कर सकें, दलों में विभाजन कर सकें और सदस्यों को सभा में अनुपस्थित रखकर किसी न किसी प्रकार से सत्ता में बने रहें। अगर यही सोची-समझी योजना थी तो फिर मेरे विचार में प्रधान मंत्री के लिए यह कहना उचित नहीं है कि वे सदस्यों की खरीद फरोख्त के इच्छुक नहीं है।

दूसरी बात स्वराज के बारे में है। भारतीय जनता पार्टी के घोषणा-पत्र में स्वराज मुख्य योजना थीं इसी कारण, आडवाणी जी ने स्वराज यात्रा निकाली थी और इसे दक्षिण से शुरू किया था। इस बार उन्होंने इसे सोमनाथ से शुरू नहीं किया। यह गुजरात में हमारे लिये सौभाग्य की बात है। उन्होंने इसे दक्षिण से आरंभ किया लेकिन परिणाम दर्शाते हैं कि दक्षिण में इसका प्रभाव नहीं हुआ। कर्नाटक में आंशिक समर्थन के अलावा भारतीय जनता पाटी को कोई समर्थन नहीं मिला और जहां तक स्वराज का सम्बन्ध है, उसका परिणाम अथवा प्रतिक्रिया यह रही थी कि दक्षिण में इसकी कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई लेकिन कम से कम गुजरात में इसका अलग प्रभाव पड़ा। प्रधान मंत्री के रूप में राष्ट्रीय प्रसारण के एक दिन पश्चात प्रधान मंत्री अपने दो संसदीय क्षेत्रों में से एक गांधी नगर के दौरे पर गये। वहां उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया। जनादेश के पश्चात् जनसभा का आयोजन हुआ। हम बैठकें और रैलियां आम तौर पर आयोजित करते रहते हैं। लेकिन प्रधान मंत्री अहमदाबाद में अपने निर्वाचन क्षेत्र गांधी नगर जाना चाहते थे। अपना राज्यारोहण मनाने के लिए उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। इस जन सभा में क्या हुआ? इस ऐतिहासिक अवसर पर देश ने सुराज की प्रथम झलक देखी। वह प्रथम झलक क्या थी- और वह भी गांधी की भूमि पर, सभी जानते हैं कि गांधी आश्रम जाकर गांधी जी को श्रद्धांजलि अर्पित करने के पश्चात् प्रधानमंत्री बैठक में गये। जन सभा में प्रधान मंत्री के जाने के कुछ ही मिनटों बाद, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एक वरिष्ठ मंत्री के कपड़े फाड़ डाले और उसकी जबरदस्त पिटाई की। केवल इतना ही नहीं, कुछ अन्य मंत्री भी उनका निशाना बने; भगवा वस्त्र धारण किये गुस्साई भीड़ ने उनकी कारों को तोड़ फोड़ दिया।

मैं स्वयं कुछ नहीं कह रहा हूं लेकिन एक प्रतिष्ठित दैनिक समाचार पत्र में संपादकीय शीर्षक 'एन अगली एपीसोड' (एक भद्दा प्रकरण) के शब्द बोल रहा हूं- यह शब्द मेरे नहीं है, यह दिल्ली के एक प्रतिष्ठित दैनिक में लिखा है और में उद्धृत करता हूं :

> "यहां तक कि छुट पुट राजनीतिक झड़पें तो समझ में आती हैं, लेकिन अगर विरोधी समूह असभ्य कार्यवाहियों के माध्यम से अपने झगड़े निपटाने का प्रयास करते हैं तो..."

तो शब्द भी मेरे नहीं हैं।

> "ऐसा करके हम केवल अपने मौलिक स्वरूप को नष्ट करेंगे...."

[हिन्दी]

श्री बनवारी लाल पुरोहित (नागपुर) : तंदूर कांड वाले ऐसी बात करते हैं।...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री सनत मेहता : कृपया मेरी बात सुनिए। यह सुराज की एक झलक है। भारतीय जनता पार्टी गलियों में इस प्रकार के नारे लगाती है:

[हिन्दी]

यह तो झांकी है, बाकी तो सब बाकी है।

[अनुवाद]

अतः, उनके प्रधानमंत्री की जनसभा के समय यह झांकी दिखाई गई थी। उनके अपने मंत्रियों की पिटाई की गई; उनके वस्त्र फाड़े गये और उनकी कारें तोड़ी गई। एक अध्यक्ष...

[हिन्दी]

उसकी हड्डी को तोड़ दिया गया था।

[अनुवाद]

और वे अभी भी अस्पताल में हैं। क्या सुराज का यही तरीका है? अगर यही सुराज भारत में आने वाला है, तो इसी कारण हम विरोध करते हैं 'कि इस सरकार को इस देश में एक मिनट के लिए भी सत्तासीन होने की अनुमति दी जा सकती क्योंकि आज, यह जो झांकी दी है कल हमें आप और देंगे।'

आज तक प्रधान मंत्री महोदय उन पर रोक क्यों नहीं लगा सके?

यह सारा खेल गुजरात में अक्तूबर से शुरू हुआ है। कैसी-कैसी घटनायें हो रही हैं?

महोदय, प्रधान मंत्री पानी के बारे में बोल रहे थे। मैं ऐसे निर्वाचन क्षेत्र से हूं जहां चार दिनों में एक दिन आधे घंटे के लिए पानी दिया जाता है...**(व्यवधान)** पानी की समस्याओं को देखने के लिए उनके पास समय नहीं है...**(व्यवधान)**

[हिन्दी]

प्रो. रासा सिंह रावत : आपकी सरकार केन्द्र में इतने वर्षों तक थी तो आपने क्या किया?

श्री सनत मेहता : कितने महीने तक कांग्रेस की बात करोगे, 18 महीने हो गये हैं।

[अनुवाद]

अगर आप लोगों को टैंकर उपलब्ध नहीं करा सके तो फिर इस देश पर शासन मत करो। यह सुराज की झलक है कोई भी चीज असभ्य कार्यवाहियों को नहीं छिपा सकती; आपकी असभ्य कार्यवाहियों को शोर-शराबे से नहीं छिपाया जा सकता...**(व्यवधान)** अपने ही लोगों को मनाना जघन्य कार्य करना, और अपने कार्यालय में ताला लगाना इस बात के पर्याप्त प्रमाण हैं कि वे किस प्रकार के लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना करने जा रहे हैं? अगर यही झलक है, तो फिर सारे देश में क्या होगा...**(व्यवधान)**

[हिन्दी]

जो यह बातें कह जाते हैं मैं उन लोगों से विनती करना चाहता हूं कि अक्तूबर से आज तक चले उस सिलसिले में उनको रोकने के लिए था यह गलत हुआ ऐसा कभी इनके राष्ट्रीय नेता ने नहीं बताया। यह यही बताता है कि भविष्य में यही रास्ता यहां होने वाला है और यही रास्ता देश में होने वाला है।

[अनुवाद]

महोदय, मैं किसी ऐसे दल का, जिसका निर्धन लोगों के लिए सामाजिक जनाधार न हो; जिसकी कोई आर्थिक नीति न हो; सत्ता में रहने के लिए मौलिक मूल्यों को त्याग दे और फिर उच्च मूल्यों की बात करे, कभी भी समर्थन नहीं कर सकता। यह एक ऐसा देश है, जहां विभिन्नता में एकता है। अगर दलित आपके साथ नहीं है, अगर ईसाई आपके साथ नहीं हैं; अगर मुसलमान आपके साथ नहीं हैं, तो फिर आप किस प्रकार की एकता प्राप्त करने जा रहे हैं? आपको इसे स्वीकार करना पड़ेगा और आपको कुछ न कुछ करना पड़ेगा। इसीलिए मेरा कहना है कि इस सरकार का कभी समर्थन नहीं किया जा सकता।

मेरे विचार में, अगर प्रधान मंत्री महोदय पहले से ही श्री चन्द्रशेखर की सलाह मान लेते तो इससे उनके दल के साथ-साथ देश का भी भला होता।

इन शब्दों के साथ में प्रधान मंत्री महोदय द्वारा पेश किये गये विश्वास प्रस्ताव का जोरदार विरोध करता हूं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : हम पांच घंटों से इस प्रस्ताव पर चर्चा कर रहे हैं और न तो प्रधान मंत्री महोदय ने और न ही उनके वर्तमान समर्थक श्री फर्नान्डीज ने एक बार भी दावा किया है कि इस सरकार

को सभा का बहुमत प्राप्त है। फिर यह सब क्यों किया जा रहा है। इसीलिए हमने बिना कोई चर्चा किए इस प्रस्ताव पर मतदान कराने का अनुरोध किया था। हम समझते हैं कि इस सांविधानिक भूल जिसे वाजपेयी सरकार, कहते हैं को बिना किसी रस्म रिवाज के समाप्त कर दिया जाना चाहिये। मुझे इस बात का खेद है कि श्री अटल बिहारी वाजपेयी जैसे विद्वान व्यक्ति इस चर्चा में वास्तव में प्रधान मंत्री के रूप में नहीं बल्कि एक निष्ठावान शिव-सैनिक और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता के रूप में अधिक बोले। जिस तरीके से वह बोले, वह स्पष्ट दर्शाता है कि उनमें हिम्मत नाम की कोई चीज नहीं है क्योंकि उन्होंने सम्बदध मुद्दे अर्थात् सभा में बहुमत सिद्ध करने का उल्लेख करने की भी चिंता नहीं की। हम उनके दुःख को समझ सकते हैं। इतिहास में उनका नाम इस महान देश के सबसे कम अवधि के लिए रहे प्रधान मंत्री के रूप में लिखा जायेगा। लेकिन हम इसमें उनकी कोई मदद नहीं कर सकते। उन्हें सत्ता में बनाये रखने का दायित्व हमारा नहीं है। श्री जार्ज फर्नान्डीज इस प्रकार तर्क कर रहे थे जैसे भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में बनाये रखना हमारा कर्त्तव्य हो। उन्होंने कहा कि हमने कांग्रेस और जनता दल के बारे में इतना अधिक बोला है कि हमें उनसे बहुत सी शिकायतें हैं। लेकिन संयुक्त मोर्चे को सत्ता मिले अथवा न मिले इस का तात्पर्य यह नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी को इस देश से कोई जनादेश प्राप्त किए बिना अथवा इस सभा का बहुमत प्राप्त किये बिना सत्ता में बने रहना चाहिये।

आज हमने इस सभा में एक अद्वितीय भाषण सुना है। मुझे एक आशंका थी, जिसे मैंने बैठक में भी व्यक्त किया था कि इस चर्चा का उपयोग किसी वास्तविक विषय के लिए नहीं बल्कि उद्देश्य अर्थात् चुनाव प्रचार के लिए किया जायेगा क्योंकि यहां प्रश्न संख्या का है, सांसदों की संख्या का।

श्री राम नाईक : क्या चुनाव नजदीक आ रहे हैं?

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : आपकी धमकी के बावजूद, नहीं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : वे और कितने दिन चला सकते हैं? माननीय राष्ट्रपति जी का जनादेश बहुमत सिद्ध करने के लिए था न कि व्यर्थ की बातों अथवा प्रचार कार्य करने के लिए। महोदय, यहां तक कि जैसे कि श्री चन्द्रशेखर ने पूछा था मैं भी यह जानना चाहूंगा कि क्या वे सभा में बहुमत का समर्थन प्राप्त होने का दावा करते हैं। यदि नहीं, तो फिर चर्चा क्यों जारी रहनी चाहिए। इसीलिए मैं समझता हूं कि इस अवसर का वे उन उद्दश्यों के लिए दुरूपयोग करेंगे जिन्हें वे अपने अनुकूल समझते हैं। मैं प्रधान मंत्री महोदय की बात बड़े ध्यान से सुन रहा था। वास्तव में वह सदस्यगण को अपने पक्ष में मतदान करने हेतु उन्हें राजी करने के लिए उन्हें संबोधित नहीं कर रहे थे बल्कि वह जनता को यह उम्मीद लेकर संबोधित कर रहे थे कि किसी न किसी प्रकार से वह उन्हें संतुष्ट कर लेंगे। भाषण के अंत में उन्होंने अविश्वास और अलगाववाद की भावना फैलाने का प्रयास किया। उन्होंने धर्म के नाम पर लोगों को बांटना चाहा और महोदय, हम अन्त तक इसका विरोध करने के अलावा और कुछ भी नहीं कर सकते। हम तब तक चैन से नहीं बैठ सकते जब तक यह सरकार, जिसके पास जनादेश नहीं है, सत्ता से नहीं हटेगी।

अध्यक्ष महोदय, एक ऐसा माहौल बनाया गया है मानो हम आज कोई घोर अन्याय कर रहे हों। श्री वाजपेयी जी ये क्यों नहीं सोचते कि उनके समर्थन के लिए कोई भी सामने क्यों नहीं आ रहा है? मैं देख रहा हूं आज लंगड़ी-लूली समता पार्टी भी उनको समर्थन दे रही है। अकाली दल से उनका कोई गठबंधन नहीं है।

सरदार सुरजीत सिंह बरनाला (संगरूर) **:** गठबंधन है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैं अपनी बात को ठीक करता हूं। पंजाब या हरियाणा में समता पार्टी से उनका कोई गठबंधन नहीं है। वे वहां पर एक-दूसरे के विरूद्ध चुनाव लड़ते थे यह भी चुनावोत्तर गठबंधन है।

यह सच है कि चुनाव के बाद संयुक्त मोर्चा का गठन हुआ है। पर वे लोग इसके बारे में ऐसे बात कर रहे थे मानो हमने कोई अपराध किया है। प्रधानमंत्री जी कह रहे थे कि संसद में उनकी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है। मुझे आशा नहीं थी कि केवल चुनावी आकस्मिकता के कारण श्री वाजपेयी जी सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। क्या उनके सहयोगी दलों को मिलाकर 20-25 प्रतिशत वोटों से 194 सीट प्राप्त करने का यह अर्थ है कि उनको सदन में बहुमत प्राप्त है? यह पूरी तरह से स्पष्ट है। निस्सन्देह श्री वाजपेयी जी के प्रति मेरे मन में अपार सम्मान है। मुझे कई वर्षों तक इस सदन में उनके साथ काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। व्यक्तिगत रूप से मैं उनका बहुत आदर करता हूं। लेकन जब उनके जैसे विशिष्ट व्यक्ति की ओर से ऐसी कोई बात उत्पन्न होती है तो हम यह प्रश्न करने के सिवाय और क्या कर सकते हैं कि "क्या वह स्वतंत्र व्यक्ति है अथवा उनके दल, केसरी जत्था के बन्दी हैं?"

महोदय, राष्ट्रपति द्वारा सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करने का यह स्पष्ट मतलब है कि आमंत्रण को स्वीकार करने वाले के पास सरकार चलाने के लिए कम से कम समर्थन तो होना चाहिए। यदि श्री वाजपेयी जी यह जानते थे कि सदन में उनके पास बहुमत नहीं है तो उन्होंने किस आधार पर राष्ट्रपति जी के आमंत्रण को स्वीकार किया? महोदय, मैं राष्ट्रपति जी द्वारा लिये गये निर्णय पर नहीं जा रहा हूं। श्री फर्नान्डीज जी ने उस पर बात करने के लिए हमें उकसाना चाहा पर मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं। महोदय, इसका केवल यही एकमात्र आधार हो सकता था कि वे किसी न किसी तरह से सत्ता में आना चाहते थे भले ही कुछ ही दिनों के लिए क्यों न हो, और मैं विनम्रता पूर्वक यह बताने की कोशिश करूंगा कि उन लोगों ने बीते हुए इन कुछ दिनों का किस प्रकार से दुरूपयोग किया जबकि बिना किसी अधिकार के वे सत्ता में बने रहे हैं। महोदय, वे लोग संवैधानिक औचित्य और राजनैतिक नैतिकता की बात करते हैं पर जब सभा में उनके पास कोई समर्थन ही नहीं है तो हम किस प्रकार की राजनैतिक नैतिकता की आशा कर सकते हैं। श्री शरद पवार जी ने सही याद दिलाया है कि श्री वाजपेयी जी ने अपने चुनाव अभियान के समय क्या कहा था। भविष्य के

प्रधानमंत्री के रूप में प्रस्तुत नेता ने कहा था कि वे वचन देते हैं कि जब तक उनको 225 सीटें नहीं मिलती, वह सरकार बनाने का दावा नहीं करेंगे। उन्होंने यह बात कहीं थी। परन्तु अभी भी 75 सीटों की कमी है। वह जानते हैं कि सदन में वह अकेले पड़ गये हैं। कोई भी उनके साथ नहीं है। महोदय, इसलिए हम इतने दिनों से यह इंतजार करत रहे हैं ताकि हम यह जान सकें कि यह अल्पमत सरकार बहुमत में कैसे बदल जाएगी। यदि उनका इरादा पैंतरा बदलना नहीं था, यदि उनका इरादा प्रलोभन देकर कुछ सदस्यों को अपने पक्ष में कर लेना नहीं था अथवा यदि उनका इरादा खरीद-फरोख्त जैसा घिनौना काम करना नहीं था तो ऐसा क्या जादू था, ऐसी कौनसी चाल थी जिसके बल पर वे बहुमत हासिल करना चाहते थे? क्या ऐसी परिस्थिति में बिना चालाकी किये अथवा गुप्त रूप से लेन देन किये बगैर बहुमत प्राप्त करने का क्या और कोई तरीका भी हो सकता है? स्पष्ट है, इन बीत हुए दिनों में ये लोग यही सब कुछ करते रहे हैं।

महोदय, कई माननीय सदस्यों ने ठीक ही कहा है कि एक बार सत्ता हाथ में आते ही वे धमकियां देने लगे हैं। तथाकथित जिम्मेदार नेता गृहयुद्ध, देश का विघटन, विद्वेष की भावना, आन्तरिक सुरक्षा, सदन के भंग होने आदि की धमकियां देने लगे हैं। क्या यह देश और संसद सदस्यों के साथ भयादोहन करना नहीं है। इन सब बातों को कहने के पीछे सही उद्देश्य क्या है? मैंने एक दिन भाजपा के एक प्रमुख व्यक्ति को दूरदर्शन पर कहते सुना था कि वह किसी भी वाम पन्थी सदस्य को अपने खेमे में नहीं ला सकते इसलिए वे दूसरों से समर्थन प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। वाम पंथी अति आदर्शवादी हैं। इसलिए वह क्षेत्रीय दलों के साथ गठबंधन का प्रयास कर रहे हैं। उसका क्या मतलब था? सभी क्षेत्रीय दलों ने भाजपा के खिलाफ, साम्प्रदायिक दलों के खिलाफ धर्म निर्पेक्षता के मुद्दे पर एक जुट होकर भाजपा के खिलाफ चुनाव लड़ा है। किस आधार पर उनसे समर्थन मांगा जा रहा है? मैं श्री फर्नान्डीज के मुंह से सुनना चाह रहा था कि आखिर उन्होंने अपना समर्थन इन्हें देने का निर्णय क्यों लिया। इस समय वह यहां उपस्थित नहीं हैं। उन्होंने भाजपा को समर्थन देने का निर्णय क्यों लिया?

अध्यक्ष महोदय : वह यहीं पर हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : अच्छा! क्या वह यहीं पर हैं? महोदय, यह अच्छी बात है कि उनकी चिन्ता यह थी कि संयुक्त मोर्चा का गठन क्यों होना चाहिए? संयुक्त मोर्चे को सरकार बनाने के लिए क्यों आमंत्रित किया जाना चाहिए जबकि आप लोग एक दूसरे की आलोचना करते रहे हैं? मैं जानना चाहता हूं कि क्या श्री फर्नान्डीज जी बाबरी मस्जिद को गिराने का समर्थन करते हैं। क्या आप भाजपा के घोषणा पत्र में जो कुछ कहा गया है, उसका समर्थन करते हैं। महोदय, क्या मैं आपकी अनुमति से उस घोषणा पत्र को पढ़ सकता हूं? उसमें पृष्ठ 15 पर अन्तिम पैरा में लिखा है : सत्ता में आने पर भाजपा सरकार अयोध्या में जन्मस्थान पर एक भव्य श्री राम मन्दिर के निर्माण के लिए व्यवस्था करेगी जो कि भारतमाता के प्रति श्रद्धांजलि होगी। इस बात ने हमारे देश के कई लोगों को झकझोर कर रख दिया। राम की अवधारणा उनके अन्तरात्मा में बसी हुई है। चलो, अब मैं मान लेता हूं कि श्री फर्नान्डीज, भाजपा की आर्थिक नीति, अल्पसंख्यक आयोग को भंग करने एवं संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के वचन का समर्थन करते हैं। क्या श्री फर्नान्डीज जी इन सब बातों का समर्थन करते हैं? यदि वह ऐसा नहीं करते हैं तो क्या उनका भाजपा के साथ सैद्धांतिक गठबंधन है? हालांकि उन्होंने इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया, उन्होंने इस बात का उल्लेख नहीं किया पर इन्होंने, यदि मैंने उनको गलत नहीं समझा है, केवल यही भाषण दिया है कि हमें कैसा बर्ताव करना चाहिए; हमें अपनी देखभाल कैसे करनी चाहिए। हम भी जनता के जनादेश से यहां पर आये हैं। मैं नहीं जानता कि समता पार्टी को क्या जनादेश मिला है। आज हम देखते हैं कि समता पार्टी में भी फूट है। यहां तक कि यह आठ सदस्य भी एक साथ नहीं हैं।

अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने कहा है भाजपा ने इस समय को न केवल धमकियां देने और भयादोहन दृष्टिकोण अपनाने में लगाया बल्कि देश को चलाने के लिए उपयोग करने के बदले अपने दल के हित के लिए इस अमूल्य समय का दुरूपयोग भी किया। भाजपा के सत्ता में आने के एक अथवा दो दिनों के भीतर ही हमने देखा कि दूरदर्शन कार्यक्रम चल रहा है और हर एक मंत्री यह जाने बिना वादे कर रहे थे कि उनको सरकार चलाने का अधिकार है या नहीं और वे 1 जून तक सदन में सत्ता में रहेंगे भी नहीं। हर मंत्री वादे कर रहा है। हर मंत्री नीतियों की घोषणा कर रहा था। ऐसा कौन था जो वादे नहीं कर रहा था, घोषणा नहीं कर रहा था? निस्सन्देह, हमारे एक बहुत ही अच्छे मित्र श्री सिकन्दर बख्त ने पांच छह दिन बेकार में खो दिये।

उन्होंने कम से कम शहरी कार्य अथवा रोजगार अथवा विदेश के संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया है। हज यात्रियों के साथ आपकी तस्वीर के अतिरिक्त, हमने कोई और गतिविधि नहीं देखी? तो क्या आप यह करना चाहते हैं? आप यह सब प्रस्ताव रखने के लिए वास्तव में क्या सोचते हैं? क्या यह आपकी राजनीतिक नैतिकता नहीं है कि पहले आपको इस सभा का जनादेश प्राप्त करना चाहिए जैसा कि राष्ट्रपति जी भी चाहते हैं। यदि राष्ट्रपति जी ने यह निर्णय लिया कि आपके पास बहुमत था तथा आपको जनादेश प्राप्त था तो आपको यह शर्त नहीं रखनी चाहिए थी कि आपको 31 मई तक इस सभा का समर्थन लेना चाहिए। इसलिए जब राष्ट्रपतिजी को स्वयं ही संदेह था और आप ने सदन में बहुमत साबित नहीं किया है तो निश्चय ही आपके पास आपके पास देश में बहुमत नहीं है। आपने बहुत से वायदे किए, नीति संबंधी घोषणाएं कीं और क्या-क्या नहीं किया।

मेरे बहुत अच्छे मित्र—श्री जसवंत सिंह जी-मुझे नहीं मालूम कि वे नार्थ ब्लॉक में जा रहे हैं अथवा नहीं क्योंकि पहले वित्त मंत्रालय किसी और को सौंपने का निर्णय लिया गया था अथवा, मैं नहीं जानता कि, कोई अन्य चाहता था कि वित्त मंत्रालय उनको सौंपा जाए लेकिन उनको नहीं मिला। उन्होंने भी अगले तीन अथवा चार अथवा पांच वर्षों के लिए घोषणाएं कर दीं। सबसे पहले यह तो देखिए कि आप

सात दिन भी मंत्री रहेंगें। यह जनता को तथा देश को गुमराह करने के अतिरिक्त और क्या है? महोदय, मेरा विश्वास है, राजनीतिक शिष्टाचार यह है कि ऐसी घोषणाएं उन्हें सदन में बहुमत साबित करने के बाद ही करनी चाहिए थीं।

अपराह्न 5.00 बजे

महोदय, यहां तक कि दस दिन के लिए भी वे मंत्रिमंडल को एक करके नहीं दिखा सकते। एक माननीय सदस्य तो मंत्रिमण्डल की पहली और दूसरी बैठक में भी उपस्थित नहीं हुए। इसके अतिरिक्त आपको यह भी बता दूं कि वे बहुत महत्त्वपूर्ण मुद्दों पर एक निर्णय नहीं ले सकते हैं।

महोदय, एक अति महत्त्वपूर्ण बात है। उन्होंने 16 तारी[illegible] शपथ ग्रहण की थी और आज 27 तारीख है। मैं नहीं जानता। [illegible]रा जानकारी सही है अथवा नहीं और यदि मैं गलती पर हूं तो मैं गलती ठीक करूंगा। मुझे बताया गया है कि एनरॉन पॉवर परियोजना की संशोधित काउन्टर गारंटियों को स्वीकृति प्रदान करने के लिए आज 1.15 म.प. पर मंत्रिमंडल की एक विशेष बैठक हुई। क्या यह राजनीतिक दृष्टि से उपयुक्त था? क्या यह प्रशासनिक तौर पर उचित था? यदि मेरी जानकारी गलत है तो कृपया मुझे बताइए। आज आप अपनी स्थिति को खोने वाले हैं। अब तक भी बहुमत का दावा न कर सकने की स्थिति में—निश्चय ही आपके पास बहुमत नहीं है; माननीय प्रधान मंत्री ने कहा "आपकी संख्या अधिक ही सकती है..." अपने भाषण के दौरान उन्होंने एक बार ऐसा कहा—विश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान आज ऐसा महत्त्वपूर्ण निर्णय लिया जा रहा है। इस देश का मंत्रिमंडल जिसने अभी जनादेश साबित करना है, वह काउन्टर गारंटी को स्वीकृति प्रदान करने संबंधी इतना महत्त्वपूर्ण निर्णय लेने जा रहा है। क्या इसमें कोई आपत्ति नहीं है। तो मैं यह मान लूं कि ऐसा हो गया है।

महोदय, मैं नहीं समझता कि राजनीतिक तौर पर तथा प्रशासनिक तौर पर कोई और बात इससे अधिक गलत हो सकती है। यह और कुछ नहीं बल्कि इस सदन का तथा राष्ट्रपतिजी का घोर अपमान है क्योंकि उन्होंने चाहा था कि बहुमत साबित होना चाहिए इसका अर्थ है कि उनका तात्पर्य निश्चय ही कोई गंभीर अथवा महत्त्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले बहुमत साबित करने से था।

महोदय, इस देश के लोगों ने स्पष्ट रूप से धर्मनिरपेक्षता के पक्ष में और साम्प्रदायिकता के विरूद्ध अपना मतदान दिया है। हम महसूस करते हैं कि इस माननीय सभा के सदस्य होने के नाते हमारा यह परम् कर्त्तव्य है कि न केवल जनता के निर्णय को स्वीकार किया जाए बल्कि यह भी ध्यान में रखा जाए कि इस देश की राजनीति साम्प्रदायिक ताकतों द्वारा दूषित न हां जो कि इस देश की एकता तथा अखंडता को नष्ट करना चाहते हैं। मैं महसूस करता हूं कि प्रत्येक सेकिंड इस सरकार का सत्ता में रहने का अर्थ न केवल जनता के जनादेश के प्रति अनादर दर्शाता है बल्कि इस देश के धर्म निरपेक्ष ढांचे को भी कमजोर कर रहा है।

महोदय, हमें बहुत दुख है कि कुछ दिनों पहले हमारे सम्मानीय राष्ट्रपतिजी को सांवैधानिक बाध्यता के कारण दोनों सदनों को सम्बोधित करने का कार्य करना पड़ा था क्योंकि जिस सरकार को अभी शासन करने के अधिकार को साबित करना है, उसके पास जनता को कहने के लिए कुछ नहीं हो सकता जब तक कि उसका अधिकार प्रमाणित नहीं हो जाता है। लेकिन महोदय, मुझे एक गंभीर आपत्ति है कि जान-बूझ कर बनावटी स्थिति उत्पन्न करने की कोशिश क्यों की गई है। उन्होंने जान बूझकर अनुच्छेद 370 की समाप्ति के बारे में तथा समान सिविल कोड अपनाने के बारे में, हिन्दुत्व के बारे में अयोध्या में राम-मन्दिर के निर्माण के बारे में अल्पसंख्यक आयोग के विघटन के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया। यहां तक कि उन्होंने इस बारे में भी कोई उल्लेख नहीं किया कि बाबरी मस्जिद के गिराये जाने के बाद क्या होने जा रहा था। प्रचार अभियान के दौरान उन्होंने इस बात पर विश्वास किया और उस शाम को इस सभा में भा.ज.पा. के एक प्रतिष्ठित सदस्य, जिन्होंने अभी यह दावा किया, यद्यपि सही है, कि वह महाराष्ट्र में सबसे अधिक बहुमत से जीते हैं, दूरदर्शन पर गए और दावा कि "यह हमारे पहले वर्ष के कार्यों को कोटा है। हमने अपनी किसी भी मांग को छोड़ा नहीं है।" राष्ट्रपतिजी ने यह नहीं कहा, "यह मेरा प्रथम वर्ष का कोटा है अथवा मेरी सरकार के प्रथम वर्ष का कोटा है।" अतः यह खुले तौर पर कहा गया है : जी हां, हम ऐसा करना जारी रखेंगें। अनुच्छेद 370 के निरसन का समर्थन करेंगे।" उन्होंने अयोध्या में मन्दिर बनवाने के इरादे को छोड़ा नहीं है। उन्होंने अपने कार्यसूची में अन्य बातों का उल्लेख किया है जिनको काफी महत्त्व दिया गया है। उन्होंने जान बूझ कर उसके लिए बनावटी रूप से धर्म निरपेक्ष का परिचय नहीं दिया। महोदय, यह रवैया और कुछ नहीं बल्कि कपटपूर्ण और अस्थायी है।

आपने जानबूझ कर इस देशं की जनता पर यह छाप छोड़ने की कोशिश की है कि आपने अपनी प्राथमिकताएं बदल दी हैं और आपने अपनी नीतियां तथा कार्यक्रम बदल दिए हैं। राष्ट्रपतिजी ने अपने अभिभाषण में किसी भी बात का उल्लेख नहीं किया है जो कि घोषणा-पत्र के उन अंशों के लिए उनके दल द्वारा और दबाव नहीं डाला जा सकता। महोदय, ऐसा नहीं था। इसलिए, मुझे यह कहते हुए बहुत दुख हो रहा है कि यहां तक कि राष्ट्र की गुमराह करने के लिए राष्ट्रपति के पद का भी गलत इस्तेमाल किया गया है।

महोदय, प्रधानमंत्रीजी ने दूरदर्शन पर राष्ट्र को सम्बोधित किया। उन्होंने राष्ट्रपति के अभिभाषण के अनुसार ही बाबरी मस्जिद के विध्वंस तथा मन्दिर के निर्माण के बार में अपने प्रसारण में कोई उल्लेख नहीं किया लेकिन उन्होंने एक टिप्पणी की जिसे मैं उद्धरित कर रहा हूं :

> "धर्म से संबंधित समस्याओं को बहुत लम्बे समय से नहीं सुलझाया गया है। उसकी परिणति अयोध्या की घटना के रूप में हुई।"

इस कथन का महत्व धमकियां देने के अलावा और क्या है? महोदय, मैं हमारे देश के इतिहास में सबसे अधिक स्तब्ध कर देने वाली

घृणित घटना को अनुमोदित किये जाने की कल्पना नहीं कर सकता हूं।

महोदय, हमारे देश के प्रधान मंत्री ने एक समाचार पत्र, जो उनके निकट है, में एक और साक्षात्कार दिया है, उन्होंने कहा :

> "यदि अल्पसंख्यक अल्पसंख्यकता की भाषा में सोचते रहेंगे तो बहुसंख्यक लोग बहुसंख्यकवाद की भाषा में सोचना शुरू कर देंगें और इससे दोनों सम्प्रदायों के बीच दूरी बढ़ेगी।"

यद्यपि उनका आज का भाषण भिन्न था। केवल कुछ दिन पहले ही उन्होंने यह कहा था जब वह संभवतः यह उम्मीद कर रहे थे कि इस पक्ष के कुछ लोग उनके साथ मिल जाएंगे या वह बदल बदल करवा लेंगे। महोदय, उन्होंने यह बात एकदम स्पष्ट कर दी थी क्योंकि उन्हें अपने निर्वाचन क्षेत्र की सेवा करनी है। महोदय, यह सोचा गया था कि मंदिर के मुद्दे पर उनका रवैय्या नरम पड़ गया है। मंदिर के मुद्दे पर उन्होंने जो कहा मैं उसे उद्धृत कर रहा हूं :

> "हमारे लक्ष्य वहीं है। यह हमारी रणनीति का एक हिस्सा है कि किस समय किस पक्ष को अपनाना है, रणनीति हमेशा लचीली होनी चाहिए।"

महोदय, यह दोहरी चाल के अलावा और क्या है? आपने राष्ट्रपति के अभिभाषण में और कुछ दर्शाया है। आपने राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में और कुछ कहा और उसके बाद बाहर आप ने पूरी तरह से अपने चुनाव घोषणा पत्र पर जोर दिया। भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख लोग कहते है "जी हां, पहले वर्ष के लिए हमारा यह कार्यक्रम है। हम इनमें से किसी भी बात को नहीं छोड़ रहे हैं।" उनमें इस बात का राष्ट्रपति के अभिभाषण में उल्लेख करने का राजनीतिक साहस नहीं है।

महोदय, एक बात बिलकुल स्पष्ट है, कल मैंने अपने प्रधान मंत्री की पीड़ा का दूसरा क्षण देखा जब उन्होंने महाराष्ट्र सरकार को श्रीकृष्ण आयोग को बहाल करने की सलाह दी। महोदय, उन्होंने उसका उल्लेख किया। इसका पहले कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया है, कोई विरोध नहीं किया गया और भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र में श्रीकृष्ण आयोग और अल्पसंख्यक आयोग को भी समाप्त करने की बात स्वीकार कर ली थी। महाराष्ट्र सरकार को कल के संदेश से पहले तक न तो उनके चुनाव घोषणा पत्र में और न ही राष्ट्रपति के अभिभाषण में इसके पुनर्गठन की बात कही गई थी।

महोदय, मैं किसी विद्वेष के बगैर यह कह रहा हूं कि मौजूदा सत्ता पक्ष में ऐसे लोग हैं जिन्हें कथित रूप से, मुझे पक्का पता नहीं है, मुम्बई के दंगों में समिमलित होने का आरोप है। मुझे यह मालूम नहीं है कि उसमें क्या कोई व्यक्ति ऐसा भी है जिसे राष्ट्रीय सुरक्षा कानून या टाडा के अन्तर्गत गिरफ्तार किया गया था। उससे गैर कानूनी हथियार जब्त किए गए थे। क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने या महाराष्ट्र सरकार ने उस व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति, चाहे वह कहीं भी हो, कोई कार्रवाई की है? इस सरकार को उत्तर देना चाहिए। इस दल को जनता को जवाब देना चाहिए। अतः महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री को आज अचानक यह अनुदेश क्यों दिया गया है ताकि यह सरकार लोगों और इस सभा के कुछ सदस्यों को प्रभावित कर सके?

महोदय, मुझे विश्वास है कि इस सरकार को सत्ता से हटाने के लिए देश को लेषमात्र भी रंज नहीं है। महोदय इस देश को साम्प्रदायिक ताकतों से छुटकारा चाहिए। महोदय, जैसा कि मैंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी का अचानक एक सबसे बड़े दल के रूप में उभर कर आना एक चुनावी गणित के आलावा और कुछ नहीं है। इससे किसी व्यक्ति, किसी दल को इस देश के शासन को चलाने का दावा करने या इस देश का भविष्य निर्धारित करने का अधिकार नहीं मिल जाता है। महोदय, निसंदेह हमें बहुत सी समस्याएं हल करनी हैं। धार्मिक रूढ़िवादी लोग ऐसा नहीं वह सकते हैं या उन समस्याओं को नहीं सुलझा सकते हैं। हमें अपनी धर्म निर्पेक्ष प्रतिबद्धताओं का पालन करना है। इस देश को एक ऐसी सरकार चाहिए जो जनता और देश की साम्प्रदायिक चालों का मुकाबला करेगी। हम अपनी एकता और अखंडता से विलवाड़ नहीं कर सकते हैं। धर्मनिर्पेक्ष दलों ने संयुक्त मोर्चा बनाया है—तथापि, श्री जार्ज फर्नान्डीज इस बात का मजाक उड़ाएंगे जिसका उद्देश्य धर्मनिर्पेक्ष और लोक हित सरकार प्रदान करना है जिसे शीघ्र ही कार्यभार ग्रहण करना चाहिए।

महोदय, मैं श्री चन्द्रशेखर का सुझाव दोहराता हूं। मेरा सरकार से कहना है कि बहुत हो गया। देश और जनता के भले के लिए, मैं सत्ता हड़पने वालों से अनुरोध करता हूं कि वह सत्ता छोड़ दें। आपको और एक मिनट भी सत्ता में रहने का अधिकार नहीं है। इस देश की जनता पर उन लोगों को शासन करना चाहिए जिनका इस सभा में बहुमत है। अतः बीस प्रतिशत मत प्राप्त होने से बहुमत का दावा नहीं किया जा सकता है, उससे बहुमत का अधिकार नहीं मिल जाता है। महोदय, मैं इस प्रस्ताव का विरोध करता हूं और मुझे विश्वास है कि राष्ट्र इस प्रस्ताव का विरोध करता है।

श्री पी. चिदम्बरम (शिवगंगा) : अध्यक्ष महोदय मैं इस प्रस्ताव का विरोध करता हूं और मैं अपनी बात बहुत संक्षेप में कहूंगा। महोदय, पिछले 15 दिनों या वास्तव में 13 दिनों में अनेक संवैधानिक कल्पनाओं सिद्धान्तों, अनेक राजनीतिक व्याख्याओं, अनेक खतरों, चापलूसियों और प्रलोभनों से गुजरना पड़ा है। फिर भी कुछ सत्य यह है कि मौजूदा सरकार हमारे पक्ष के एक भी सदस्य को अपनी ओर नहीं कर सकी है। उनकी संख्या 194 तक ही सीमित रह गई। प्रधान मंत्री ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि उनका बहुमत नहीं है।

यदि उनका बहुमत नहीं है, यदि उनहें मालूम है कि उन्हें बहुमत प्राप्त नहीं है तो उन्होंने यह प्रस्ताव प्रस्तुत क्यों किया? क्या इसका कारण यह है कि उन्होंने सोचा कि वह अपनी वाकदक्षता से आज किसी को अपने पक्ष में कर लेंगे? क्या इसका कारण यह है कि उन्होंने सोचा कि वह अपनी कविता और आवेग से समर्थन प्राप्त कर सकते हैं?

1996 के चुनाव में जनादेश स्पष्ट है। किसी भी दल—आपको बधाई देते समय मैंने कहा था-किसी भी एक दल को आज अकेले ही सरकार बनाने का जनादेश नहीं है। जनादेश केवल गठबंधन के लिए है। जनादेश धर्मनिर्पेक्ष, उदार और लोकतान्त्रिक गठबंधन के लिए है। हम लोगों को उस जनादेश का पालन करना चाहिए। अन्य देशों में राजनीतिक दलों और सदस्यों ने सरकार बनाने में दो-तीन महीने का समय लिया है। इसमें कुछ भी गलत नहीं है। इस देश में एक हलचल है। उस अशान्ति के परिणामस्वरूप सरकार बनाना कठिन होगा लेकिन हमें ऐसा प्रयास करना चाहिए था। संयुक्त मोर्चा साझा सरकार बनाने के लिए प्रयास कर रहा है। इसमें कोई बुराई नहीं है। अधिकांश लोगों की यही इच्छा है। केवल परामर्श के लिए आमंत्रित किए जाने पर भारतीय जनता पार्टी ने जो कुछ किया वह एक जल्दबाजी थी और सत्ता हथियाने का लालच था। यह भारतीय जनता पार्टी ने जो कुछ किया और संयुक्त मोर्चा जो कुछ करने की कोशिश कर रहा है उसमें एक अन्तर है। प्रश्न यह नहीं है कि हम इसमें सफल हो सकते है या नहीं। हम कम से कम यह पता लगाने का प्रयास कर रहे हैं कि बहुमत किसके साथ है।

महोदय, संसदीय लोकतंत्र में केवल एक ही नियम होता है। संसद अर्थात् इस शीर्षतम संस्था में प्रधान मंत्री के साथ बहुमत होना ही चाहिए। प्रधान मंत्री वाजपेयी, जिनके प्रति मेरे मन में अत्यधिक सम्मान एवं प्यार है—और मेरे उनको प्रधान मंत्री वाजपेयी कहने का यह अन्तिम अवसर है—को बहुमत प्राप्त नहीं है। उन्हें यह पद कभी भी स्वीकार नहीं करना चाहिए था।

महोदय, एक अत्यंत वरिष्ठ पत्रकार ने आज श्री वाजपेयी का उल्लेख किया है तथा उनकी तुलना मिकाम्बर से की है; इस पत्रकार का कहना है कि जब उन्होंने इस पद को स्वीकार किया, तो यह उनकी 'मेकारबरिश' आशा थी। एक अन्य पत्रकार ने उन्हें यह संज्ञा दी है कि जब वह अपनी जेब में वह पत्र लिये हुए राष्ट्रपति भवन की सीढ़ियों से उतरें, तो उनके हाव-भाव एक ऐसे बच्चे के थे जिसे आश्चर्यजनक वस्तु मिल गई हो। सेल्यूलर टेलीफोन व्यवस्था की बदौलत—जैसे ही वह अन्तिम सीढ़ी से उतरे उनके कार्यालय में यह संदेश पहुंच गया कि उन्हें प्रधान मंत्री नियुक्त किया जा चुका है। इस विषय पर मैं समझता हूं कि विचारशील वाजपेयी जी को किसी लालची दल ने अपने काबू में कर लिया था। उन्होंने यह सोचे बिना कि क्या उनके दल में बहुमत पर शासन करने की क्षमता है, पटाखे छुड़ाने तथा **लड्डू** बांटने शुरू कर दिये।

वे हमें क्या समझते थे? वे हमें खरीदी जा सकने वाली वस्तुओं के समान समझते थे। सीपीआई तथा सीपीएम को छुआ नहीं जा सकता। कम-से-कम सोमनाथ बाबू एवं इन्द्र जीत को थोड़ी-सी दयालुता के लिए आभारी होना ही चाहिए।

श्री सोमनाथ चटर्जी : उन्होंने ऐसा खुलेआम कहा है।

श्री पी. चिदम्बरम : क्या इसका यह अर्थ है कि टी.डी.पी. को छुआ जा सकता है? क्या इसका यह तात्पर्य है कि डी.एम.के. और टी.एम.सी. को छुआ जा सकता है? क्या इसका यह मतलब है कि ए.जी.पी. को खरीदा जा सकता है? क्या इसका यह अर्थ है कि जनता दल को तोड़ा जा सकता है? चाहे वह वर्ष 1977 हो, चाहे वह वर्ष 1989 अथवा वर्ष 1970 हो...**(व्यवधान)**

[हिन्दी]

प्रो. रासा सिंह रावत : पहले आपकी सरकार थी, तब क्या हुआ?...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री पी. चिदम्बरम : कृपया मेरी बात सुनिये।

महोदय, आज प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में प्रत्येक मतदाता अत्यंत सतर्कता से वोट डालता है। पिछले महीने तमिलनाडु में क्या हुआ था? वहां एक दल सत्ताधारी था। इस दल के मंत्री एवं सदस्य निर्वाचन-क्षेत्र में जा नहीं सकते थे। वहां बोर्ड लगे हुए थे, जिनपर यह लिखा था : 'हमारे निर्वाचन क्षेत्र में प्रवेश मत करो।' आज, इस सभा के हर सदस्य तथा निर्वाचित संस्था के प्रत्येक सदस्य ने भाजपा के प्रति ऐसा ही नोटिस लगाया हुआ है। अब जनता सोई हुई अथवा चुप नहीं रहती। यदि हम उनके विश्वास को ठेस पहुंचाते हैं, तो जनता जाग उठेगी तथा हमें निकाल कर बाहर फैंक देगी...**(व्यवधान)** हममें से कोई भी व्यक्ति-चाहे वह टी.एम.सी. अथवा ए.जी.पी. अथवा टी.डी.पी. अथवा डी.एम.के. अथवा अन्य किसी पार्टी के टिकट से ही निर्वाचित क्यों न हुआ हो—भाजपा द्वारा खरीदे जाने के लिए उपलब्ध नहीं है। उन्हें यह विदित होना चाहिए था... **(व्यवधान)**। उनकी पार्टी से सम्बद्ध बी.जे.पी के एक भूतपूर्व मुख्य मंत्री का कहना है : "इंतजार कीजिए और देखिये। हम चतुराई से बहुमत हासिल कर ही लेंगे।" क्या वह एक जादूगर थे? पहली पंक्ति में बैठे एक मंत्री का कहना है : "बहुमत हासिल करने के साधन है।" प्रिय साथी, श्री प्रमोद महाजन का कहना है : "यदि कोई व्यक्ति हमारे दल से बाहर जाता है, तो वह दलबदलू है, लेकिन यदि कोई हमारे दल में शामिल होता है, तो वह सर्परिवर्तक है।" ऐसा **टाईम्स ऑफ इण्डिया** में प्रकाशित हुआ है। हम साफ तौर पर आपको यह बता दें कि भाजपा को उसके 194 सदस्यों के सिवाय अन्य कोई दल भी उसे समर्थन देने का इच्छुक नहीं है और यदि यह बात यहां उपस्थित प्रत्येक सदस्य को सुस्पष्ट हो चुकी है, तो फिर इस बहस को जारी क्यों रखा जाये? मतदान करने का समय आ गया है। इस चर्चा को जारी रखने का कोई उद्देश्य नहीं है। क्या श्री वाजपेयी का यह कहना है कि उन्हें अभी भी इस सदन में समर्थन मिलने की आशा है? यदि उन्हें ऐसी उम्मीद नहीं है, तो फिर इस बहस को क्योंकर जारी रखा जाए?

मेर प्रबुद्ध साथी, श्री सोमनाथ चटर्जी ने मंत्रियों द्वारा की गई अनेक घोषणाओं का उल्लेख किया है। श्रीमती स्वराज ने दूरदर्शन तथा आकाशवाणी पर अपनी नैतिकता की निजी आचार संहिता को थौपने की कोशिश की है। वे कल मंत्रीपद से आजाद हो जायेंगे। रक्षा मंत्री ने कहा है कि वह रक्षा-बजट में बढ़ोत्तरी करेंगे। मुझे विदित नहीं है

कि ऐसा कहने से पूर्व उन्होंने वित्त मंत्री से सलाह की है अथवा नहीं। श्री जसवंत सिंह जी ने अपनी अनिवार्य एवं पारम्परिक प्रथम संवाददाता सम्मेलन में आत्मसंयम बनाये रखा मैं भी उनकी इसके लिए प्रशंसा करता हूं। उन्होंने एक ही बात ऐसी कही है, जिससे कि मुझे हैरानी हुई है। उन्होंने कहा है कि भाजपा दल का अल्पमत में होना एक बात है तथा भाजपा सरकार का राजनैतिक कार्यक्रम दूसरी बात है। संसदीय लोकतंत्र का यह एक नया नियम/शासन है। प्रत्येक दल को अपना राजनैतिक कार्यक्रम लागू करने के लिए बहुमत से सत्तारूढ़ किया जाता है। क्या अब यही कह रहे हैं कि आपने अपना राजनैतिक कार्यक्रम त्याग दिया है? यदि आप ऐसा कह रहे हैं, तो आपको ऐसा ईमानदारी पूर्वक कहना चाहिए...**(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री प्रभू दयाल कठेरिया (फिरोजाबाद) : माननीय मंत्री महोदय अपने मेनीफेस्टो को पढ़ो।

[अनुवाद]

श्री पी. चिदम्बरम : मैं **'मंत्री महोदय'** नहीं हूं, मंत्री महोदय वहां हैं।

महोदय, मैं इस बात को समझने की कोशिश कर रहा हूं। किसी दल को सरकार बनाने के लिए बहुमत इसलिए दिया जाता है ताकि वह अपने घोषणा-पत्र को लागू करे। संसदीय लोकतंत्र का यही आधार है। यदि आपने अपना राजनैतिक कार्यक्रम त्याग दिया है, तो आप यही कहिये कि आपने राजनैतिक कार्यक्रम छोड़ दिया है। यह कहिये कि आपने अनुच्छेद-370 को निरस्त किये जाने की मांग को त्याग दिया है। यह कहिये कि आपने एकसमान आचार संहिता को लागू करने के आपने सिद्धान्त को त्याग दिया है। यह कहिये कि आपने **हिन्दुत्व** का त्याग कर दिया है। यह कहिये कि आपने **राम जन्मस्थान** अथवा जहां **बाबरी मस्जिद** खड़ी थी, पर मन्दिर बनाने की अपनी मांग को त्याग दिया है। लेकिन यदि आप ऐसा नहीं करते और फिर भी यही कहते हैं कि हम सरकार बनायेंगे लेकिन हम अपने राजनैतिक कार्यक्रम से पीछे नहीं हटेंगे, तो फिर में आप को भेड़ की शक्ल में भेड़िया ही कहूंगा। आप हमें समर्थन देने के लिए क्यों कहते हैं? प्रधान मंत्री ने हम सभी पर बिना सिद्धान्तों की राजनीति चलाने का आरोप लगाया है। हम गैर-सिद्धान्तवादी राजनीतिज्ञ हैं, हमें अकले छोड़ दीजिये, कृपया हमसे अनुरोध मत कीजिए, कृपया हमें समर्थन देने के लिए मत कहिये।

तथापि मुझे एक और वक्तव्य पर आपत्ति व्यक्त करनी है। प्रधान मंत्री ने यह कहा है कि अयोध्या जैसे विवाद को सुलझाने के केवल दो ही तरीके हैं—एक बातचीत करके तथा दूसरा विधान बनाकर। मुझे पूर्ण विश्वास है कि प्रधान मंत्री एक विद्वान, विचारवान व्यक्ति हैं तथा वह शब्दों का चयन सावधानी पूर्वक करते हैं। उन्होंने अधिनिर्णय को नकारा है। इसका क्या अर्थ है? इससे देशभर में एक अत्यन्त अमंगलकारी संदेश प्रसारित हुआ है। उन्होंने कहा है कि—बातचीत करना तथा कानून बनाना इस विवाद को हल करने के केवल यही दो तरीके हैं। क्या उन्होंने अधिनिर्णय को मानने से इन्कार किया है? क्या वे उच्च न्यायालय—जहां कि यह मामले विचारधीन हैं—के प्राधिकार का निराद करते हैं? क्या वे उच्चतम न्यायालय के अधिकार का निरादर करते हैं? मैं एक प्रश्न पूछता हूं। मैं यह प्रश्न अत्यन्त निराशापूर्वक पूछ रहा हूं। मान लीजिए कि बातचीत करना और बनाना ये दो ही इस विवाद को हल करने के तरीके हैं, **संघ परिवार** ने मस्जिद गिराने क तीसरा तरीका कैसे खोजा?..**(व्यवधान)** यह मस्जिद गिराये जाने के तीसरे तरीके को कैसे न्यायोचित ठहराती है?

महोदय, यह दुर्भाग्य की बात है कि आज लाखों भारतीय जनता पार्टी को गैर-उदारवादी गैर-धर्मनिरपेक्ष तथा बहिष्कार करने योग्य पार्टी मानते हैं। फिर भी भाजपा बहुमत हासिल कर पायेगी, यह तो असम्भव-सी बात है। यदि उन्हें बहुमत मिल जाता है, तो वे निश्चित रूप से शासन करने के पात्र हैं। इसे कोई चुनौती नहीं दे सकता और न ही कोई शिकायत कर सकता। लेकिन यदि आप गैर-उदारवाद गैर-धर्मनिरपेक्ष हैं और यदि आप अपने आपको बहिष्कृत किये जाने के रूप में पाते हैं तथा आपको केवल 20 प्रतिशत वोट तथा इस सभा में केवल 30 प्रतिशत सीटें मिली हैं, अतः आज भी स्थिति के अनुसार आपको बहुमत हासिल नहीं है। अतः, नैतिकता, सांवैधानिक सिद्धान्त तथा आपका इस देश के प्रति प्यार आपसे यही मांग करता है कि आप को तत्काल सत्ता छोड़ देनी चाहिए। महोदय, मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि श्री वाजपेयी इस देश से मेरे जितना ही प्यार करते हैं। मुझे उनकी निजी गतिविधियों पर कोई संदेह नहीं है, लेकिन 16 मई को उन्होंने जो गलती की है, उससे इस पर आंच आती है। लेकिन इस गलती को प्रधान मंत्री का पद सम्मानपूर्वक छोड़कर ही सुधारा जा सकता है।

महोदय, मेरा यह निवेदन है कि यह प्रस्ताव किसी ऐसी सरकार का एक निरर्थक प्रस्ताव है, जिसे यह विदित है कि उसे बहुमत हासिल नहीं है और जिसमें बहुमत द्वारा शासन करने की योग्यता नहीं है। इस संबंध में हिदायतों के तंत्रों, गवर्नर-समिति, सरकारिया आयोग, इन सभी का यह कहना है कि बहुमत द्वारा शासन करने वाला व्यक्ति ही प्रधान मंत्री बन सकता है। मैं कामना करता हूं कि श्री वाजपेयी को यह समर्थन प्राप्त होता।

उन्हें आज यह समर्थन हासिल नहीं है। वह यह समर्थन हासिल नहीं कर सकते। मैं उनसे विनम्र निवेदन करता हूं कि इस देश में सरकार स्थापित होने दें, क्योंकि मार्च महीने के उत्तरार्द्ध से कोई कारगर सरकार कार्य नहीं कर रही है। इस देश में सरकार बनने दें। श्री वाजपेयी सम्मानपूर्वक प्रधान मंत्री का पद त्याग दें, ताकि नई सरकार शपथ-ग्रहण कर सके तथा हम इस देश में शासन कर सकें।

श्री श्रीकान्त जेना (केन्द्रपाडा) : मैं केवल आपका ध्यान नियम 115 की ओर आकृष्ट करता हूं। मैंने पहले ही नोटिस दिया है। जबकि माननीय सदस्य जार्ज फर्नान्डीज प्रस्ताव पर भाषण दे रहे थे, तो उन्होंने पटना उच्च न्यायालय की गलत टिप्पणियों को उद्धृत करके सदन को गुमराह किया था। मैं केवल आपका ध्यान उच्च न्यायालय के निर्णय और निष्कर्ष की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। इसलिए,

कृपया मुझे उसकी अनुमति प्रदान की जाये। निर्णय में यह बताया गया है कि :

> "इससे पूर्व, मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि इस निर्णय में अन्त र्विष्ट टिप्पणियां अथवा निष्कर्ष इन याचिकाओं के उद्देश्य से दिये गये हैं। उनका अर्थ किसी भी तरह से मामले में गुणावगुणों पर न्यायालय का अभिमत नहीं लगाया जाना चाहिए और न ही उनका अर्थ किसी व्यक्ति पर टिप्पणी लगाया जाना चाहिए। इसमें दिए गये निर्देशों का आशय किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों पर अभ्यारोपण नहीं है।"

इसलिए महोदय, मेरा निवेदन है कि माननीय सदस्य श्री जार्ज फर्नान्डीज ने सभा को गुमराह किया।

एक माननीय सदस्य : आप उसके विरूद्ध विशेषाधिकार प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकते हैं।

श्री श्रीकान्त जेना : मैं अवश्य ही ऐसा करूंगा। इस समय मैं केवल निवेदन कर रहा हूं। **(व्यवधान)**

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : उनके विरूद्ध एक विशेषाधिकार प्रस्ताव लायें। **(व्यवधान)**

श्री श्रीकान्त जेना : महोदय, मैं आपसे इस कार्यवाही से हटाने का अनुरोध करता हूं और मैं उस माननीय सदस्य के विरूद्ध विशेषाधिकार प्रस्ताव ला रहा हूं जिसने इस सम्मानीय सभा को गुमराह किया था।

अध्यक्ष महोदय : मैं कार्यवाही वृत्तांत को पढ़ूंगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने कहा है कि मैं कार्यवाही वृत्तांत का अध्ययन करूंगा और उसे देखूंगा।

(व्यवधान)

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री बी. धनजय कुमार) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री जार्ज फर्नान्डीज ने कहा था कि वे दस्तावेजों को अधिप्रमाणित करेंगे और उन्हें सभा पटल पर रखेंगे।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : अध्यक्ष महोदय, मैं विशेषाधिकार प्रस्ताव का स्वापत करूंगा ताकि इस सभा में इस समूचे निर्णय पर चर्चा की जा सके और लोगों को यह पता लग सके कि उच्च न्यायालय ने बिहार सरकार के बारे में क्या कहा था।

श्री शरद यादव : महोदय, मैं उसे स्वीकार करता हूं। **(व्यवधान)**

श्री राम विलास पासवान : महोदय, उच्चतम न्यायालय का क्या निर्णय है? **(व्यवधान)**

श्री चन्द्र शेखर : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि वे भावनाओं में न बहें। यदि यह मामला विशेषाधिकार समिति के पास जाता है, तो विशेषाधिकार समिति बिहार सरकार की फाइलें मंगवायेगी और यह एक स्वस्थ परम्परा नहीं है।

श्री श्रीकान्त जेना : मैं उस पर जोर दूंगा।

श्री चन्द्र शेखर : आप उस पर जोर दे सकते हैं। मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह रहा हूं। लेकिन बात यह है, कि उसने निर्णय का एक अंश उद्धृत किया और आपने निर्णय का दूसरा अंश उद्धृत किया। कार्यवाही को तदनुसार ठीक किया जाना चाहिए और मामला यहां समाप्त हो जाना चाहिए। कृपया इसे विशेषाधिकार समिति को न सौंपें। यह मेरा मत है।

श्री बीजू पटनायक : अध्यक्ष महोदय, समस्या यह है कि श्री जार्ज का अपनी ही भावनाओं में बह जाना इस सभा में कोई नयी बात नहीं है। उन्होंने इस सभा में जनता दल सरकार का एक दिन जोरदार समर्थन किया था और फिर अगले दिन वह उससे पीछे हट गये थे। यह श्री जार्ज फर्नान्डीज के लिए नई बात नहीं है। **(व्यवधान)** इसका सार यह है कि वह गलत व्यक्ति को निशाना बना रहे हैं। वह बिहार के मुख्य मंत्री को निशाना बना रहे हैं, जो स्वयं उल्टे, 43 लोगों को गिरफ्तार करवा कर दण्डित करवा चुके हैं। वह इसे पूरा करवाना चाहते है और इसी कारण से वह उच्चतम न्यायालय तक गये और उच्चतम न्यायालय ने इसे केन्द्रीय जांच ब्यूरो को सौंप दिया। इसमें नयी बात कुछ भी नहीं है। मैं केवल यह कहना चाहता हूं कि श्री जार्ज फर्नान्डीज अपने भाषण में गलत व्यक्ति को निशाना बना रहे थे। इसका मुख्य मंत्री से बिलकुल भी सरोकार नहीं है, इस समय मैं केवल यही कहना चाहता हूं...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : जेना जी, लोकसभा अध्यक्ष के निदेशों के अन्तर्गत, आप सदस्य के वक्तव्य में कतिपय अशुद्धियों को अध्यक्ष के ध्यान में लाये हैं। उन्होंने यह लिखित में दिया था, अगला कदम यह है कि अध्यक्ष सदस्य से इसका पता लगायेगा। निदेश 115(3) में बताया गया है: "अध्यक्ष, यदि उचित समझे, तो लगाये गये आरोप के संबंध में सही स्थिति का पता लगाने के उद्देश्य से मामले को मेरी अथवा संबंधित सदस्य के ध्यान में ला सकता है।"

मैं ठीक वही करूंगा।

श्री जार्ज फर्नांडीज : धन्यवाद, महोदय।

श्री मधुकर सर्पोतदार : इस सभा के नेता श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने यहां पर वोट ऑफ कान्फिडेंस प्रस्ताव रखा है। मैंने सुबह से इस प्रस्ताव के बारे में बहुत कुछ सुना। यह सब सुनने के बाद मेरा उसके बारे में जो मत बन गया वह मैं चंद शब्दों में यहां रखना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय, श्री वाजपेयी जी को राष्ट्रपति जी ने सरकार बनाने के लिए बुलाया। बीइंग वन ऑफ लारजेस्ट पार्टी उनको बुलाया गया। उन्होंने अपनी सरकार बनाई। उससे पहले किसी ने भी गवर्नमेंट बनाने के लिए क्लेम नहीं किया था लेकिन जब उनको यह मालूम पड़ा कि यहां पर बी.जे.पी., शिवसेना और अन्य पार्टियां मिलकर सरकार बना रही हैं तो आपोजिशन वालों के दिल मे यह डर बैठ गया कि अगर इनकी सरकार देश में रह जायेगी तो फिर उनको इस देश में काम करना मुश्किल हो जायेगा। यह सोचकर उन्होंने हमारे

खिलाफ एक फ्रंट बनाया जिसका नाम नेशनल फ्रंट रखा गया। इस नेशनल फ्रंट के अन्दर आज तक जो लोग आपस में कभी भी इकट्ठे नहीं हुए थे, वे सब जमा हो गये। जैसे कम्युनिस्ट। जब इंदिरा गांधी की सरकार थी तो उस समय धारा 356 का दुरूपयोग करके इन्होंने केरल सरकार को गिरा दिया । आपको शायद याद होगा। इतना ही नहीं, कांग्रेस और ये सब लोग आज तक कभी भी आपस में इकट्ठे नहीं हुए। जब गवर्नमेंट बनाने का मौका इस देश में आया और खासकर कोलिशन गवर्नमेंट बनाने का मौका आया तो कांग्रेस ने हमेशा ऐसा ही रोल अदा किया है। आप आज तो गवर्नमेंट बना दें हम आपके पीछे खड़े हैं और जब गवर्नमेंट बन जाती है तो कांग्रेस अपनी चाल खेलती है। यह मेरा आज तक का अनुभव रहा है और इसी भरोसे ये नेशनल फ्रंट की गवर्नमेंट बना रहे हैं। हम लोगों की गवर्नमेंट जरूर बन गई है। गवर्नमेंट बनने के बाद 10 दिन के अंदर ये लोग 10 साल का काम चाहते हैं । लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। सारे लोगों ने यहां पर बयान दिया जिसमें से हमारे महाराष्ट्र के नेता श्री शरद पवार भी बोले। इस बहस के अंदर पवार जी ने भी भाग लिया। हमारी पार्टी के ऊपर थोड़ी छींटाकशी की गई। मैं शरद पवार जी, और बनातवाला जी से पूछना चाहता हूं कि आप हमारे डायस पर क्यों आए थे, जब हमारी पार्टी इतनी खराब थी तो आप हमारे व्यासपीठ पर क्यों आए थे? आपको कोई मतलब होगा तभी तो आप आए थे। जब मतलब खत्म हो गया तो हमारी पार्टी खराब हो गई।

आप लोग जब यहां पर बहस करते हैं तो अपनी सूरत जरा आईने में देखकर आइयेगा।...**(व्यवधान)** मैं बड़े अदब के साथ सबको कहना चाहता हूं कि आपने बहुत मीठी बात कर दी है।

[अनुवाद]

आपने यह दिखाने का प्रयास किया है कि केवल आप ही इस सभा मे ईमानदार व्यक्ति हैं।

[हिन्दी]

और बाकी सब गलतियां कर रहे हैं? चिदम्बरम् जी, आपने क्या मिसाल दी है। आपकी और नरसिंह राव जी की आपस में नहीं बनी इसलिए आप पार्टी छोड़कर चले गए। इसी तरह हमारे सामने नेशनल फ्रंट भी दिखाई देता है। यह उन लोगों की पार्टी है जो कांग्रेस छोड़कर अन्य पार्टियों में चले जाते हैं। वहां जाकर सब लोगों को साथ लेकर गवर्नमेंट बना लेते हैं। जैसे मोरारजी भाई की गवर्नमेंट। मैं इस हाउस से सवाल पूछना चाहता हूं कि मोरारजी भाई कौन थे? चन्द्रशेखर जी की सरकार थीं चन्द्रशेखर कौन थे? उनसे पूछिए। वी.पी.सिंह की सरकार थी। उन्होंने इस्तीफा दे दिया था...**(व्यवधान)** इनके बारे में सोचा गया था कि यह इन्सान कुछ काम करके बतायेगा। उनको प्राइम मिनिस्टर बनाया। अभी नैशनल फ्रंट का जो लीडर बनाया, कौन है? जरा उनका चेहरा गौर से देखो, हर जगह से जो कांग्रेस वालों से निकल गया, अन्य पक्ष में जाकर बैठ गया और वहां पर उसका गुट बन गया, उस गुट का लीटर बनने के बाद वह प्राइम मिनिस्टर या अन्य नेता बनता रहा है। यह सब चाल इस देश में कांग्रेस चल चल रही है। देश की जनता अभी इतनी अनाड़ी नहीं है, वह बराबर जानती है किसको चुनकर देना चाहिए और किसको चुनकर देने के बाद कौन सी सरकार आकर यहां पर काम करेगी।

मैं एक अन्य सवाल करना चाहता हूं। मैंने बहुत सारी बहस सुनी। किसी के मुंह से यह बात नहीं निकली, हमारे देश में रोज कम से कम सौ बेकसूर आदमी मारे जाते हैं, कश्मीर में मारे जाते हैं, दिल्ली में मारे जाते हैं ...**(व्यवधान)** उस दिन लाजपत नगर में बम विस्फोट हो गया। आप में से कितने लोग उनकी तलाश करने के लिए गए? ...**(व्यवधान)** यह बम विस्फोट किसकी मेहरबानी है।

राष्ट्रपति का अभिभाषण चल रहा था। तब जिनका नाम ममता है, माता-पिता ने उनका बहुत अच्छा नाम रखा है, उनके दिल में माईनौरिटीज के लिए बहुत ममता है, उतनी बात है अगर मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि ममता जी, यदि आप इतनी ममता से भरी हुई हैं तो जो लोग मर गए, क्या आप उनकी पूछताछ करने के लिए गई थी? क्या आपको उनकी याद आई?...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

कुमारी ममता बनर्जी : आप लोगों ने मेरे घर का चार बार घेराव किया क्योंकि मैं अल्पसंख्यकों के लिए लड़ रहीं थी। बाबरी मस्जिद गिराये जाने के पश्चात, जब सभी सड़क पर आने से डर रहे थे तो मैं खुद उन क्षेत्रों में गई और लोगों का बचाया। मैंने उन सभी परिवारों की भी सहायता की जो आन्दोलन से प्रभावित हुए थे।

[हिन्दी]

श्री मधुकर सर्पोतदार : वे लोग अपना चेहरा आइने में जाकर नहीं देखते...**(व्यवधान)** अध्यक्ष महोदय, मेरा बयान होने के बाद वे चाहे जो कुछ बोलें...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदयः यदि माननीय सदस्य ने कोई आरोप लगाया है तो मैं रिकार्ड को पढूंगा और यदि आवश्यक हुआ, तो मैं आपको बुलाऊंगा।

कुमारी ममता बनर्जी : नहीं महोदय, आप नियम 357 के अंतर्गत मुझे व्यक्तिगत स्पष्टीकरण देने की अनुमति प्रदान करें।

अध्यक्ष महोदयः मैं रिकार्ड को पढूंगा और मैं देखूंगा कि यह क्या है। माननय सदस्य ने किसी के विरूद्ध कोई आरोप नहीं लगाया है।

...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आप प्वाइंट पर आइए, आपके दो मिनट बाकी हैं

...**(व्यवधान)**

श्री मधुकर सर्पोतदार : मेरा जो समय खराब होता है, वह मुझे मिलना चाहिए...**(व्यवधान)** यहां के एक सम्माननीय एम.पी. ने बोला। ...**(व्यवधान)** अध्यक्ष महोदय, इतने इंसान मारे जाते हैं, किसी

ने यह नहीं कहा कि ...**(व्यवधान)** उनके पास बेकानूनी हथियार मिले, उनको कोई जानकारी नहीं है। ...**(व्यवधान)** शरद पवार जी यहां पर बैठे हुए हैं। उस समय यहां से जाकर चीफ मिनिस्टर बन गए थे। मेरे पास हथियार आज भी है लेकिन लाईसैंस का हथियार है। आप लोग उसपर इतना शोर मचा रहे हैं। बात का बतंगड़ बनाया जा रहा है। मेरे पास हथियार था। पुलिस ने मेरे संरक्षण के लिए मुझे हथियार और परवाना दिया है। दंगा-फसाद चलता है तो आप क्या चाहते हैं कि मैं हथियार घर में रखूं और लोगों को दंगा-फसाद में समझाने जाऊं...**(व्यवधान)** मेरा हथियार पुलिस ने बरामद कर दिया तांत्रिक आधार पर केस दर्ज किया और वह हथियार पुलिस ने मुझे वापिस भी कर दिया है। मेरे ऊपर वही केस चालू है, गलत इल्जाम लगाकर किसी को बदनाम करने की जो साजिश चल रही है, उस साजिश को रोकना जन-प्रतिनिधियों का सबसे बड़ा काम है गलत बातों पर सवार होना किसी को शोभा नहीं देता...**(व्यवधान)** आप गवर्नमैंट बनाते हैं लेकिन एक नेता नहीं चुन पाते, एक प्रोग्राम नहीं दे पाते, सिर्फ यहां पर खड़े होकर किसी के ऊपर हमला करना, किसी की आलोचना करना, यही करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर हमारी गवर्नमैंट गिर भी जाती है तो हम लोगों को कोई फिक्र नहीं है। मैं आप लोगों को बतलाना चाहता हूं, हम लोग तो दोबारा चुनाव में जाने के लिए तैयार हैं, आप लोग सोचें, आपकी जितनी सीटें आज आई हैं, उससे आधी सीटें भी भविष्य में नहीं आयेंगी, यह मैं आपको कहना चाहता हूं।...**(व्यवधान)**

श्री हिन्दूराव निम्बालकर (सतारा) : अध्यक्ष जी, इन्हें भी चुप कराओ, हमारे नेता बोल रहे हैं।...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया मेरे साथ सहयोग कीजिए। यह माननीय संसद सदस्यों जैसा व्यवहार नहीं है। मुझे यह कहते हुए खेद है। कृपया माननीय संसद सदस्यों की तरह व्यवहार कीजिए। यह सही ढंग नहीं है। आप के पास सम्मान अवश्य होना चाहिए। यदि कुछ और नहीं तो, आत्म सम्मान का होना बहुत महत्वपूर्ण है।

[हिन्दी]

श्री हिन्दूराव निम्बालकर : इनको आप समझाइये।

श्री मधुकर सर्पोतदार : अध्यक्ष महोदय, मैं दो मिनट में यह कहना चाहता हूं, श्रीकृष्ण कमीशन के बारे में यहां कुछ कहा गया।

अध्यक्ष महोदय : एक मिनट। मैंने आपको दो मिनट दे दिये हैं।

श्री मधुकर सर्पोतदार : मैंने यहां देखा है कि कोई नेता 40-40 मिनट बोले हैं। यहां श्रीकृष्ण कमीशन के बारे में कुछ कहा गया। मैं स्वयं श्रीकृष्ण कमीशन के सामने गया था, चार दिन मेरा वहां डिपोजिशन हो गया। जिस दिन कम्युनिष्ट पक्ष और अन्य मुस्लिम लीग के एडवोकेट मेरा क्रास एग्जामिनेशन लेने गये थे, जिस दिन की मुझे डेट दी गई थी, उस दिन वह दोनों एडवोकेट वहां पर कोर्ट में हाजिर नहीं रहे, इसलिए...**(व्यवधान)** साक्ष्य अधूरा रह गया। इसमें किसी का कोई कसूर नहीं है। कसूर किसी का अगर होगा तो जो सम्मान देने के बावजूद न्यायालय में उपस्थित नहीं थे, वह उनकी गलती थी।

इसलिए श्रीकृष्ण कमीशन होने दो, मेरा शस्त्र होने दो, अन्य कोई दंगा फसाद होने दो, किसी भी बात में अगर चर्चा करनी है तो कोई भी मैम्बर हो, मैं आपके किसी के भी सामने, एक नहीं, दो दिन बैठ जाने को तैयार हूं। आपके सामने मैं बैठने को तैयार हूं, दिल खोलकर बात करने को तैयार हूं। लेकिन असत्य प्रचार करके किसी पार्टी को हेतुतः बदनाम करने की कोशिश होगी तो हम लोगों से बर्दाश्त नहीं होगा—यह पहली बात। अन्य एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं।

[अनुवाद]

श्री कामरूल इस्लाम : महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मैं केवल स्पष्टीकरण चाहता हूं...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : उनके पास केवल एक मिनट का समय और है। आप उनका समय बर्बाद क्यों कर रहे हैं।...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कृपया, बैठ जाइए, अपना समय बर्बाद न कीजिए।

श्री कामरूल इस्लाम : मैं माननीय सदस्य से स्पष्टीकरण चाहता था।

[हिन्दी]

एक क्लैरीफिकेशन। क्या आप यह बता सकते हैं, आपके खिलाफ यह आरोप है कि आपने वकीलों को धमकाया था? क्या यह सही है, मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या आपके ऊपर यह चार्ज है?

श्री मधुकर सर्पोतदार : सौ फीसदी गलत है। यह हमारे ऊपर गलत चार्ज है। सामने बैठकर सभी असत्य इल्जाम लगाये जाते हैं। मेरा एक लास्ट पाइण्ट रह गया। हमें जो मुम्बई शहर के अन्दर यह कहा जाता है कि अगर बी.जे.पी. की गवर्नमैंट गिर जायेगी तो देश के अन्दर सिविल वार होगी, ऐसा किसी ने कहा। आज आदरणीय बाला साहब का नाम नहीं लिया, लेकिन बाला साहब ने यह जरूर कहा, मैं आपको बतलाना चाहता हूं...**(व्यवधान)** और इसलिए जिस ढंग से देश में इलैक्शन यंत्रणा चल रही है, जिस ढंग से हमारे देश में चुनाव के परिणाम निकल रहे हैं, अगर ऐसी हालत देश के अन्दर रहेगी, कोई भी एक पार्टी मजबूत बनकर आगे बढ़कर देश में राज नहीं करेगी तो एक दिन ऐसा आयेगा जब लोग...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

निराश होकर लोग सिविल वार का सहारा ले सकते हैं। उनका कहना यह है। यह धमकी नहीं है। जो वह कहना चाहते हैं, कृपया इसे समझिए। अनावश्यक रूप से बात का बतंगड़ न बनाइए और उस दल की आलोचना न करिए जो शत-प्रतिशत एक राष्ट्र-वादी दल है। हम राष्ट्र के साथ हैं। हम राष्ट्र के लिए हैं और हम जनता के उत्थान

के लिए अपने प्राणों की आहुती दे देंगे। उस बेहद महत्वपूर्ण बात को मत भूलिए।

[हिन्दी]

श्री बसुदेव आचार्य : दो बार बोला है।

श्री मधुकर सर्पोतदार : हम मुसलमान को चाहते हैं, अगर इस देश से प्यार है, हिन्दू को चाहते हैं, सिख को चाहते हैं, हम ईसाई को चाहते हैं, अगर इस देश से रिश्ता है, यहां पूर्व बंगाल के लोग आते हैं। पाकिस्तान के लोग आते हैं, बम विस्फोट करते हैं, हम उनको छोड़ने वाले नहीं हैं। यह बात हम आपसे कहना चाहते हैं। उन्हें यह देश छोड़कर जाना होगा।

[अनुवाद]

यह बात बहुत स्पष्ट है। इस मुद्दें पर कोई समझौता नहीं होना है। हम सभी भारतीय हैं। हम राष्ट्रवादी हैं। हम सभी लोगों को एक जुट होकर उन सभी राष्ट्रविरोधी गतिविधियों के खिलाफ लड़ना चाहिए जो राष्ट्रविरोधी हैं। इस सभा के प्रत्येक व्यक्ति को इसे दिमाग में रखना चाहिए। मेरी केवल यही विनम्र निवेदन है।...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : ममता जी मैंने आपको बताया है कि मैं रिकार्ड को पढ़ूंगा। यदि उसमें कुछ होगा, तो मैं स्वयं आपको स्पष्ट करने के लिए कहूंगा। आपको चिन्ता क्यों है? यदि कुछ रिकार्ड में होगा तो मैं स्वयं उसे स्पष्ट करने का आपसे अनुरोध करूंगा

श्री बीजू पटनायक : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य केवल हवाला दे रहे थे...**(व्यवधान)**...क्या प्रधानमंत्री को इसकी जानकारी है? मुझे विश्वास है कि उन्हें इस बात की जानकारी है कि उड़ीसा में भारतीय जनता पार्टी का उपाध्यक्ष चुनाव के ठीक पूर्व उसे छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गया था...**(व्यवधान)**...वह चुनाव जीता... **(व्यवधान)**...क्या माननीय प्रधानमंत्री को इस बात की जानकारी है?. ..**(व्यवधान)**... अथवा आप यह कहते हैं कि आप उतने साफ नहीं है जितने आप सिद्ध करना चाहते हैं...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : अब, कृपया श्री मुरासोली मारन।

...**(व्यवधान)**...

अध्यक्ष महोदय : कृपया ध्यान दें समय बड़ा मूल्यवान है।

[हिन्दी]

श्री नवल किशोर राय (सीतामढ़ी) : अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : व्यवस्था का प्रश्न उठाने से पहले आपको बताना होगा कि किस रूल के तहत आप उठा रहे हैं।

...**(व्यवधान)**...

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : नहीं, मामला यह नहीं है।

हां, श्री मारन।

श्री मुरासोली मारन (मद्रास मध्य) : अध्यक्ष महोदय मुझे खेद है कि मुझे प्रधानमंत्री थिरू अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा प्रस्तावित प्रस्ताव के विरूद्ध बोलना पड़ रहा है। बात यह नहीं है कि मैं वाजपेयी को कम प्यार करता हूं, बल्कि मैं अपने लोगों, अपनी भाषा अपनी संस्कृति, और उनके पीछे भाइयों और बहनों, अल्पसंख्यक समुदाय को अधिक प्यार करता हूं।

महोदय, यदि राष्ट्रपति ने थिरू वाजपेयी को प्रधानमंत्री नियुक्त करने की बजाय उनसे बहुमत मिलने की संभावनाओं का पता लगाने के लिए कहा होता तो मेरे विचार से अब स्थिति कुछ और हुई होती। दुर्भाग्य से, ऐसा नहीं हुआ। महोदय यह सही है कि भा.ज.पा. लोकसभा में सबसे बड़ी पार्टी है। लेकिन उन्होंने ऐसा कैसे किया? उनको मत कहां से मिले? समाचार पत्रों के अनुसार भा.ज.पा. ने अपनी अधिकांश सीटें हिन्दी क्षेत्र और गुजरात और महाराष्ट्र में जीती हैं।

एक माननीय सदस्य : कर्नाटक में उनकी क्या स्थिति है?

श्री मुरासोली मारन : महोदय मैं यह समाचार पत्रों से उद्धत कर रहा हूं।

कांग्रेस की उपस्थिति भी उड़ीसा, पंजाब, तथा हिमाचल प्रदेश जैसे कुछ राज्यों तक सीमित है...**(व्यवधान)**...मैं समाचार पत्रों से उद्धत कर रहा हूं। यह गलत भी हो सकता है। यदि मेरी बात गलत है तो इसे कृपया बतायें।

महोदय, जनता दल और इसके सहयोगी दल बिहार, उत्तर प्रदेश तथा कर्नाटक में उपस्थित हैं।

वाम मोर्चा पश्चिम बंगाल, केरल और त्रिपुरा तक सीमित रहा है। परंतु वे हमें क्षेत्रीय दल कहते हैं। मेरे विचार से अब सभी क्षेत्रीय दल बन गए हैं, कुछ बड़ी क्षेत्रीय पार्टियां हो सकती हैं तो कुछ छोटी क्षेत्रीय पार्टियां। कांग्रेस पार्टी को लगभग 30 प्रतिशत मत मिले; भाजपा को 23 से 26 प्रतिशत; राष्ट्रीय मोर्चे और वाम मोर्चे को 20 प्रतिशत तथा तथाकथित क्षेत्रीय दलों जैसे द्रमुक, तेलुगूदेशम और टीएमसी को 25 प्रतिशत मत मिले। इसका मतलब है कि अब संयुक्त मोर्चे को 45 प्रतिशत मत मिल गए हैं। यदि इसमें कांग्रेस के मतों को भी जोड़ दिया जाए तो इसका अर्थ होगा कि 75 प्रतिशत लोग एक धर्मनिरपेक्ष सरकार का समर्थन कर रहे हैं, इस सरकार का नहीं।

मुझे यह कहते हुए दुख है। हमने इस पार्टी के साथ काम किया है; हम भाजपा को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। हम आपातकाल के विरूद्ध लड़े थे; हम एक साथ जेल में थे। जब राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार बनी थी तो उन्होंने बाहर से सरकार का समर्थन किया था। हममें से कई लोग उसमें मंत्री भी थे। परंतु वह सरकार मात्र ग्यारह महीने चली। हम जानते हैं कि कुछ स्पष्ट कारणों से उन्होंने अपना समर्थन वापस ले लिया और सरकार गिर गई। राजनीति में कुछ ऐसी बातें होती हैं जिनके साथ समझौता नहीं किया जा सकता।

इतिहास में ईसा काल को दो अलग कालों में बांटा गया है–ईसा के जन्म से पहले और ईसा के बाद यानी ईसा पूर्व इस्वी वर्ष। इसी प्रकार आधुनिक भारत में भी एक काल विभाजन रेखा है। और वह विभाजन रेखा है बाबरी मस्जिद ध्वंस की। अतः हमें बाबरी मस्जिद के गिराए जाने से पहले की तथा बाद की घटनाओं पर विचार करना होगा। बाबरी मस्जिद के गिराए जाने के बाद उनका असली चेहरा सामने आ गया। बाबरी मस्जिद के गिराए जाने से हुए घाव भरे नहीं हैं। इसके कारण पैदा हुई शंकाओं का समाधान नहीं किया गया है।

प्रधान मंत्री का हाल ही में प्रसारित क्रिया गया भाषण मैंने सुना है। वह बिल्कुल ठीक कह रहे थे, वह बहुत अच्छे हैं। उन्होंने कहा कि भारत कभी भी धर्मप्रधान राज्य नहीं रहा तथा न ही कभी ऐसा होगा। महोदय, मैं उनके इस वक्तव्य की प्रशंसा करता हूं। उन्होंने वायदा किया है कि वह अनुच्छेद 356 के उपयोग में संयम से काम लेंगे। उन्होंने आश्वासन दिया है कि संसाधनों का संतुलन राज्यों के पक्ष में बहाल करने हेतु तुरन्त कदम उठाए जाएंगे। मैं उनसे सहमत हूं और मैं उनकी प्रशंसा करता हूं परंतु उन्होंने जोर देकर कहा है कि दिसम्बर 1992 की घटनाएं किसी पूर्व नियोजित षडयंत्र का परिणाम नहीं थी। यहां मेरा उनसे मतभेद है; जनता इस पर विश्वास नहीं करेगी। यह रथ यात्रा के खिलाफ हो सकते हैं, वह उदारवादी हो सकते हैं परंतु वह एक षडयंत्र था। मैं जानता हूं कि उस समय की सरकार ने भी बाबरी मस्जिद के गिराए जाने पर चुप्पी साधे रखी। यही कारण है कि अल्पसंख्यकों ने इन दलों को वोट नहीं दिया।

इसके अलावा, उन्होंने अपने प्रसारण में जो कुछ भी कहा, वह सब उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद मात्र लोक दिखावा था। परंतु उनके चुनावी घोषणा पत्र का क्या हुआ जिसमें बार बार यह कहा गया है वह अपने घोषणा पत्र के अनुसार कार्य करेंगे? घोषणा पत्र के पृष्ठ छह पर कहा गया है कि घोषणा पत्र उनकी सरकार का प्रतिज्ञा पत्र होगा। परंतु हमारे लिए अधिक चिंता की बात है उनका हिन्दुत्व में विश्वास। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद शब्द मेरी समझ में नहीं आता–उन्होंने इस शब्द का प्रयोग क्यों और कैसे किया। पृष्ठ 15 पर कहा गया है कि भाजपा एक राष्ट्र, एक जन और एक संस्कृति की अवधारणा के प्रति प्रतिबद्ध है। यह एक खतरनाक अवधारणा है। हम एक राष्ट्र की अवधारणा को स्वीकार करते हैं। परंतु एक जन कैसे हो सकता है? मैं अलग हूं, आप अलग हैं, आप खुद देखें। हम विभिन्न संस्कृतियों, विभिन्न राज्यों और विभिन्न भाषाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। यही कारण था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था–अनेकता में एकता। आप भारत में एकरूपता थोपना चाहते हो। मैं आपको सचेत करता हूं कि यह संभव नहीं है। यदि कोई एकरूपता लाने की कोशिश करेगा तो सोवियत संघ की तरह एक और देश टुकड़े–टुकड़े हो जाएगा। एक राष्ट्र, एक जन और एक संस्कृति की आपकी यह नीति इसी दिशा की ओर ले जा रही है।

अपराह्न 6.00 बजे

महोदय, मैं द्रविड़ समूह से हूं, आप एक भिन्न समूह से हैं। विभिन्न प्रकार के भाषा परिवार हैं। मैं द्रविड़ भाषा बोलता हूं, मेरे तेलुगू देशम वाले मित्र एक द्रविड़ वर्ग की अन्य भाषा बोलते हैं। उत्तर के लोग भारतीय आर्य भाषा बोलते हैं। वे सोचते हैं कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश ही भारत है; वे दक्षिण भारत को भूल जाते हैं। एक अन्य विचारधारा इस प्रकार है। वे हर जिले में भारतीय संस्कृत केन्द्र स्थापित करना चाहते हैं। क्यों? कितने लोग संस्कृत बोलते हैं? ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : एक क्षण रूकें।

...(व्यवधान)...

श्री ई. अहमद : महोदय, हमारे लोगों को भी बोलना है। समय-सारणी का पालन नहीं किया जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं। वह बारह मिनट बोलने के हकदार हैं। मेरे विचार से माननीय सदस्य ने कमोबेश लगभग छह मिनट ही बोला है। क्या मैं आपको छह मिनट और दूं तथा उसके बाद सभा की बैठक को स्थगित करूं?

श्री मुरासोली मारन : महोदय, वे संस्कृत के अध्ययन को बढ़ावा देना चाहते हैं तथा विद्यालयों में त्रिभाषा फार्मूला कड़ाई से लागू करते हैं। उन्हें ऐसा क्यों करना चाहिए? त्रिभाषा फार्मूला फेल हो गया है। यह भारत के लोगों के साथ किया गया एक धोखा है। वे भारतीय शास्त्रीय संगीत और मंच कलाओं को बढ़ावा देना चाहते हैं। भारतीय शास्त्रीय संगीत क्या है? तमिलनाडु के हमारे संगीत को 'कर्नाटक संगीत' कहा जाता है। केरल में उनके नृत्य को कथकली कहते हैं, तमिलनाडु में उसे भारतनाट्यम, आंध्र में कुचिपुडि तथा उड़ीसा में इसे ओडिसी कहते हैं। वे भारत के बारे में नहीं जानते। वे भारत को एकरूपता में जकड़ना चाहते हैं। यह एक खतरनाक अवधारणा है। मैं तो कहूंगा कि यह एक तरह का फासीवाद है। यह बहुत खतरनाक है।

महोदय, जहां तक हिन्दुत्व की बात है, मैं एक प्रसिद्ध वकील के शब्दों को उद्धृत करना चाहता हूं।

> "महात्मा गांधी की सलाह के विरूद्ध 1924 में हिन्दू महासभा द्वारा बनाया गया यह एक घातक सिद्धांत है।"

यह किसने कहा था? यह कहा था नानी ए. पालकीवाला ने। आप देश को बांटने, अलपसंख्यकों को बाहर धकेलने तथा उनमें डर पैदा करने का बहुत ही घातक और खतरनाक फार्मूला अपना रहे हैं। अतः मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप इस नीति का परित्याग कर दें।

महोदय, 'हिन्दुत्व' का अर्थ है मनु धर्म, जिसने हमारे करोड़ों लोगों को जातियों में बांटे रखा तथा उन्हें अछूत बनाए रखा। हम 'हिन्दुत्व' की ओर कभी नहीं देखेंगे। हम 'हिन्दुत्व' को कुचल कर रख देंगे। यह हमारे लिए अभिशाप है। हम ऐसी पार्टी से संबद्ध हैं जिसे 'थंथाई पेरियार' और 'अरिगनार' अन्ना द्वारा शुरू किया गया था। हम डा. अम्बेडकर के सिद्धांतों के अनुयायी हैं। हमारी पार्टी पिछड़े वर्गों की पार्टी है। यह "हिन्दुत्व" हमें दबाएगा तथा हमें कुचलेगा।

"एक जन, एक संस्कृति" के बारे में मैं पुनः कहता हूं कि अनेकता ही जीवन का सत्य है यह एक स्थायी पहलू है जिसको समाप्त नहीं किया जा सकता। यदि 'हिन्दुत्व' का अर्थ राष्ट्रवाद है तो महोदय, मैं आपसे पूछता हूं कि आप हिन्दुत्व शब्द की बजाय इसे राष्ट्रवाद क्यों नहीं कहते? वास्तव में 'हिन्दुत्व' में 'हिन्दू राज' का निहितार्थ सम्मिलित हो गया है। महोदय यह भारत की मिली जुली संस्कृति और इसकी धार्मिक विभिन्नता को अस्वीकृत करता है।

आपके घोषणा पत्र में प्रायः भारतीय पहचान, भारतीय समाज व भारतीयता की बात करते हैं। मैं इसे बिल्कुल भी समझ नहीं पाया हूं। अतः मैं देश की एकता के नाम पर आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप 'एकरूपता का प्रयास न करें क्योंकि उसका मतलब होगा इस देश का विखण्डन। इस प्रकार मैं अंत में दुख के साथ यही कहूंगा कि किस प्रकार श्री वाजपेयी जैसे प्रतिष्ठित व्यक्ति ने किस प्रकार राष्ट्रपति के इस आदेश को स्वीकार करके इस मंत्रिमंडल का गठन किया। वह बहुत अच्छी तरह जानते हैं। परंतु एक बात की मैं प्रशंसा करता हूं। उन्होंने खरीद फरोख्त, सूट केस अथवा ब्रीफ केस संस्कृति का सहारा नहीं लिया। इसके लिए मैं उनकी प्रशंसा करता हूं और उन्हें बधाई देता हूं। मैं यही कहूंगा कि पिछले दस या पन्द्रह दिनों से किए जा रहे ये प्रयास निरर्थक थे। अतः मैं श्री चिदम्बरम और श्री चन्द्रशेखर की बातों का समर्थन करता हूं। यह नाटकबाजी आज ही खत्म हो जाए। मतदान द्वारा अपदस्थ होने से बेहतर यही होगा कि त्यागपत्र दे दिया जाए।

अध्यक्ष महोदय : बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं जानता हूं कि कई माननीय सदस्य, विशेषतः छोटे दलों से संबद्ध सदस्य, वाद-विवाद में भाग लेने के इच्छुक हैं। जहां तक सम्भव होगा, हम अधिकतर माननीय सदस्यों को बोलने का अवसर देंगे। हम 5 घंटे 19 मिनट तक चर्चा कर चुके हैं। अभी भी हमारे पास समय उपलब्ध है। कल हम अधिक से अधिक माननीय सदस्यों को बोलने का अवसर देंगे।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया सुनिये। यदि आप लोग जानना ही चाहते हैं तो सम्भवतः अपराह्न 12.15 बजे अथवा अपराह्न 12.30 बजे माननीय प्रधान मंत्री उत्तर देंगे।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे आग्रह है कि आज जितने मेम्बर्स बोलने वाले हैं उनसे बुलवा लीजिए और कल प्राइम मिनिस्टर का रिप्लाई हो जाए। उसके बाद फिर वोटिंग हो जाए।

[अनुवाद]

कल पर विश्वास मत कीजिए।

अध्यक्ष महोदय : आप कृपया बैठ जाइये, आप अपने मंत्री को बोलने दीजिये।...**(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष जी, मेरा आपसे अनुरोध है कि आज जितने मेम्बर्स बोलना चाहते हैं या जिनको आप बुलवाना चाहते हैं उनको आप बुलवा लीजिये। कल माननीय प्रधान मंत्री जी का रिप्लाई हो जाएगा और उसके बाद वोटिंग हो जाएगी। ...**(व्यवधान)**... यदि आप इसको कल डिसकशन के लिए छोड़ेंगे तो फिर लम्बा प्रोसेस होगा।...**(व्यवधान)** परसों मुहर्रम की छुट्टी है।... **(व्यवधान)** मैंने शुरू में ही कहा था कि इस सरकार की नीयत साफ नहीं है, ये इसे खींचना चाहते हैं।

[अनुवाद]

श्री प्रमोद महाजन : अभी हम समयावधि बढ़ाने के पक्षधर नहीं है। माननीय प्रधान मंत्री सभा में उपस्थित नहीं रहेंगे। आज पण्डित जवाहरलाल नेहरू की पुण्य तिथि है। तीन मूर्ति भवन में सांय 7.00 बजे एक कार्यक्रम है जिसमें माननीय, राष्ट्रपति माननीय उप-राष्ट्रपति इत्यादि आने वाले हैं। इसलिये, हम समय सीमा बढ़ाने के पक्षधर नहीं हैं। कल आप कोई भी समय नियत कर सकते हैं।...**(व्यवधान)**...

अध्यक्ष महोदय : क्या आज सांय 6.45 बजे तक सभा बैठ सकती है?

...(व्यवधान)...

श्री संतोष मोहन देव : आप कल तक के लिये समय सीमा बढ़ा सकते हैं। चाहे कितने ही सदस्य बोलने के इच्छुक हों, मत विभाजन का समय नियत कर दिया जाए। कृपया मत विभाजन का समझ नियत कर दीजिये। उस समय तक जितने भी सदस्य बोल चुके होंगे, उतने ही काफी होंगे, तत्पश्चात् प्रधान मंत्री को उत्तर देना होगा। वह उत्तर देंगे। परन्तु, कृपया मत विभाजन का समय निर्धारित कर दीजिये। ..**(व्यवधान)**...

अध्यक्ष महोदय : क्या हम कल भोजनावकाश स्थगित कर सकते हैं?

...(व्यवधान)...

श्री संतोष मोहन देव : मतदान दोपहर 1.30 बजे कराया जा सकता है। तत्पश्चात् हम भोजनावकाश के लिए जा सकते हैं क्योंकि इसके बाद कोई कार्य शेष नहीं रहेगा। इसलिये, दोपहर 1.30 बजे का समय निर्धारित कर दिया जाए।..**(व्यवधान)**...

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : नहीं, नहीं। मतदान की प्रक्रिया जटिल होती है। इसलिये, मतदान दोपहर 1.30 बजे से पूर्व ही आरम्भ हो जाना चाहिये।..**(व्यवधान)**...

अध्यक्ष महोदय : क्या आप मंत्री जी को बोलने देंगे? कृपया मंत्री महोदय को बोलने दीजिये। मंत्री महोदय का बोलना ही उचित होगा।

(व्यवधान)

श्री प्रमोद महाजन : हमारे पास अभी भी दो घंटे का समय शेष है। स्वाभाविक रूप से चर्चा 11.00 म.पू. से दोपहर 1.00 बजे तक चलेगी और 14.00 म.प. पर प्रधान मंत्री चर्चा का उत्तर देंगें। इसके तत्काल बाद ही मत विभाजन कराया जा सकता है।...**(व्यवधान)**

श्री सोमनाथ चटर्जी : अध्यक्ष महोदय, आपने सात घंटे की अनुमति दी है।..**(व्यवधान)**...

श्री संतोष मोहन देव : कल संयुक्त मोर्चा और कांग्रेस के सदस्य नहीं बोलेंगे। हम किसी भी सदस्य को बोलने के लिए खड़ा नहीं करेंगे। यदि वे चाहते हैं तो अपने सदस्यों को बोलने के लिए कहें। ...**(व्यवधान)**...

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, आपने चर्चा के लिये सात घंटे आवंटित किये हैं। अभी भी चर्चा के लिये एक घंटा और पन्द्रह मिनट का समय बचा है।...**(व्यवधान)**

श्री प्रमोद महाजन : दो घंटे बचे हैं।...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : नहीं। एक घंटा और पैंतालिस मिनट बचे हैं।

(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : चर्चा कल दोपहर 12.15 बजे समाप्त हो सकती है और दोपहर 12.30 बजे मत से विभाजन आरम्भ हो सकता है।...**(व्यवधान)**...

अध्यक्ष महोदय : हां, लगभग एक घंटा पैंतालीस मिनट बचे हैं।

...(व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय : कल अपराह्न 12.45 बजे तक चर्चा चल सकती है। इसलिये, आवंटित समयावधि के अनुसार चर्चा कल अपराह्न 12.45 बजे समाप्त हो जाएगी।...

...(व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय : चूंकि सभा कई अन्य माननीय सदस्यों को भी बोलने का अवसर देना चाहती है, इसलिए मैंने मतदान के लिए कल अपराह्न 1.30 बजे का संभावित समय रखा है।

...(व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय : सभा कल अर्थात् 28 मई, 1996 के ग्यारह बजे म.पू. तक के लिये स्थगित की जाती है।

अपराह्न 6.10 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मंगलवार, 28 मई, 1996/7 ज्येष्ठ, 1918(शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।

पी. एल. एस.–48/1/4/96 (एन.)
250

© 1996 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (आठवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और **डाटा प्वांईट**, 615, सुनेजा टावर–II, डिस्ट्रिक्ट सैन्टर, जनक पुरी, नई दिल्ली–58 (फोन–5505110) द्वारा मुद्रित।